खण्ड-151, अंक-2
मंगलवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(15 मार्च, 1955 ई0)

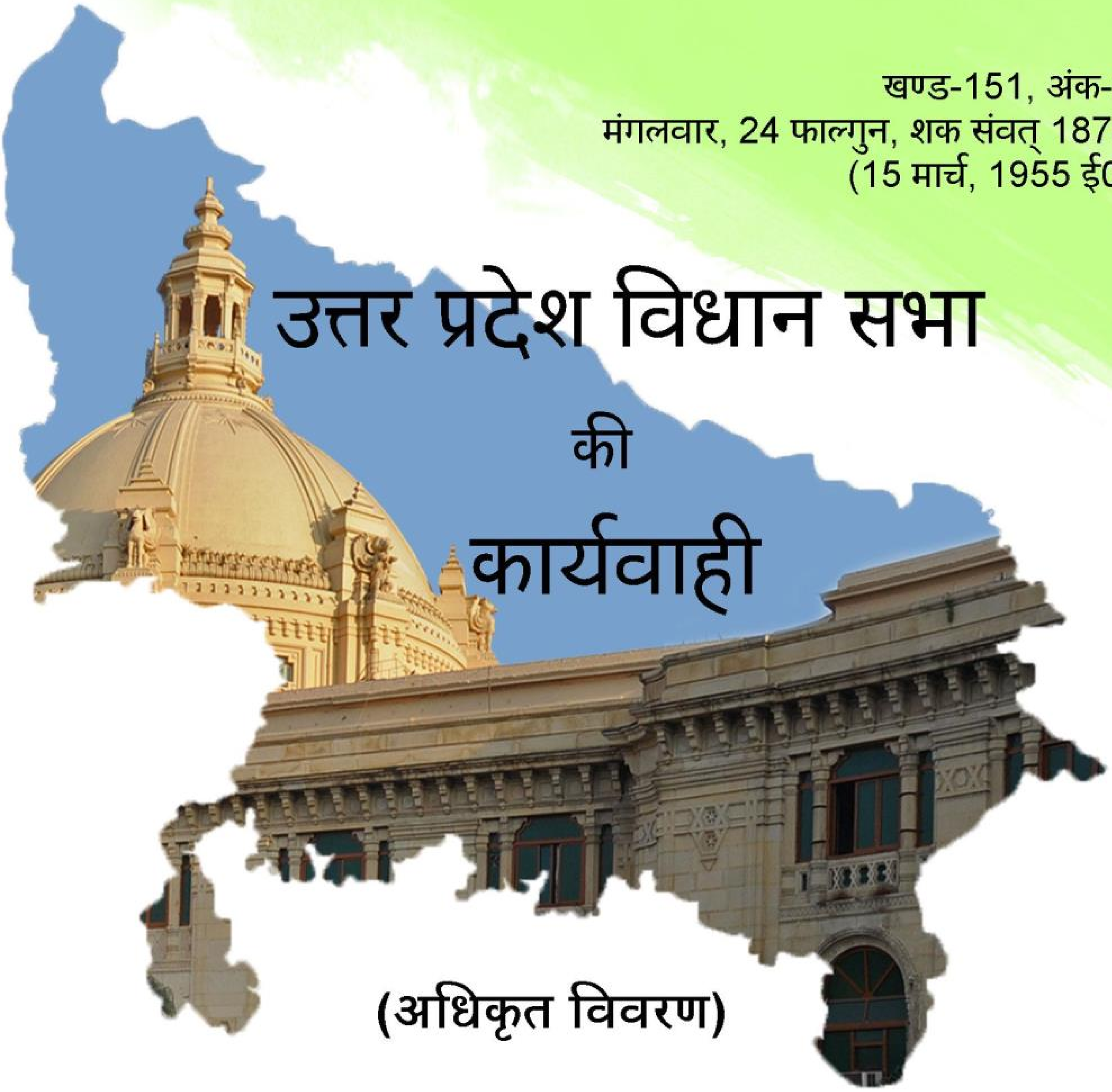

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 151 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद, पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चरण सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द महेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री

भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्री
व्रजबासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शगुन चन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री,
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[१२ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

गढ़वाल जिले में सिंचाई के साधन

*४—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गढ़वाल में कितनी भूमि कृषि योग्य है और उसम से कितनी भूमि सरकारी सिंचाई साधनों से सींची जाती है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामसूति)—जिला गढ़वाल में कुल कृषि योग्य भूमि ३६,७८० एकड़ है। सरकारी नहरों से ३,६५१ एकड़ भूमि सींचने की व्यवस्था की जा चुकी है, परन्तु पूरी भूमि में सरकारी सिंचाई सुविधाओं का उपयोग कृषक गण पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं।

*५—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५१–५२, १९५२–५३, और १९५३–५४ में कितने मील गूलें, जिला गढ़वाल की चमोली, पौड़ी और लैन्सडान तहसील में बनी हैं और इन गूलों से कितनी भूमि पर प्रत्येक तहसील में सिंचाई होती है ?

श्री रामसूति—जिला गढ़वाल की चमौली, पौड़ी और लैन्सडान तहसीलों में १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में जो गूलें बनीं तथा उनसे जितनी भूमि की सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है, उसका विवरण मेज पर रक्खी हुई प्रथम विवरण पत्रिका में दिया हुआ है। सन् १९५३–५४ में इन तहसीलों में कोई गूलें नहीं बनीं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १९४ पर)।

*६—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल सर्वे डिवीजन (कैनाल) ने चमोली, पौड़ी और लैन्सडान तहसील में किन–किन गूलों का सर्वे किया था और किन-किन गूलों को कार्यान्वित होने योग्य बताया था ?

श्री रामसूति—गढ़वाल सर्वे डिवीजन ने चमौली, पौड़ी और लैन्सडान तहसीलों में जिन–जिन गूलों का सर्वे किया तथा उनमें से जो गूलें कार्यान्वित होने योग्य सिद्ध हुईं, इसका विवरण मेज पर रक्खी हुई दूसरी विवरण पत्रिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १९५१९८ पर।)

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिला गढ़वाल में ३६,७८० एकड़ भूमि जो कृषि योग्य है, उसमें से कितनी ऐसी है जिसमें सिंचाई की सुविधा दी जा सकती है।

श्री रामसूति—अभी पूरा सर्वे नहीं हुआ है, जब तक पूरा सर्वे न हो जाय कहना कठिन है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मन्त्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जिला गढ़वाल में जितनी भूमि सिंचाई योग्य है, उसमें सिंचाई की सुविधा किस वर्ष दी जा सकेगी ?

श्री राममूर्ति—सरकार की यह नीति है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा पहुंचायी जा सके वह पहुंचायी जाय, लेकिन यह फन्ड्स पर भी निर्भर करता है, जैसे-जैसे सर्वे होता जाता है और इन्जीनियर्स की रिपोर्टस् आती हैं, काम चालू वहां किया जाता है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि विवरण पत्रिका नम्बर २ में क्रम संख्या ८ से ४१ तक की जो गूलें हैं, और जिनको विभाग ने बनने योग्य नहीं बताया है, उन के न बनने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—पहाड़ों में बहुत लम्बी गूलें होती हैं और उन में बरसात में इस कदर मलवा वगैरा भर जाता है, इसके अलावा इन्जीनियर्स और भी दिक्कतें बताते हैं जिन की वजह से लम्बी गूलों के बनने में दिक्कत होती है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरे इस वक्तव्य का आधार लेते हुए क्या मन्त्री जी उन गूलों का सर्वे कराने की कृपा करेंगे जो बन सकती हैं ?

श्री राममूर्ति—जहां वह बन सकती हैं वहां तो सर्वे हो गया है, लेकिन माननीय सदस्य कोई खास गूल बतायेंगे और उस पर अगर सम्भव होगा तो गौर किया जायगा।

बस्ती जिले की बांसी तहसील के करछुलिया और सोहांस घाटों पर पुल की आवश्यकता

*७—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की बांसी तहसील का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जमुआर नदी पर करछुलिया घाट पर व कूंड़ा नदी पर सोहांस घाट पर पुल की व्यवस्था न होने के कारण बरसात व जाड़ा के मौसम में अन्य क्षेत्रों से अलग हो जाता है, जिससे जनता को बहुत कष्ट होता है ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—यह कहना सत्य नहीं है कि बरसात और जाड़े के मौसम में बांसी तहसील का एक बड़ा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग हो जाता है, क्योंकि करछुलिया और सोहांस घाटों पर बरसात में बराबर नावें चलती हैं, जिनके द्वारा यात्री नदियों के आर-पार जाते हैं और जाड़े के मौसम में पानी कम होने पर नावों के पुल बांध दिये जाते हैं। बरसात में जनता को इतनी असुविधा अवश्य होती है कि सवारी और सामान ढोने वाली गाड़ियां आर-पार नहीं जा सकतीं।

*८—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार उपर्युक्त दोनों पुलों के निर्माण पर विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगामी पंचवर्षीय योजना में वह सोहांस और करछुलिया घाट पर पुल बनवा देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जब पंचवर्षीय योजना पर विचार होगा तब यह भी विचारा जायगा।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों घाटों पर कितनी नावें चलती हैं बरसात में ?

नोट—तारांकित प्रश्न ७ और ८ श्री शिवनारायण ने पूछे।

श्री कैलाशप्रकाश—कितनी नावें चलती हैं, यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन नावें इतनी चलती हैं कि लोग वहां सुविधा से आ जा सकते हैं।

*९—११—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—[१२ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

*१२—१३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[१२ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

अकबरपुर तहसील, जिला कानपुर की अदालत पंचायतों के फैसलों के विरुद्ध अपीलें

*१४—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या स्वशासन मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि अकबरपुर, जिला कानपुर, तहसील की अदालत पंचायतों द्वारा दिये जाने वाले फैसलों के खिलाफ १ जनवरी, १९५३ से लेकर १५ दिसम्बर, १९५४ तक परगनाधीश के यहां कितनी अपीलें दाखिल हुईं, उनमें कितनी खारिज और कितनी बहाल की गयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस अवधि में परगनाधीश के यहां १४६ अपीलें दाखिल हुईं, जिनमें से ६२ खारिज हो गयीं, और ५४ बहाल रहीं।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतालायेंगे कि १४६ अपीलों में से ११६ का विवरण उन्होंने उत्तर में दिया है, बाकी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—बाकी अपीलें चल रही हैं।

*१५—श्री रामदुलारे मिश्र—[१२ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किया गया।]

*१६—१८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[२९ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

निर्माण विभाग के अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट डिवीजन पर व्यय

*१९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या निर्माण विभाग में कोई ट्रांस्पोर्ट डिवीजन है ? यदि हां, तो उसका क्या उपयोग होता है और उस पर वार्षिक क्या व्यय होता है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां, यह डिवीजन विभाग की सड़क, निर्माण की मशीनों, मोटरों और पुल बनाने की विशेष सज्जा के रखरखाव और उसकी देखभाल करता है। नये उपकरण तथा स्थिर यन्त्रों की सप्लाई करने के प्रबन्ध के लिए भी यह डिवीजन उत्तरदायी है। इन कामों के अलावा यह डिवीजन विभाग के विद्युत सम्बन्धी ऐसे सभी निर्माण कार्यों का निष्पादन भी करता है जो कि इस विभाग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। इस डिवीजन की स्थापना पर सालाना ३८,००० रु० व्यय होता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस डिवीजन में कुल कितनी गाड़ियों का बेड़ा है और उनके रखरखाव पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो मैंने प्रारम्भ में ही बतलाया है कि ३८ हजार रुपये व्यय होते हैं और करीब तीन सौ के गाड़ियां हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या इस निर्माण विभाग के ट्रांस्पोर्ट डिवीजन के बारे में इस सदन की एस्टिमेट्स कमेटी ने कोई राय दी है ? अगर हां, तो सरकार ने उसको कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्य किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, राय दी है और उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो रखरखाव की रकम बतलायी गयी है, वह उस रकम के अलावा है, जो कि और विभागों में मोटरों और ट्रकों के काम के सिलसिले में देनी पड़ती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह रकम तो केवल इस विभाग के डिवीजन से सम्बन्ध रखती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो १५ लाख ७७ हजार रुपया रखरखाव पर खर्च होता है वह क्या ट्रांस्पोर्ट डिवीजन के अन्तर्गत मोटरगाड़ियों के रखरखाव पर खर्च होता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

*२०—२१—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[२९ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले में बेलन नदी पर बांध की योजना

*२२—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में बेलन नदी में बांध डाल कर जल खाता तैयार करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन किन स्थानों पर ?

श्री रामर्मूति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बेलन नदी पर बांध बनाने की कोई योजना नहीं है। किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस नदी पर एक जलाशय बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और उसके लिए उचित स्थान की छान-बीन की जा रही है।

आजमगढ़ जिला बोर्ड को सड़कों तथा भवनों की मरम्मत के लिये अनुदान

*२३—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिला बोर्ड की किन-किन सड़कों और स्कूलों के भवनों के पुनर्निर्माण के लिये सरकार ने बोर्ड को कितनी धनराशि इस वर्ष दी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—चालू वित्तीय वर्ष में जिला बोर्ड, आजमगढ़ को सरकार द्वारा लौटाई गयी कच्ची सड़कों के रखरखाव के लिये १६,२०० रुपये, और बाढ़ ग्रस्त सड़कों तथा भवनों की मरम्मत के लिये ७५,००० रुपये के अनुदान स्वीकृत किये गये हैं। यह बोर्ड के निश्चय के लिये छोड़ दिया गया है कि वह किन स्कूलों के भवनों या अन्य भवनों व सरकार द्वारा लौटाई गई तथा बाढ़ क्षत सड़कों पर कितना व्यय करना उचित समझती है।

नोट—तारांकित प्रश्न २२ श्री रामकृष्ण जैसवार ने पूछा।

नोट—तारांकित प्रश्न २३ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला को जो ७५ हजार रुपये की सहायता दी गयी है तो सरकार के पास जिला बोर्ड ने कितने हजार रुपये की मांग की थी ?

श्री कैलाश प्रकाश--नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)-- क्या सरकार के पास आजमगढ़ जिला के बाढ़-ग्रस्त सड़कों तथा भवनों की संख्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--इस समय तो नहीं है ।

श्री उमाशंकर--क्या आजमगढ़ जिला बोर्ड ने कोई लिस्ट सरकार के पास बाढ़-ग्रस्त सड़कों तथा भवनों की भेजी है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जरूर भेजी होगी लेकिन इस समय मेरे पास नहीं है ।

*२४-२५--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर) --[२९ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

नहर विभाग के प्रत्येक डिवीजन में तावान लगाने के कारण

*२६--श्री श्रीचन्द्र--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर विभाग के प्रत्येक डिवीजन में १३६० फसली में कितना-कितना तावान लगाया गया और इसमें से कितना-कितना प्राप्त हुआ ?

श्री रामभूति--प्रश्न में मांगी हुई सूचना के उपलब्ध करने में अधिक समय, परिश्रम और धन नष्ट होगा जिससे कोई सार्वजनिक हित नहीं निकलेगा ।

*२७--श्री श्रीचन्द्र--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तावान किन-किन कारणों से लगाया गया और तावान लगाने का अधिकार किन अधिकारियों को किस सीमा तक है ?

श्री रामभूति--तावान निम्नलिखित कारणों से लगाये जाते हैं :--

१--नहर के पानी का क्षय व दुर्व्यवहार ।
२--पटरी काट कर सिंचाई करना ।
३--पटरी में सुराख करके सिंचाई करना ।
४--राजबाहे अथवा माइनर में बन्द लगा कर सिंचाई करना ।
५--कुलावों को नीचा ऊंचा कर के या इधर उधर हटा कर सिंचाई करना ।
६--अनधिकृत कुलावे लगाना अथवा बड़े कर के सिंचाई करना ।
७--कमान्ड के बाहर बिना आज्ञा से सिंचाई करना ।

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को तावान लगाने का पूरा अधिकार है , परन्तु यदि किसी एक गांव पर तावान २५० रुपये तथा व्यक्तिगत २५ रुपये से अधिक हो तो उसकी सूचना सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर को देनी होती है ।

श्री श्रीचन्द्र--तावान चलाने का जो पुराना नियम लागू चला आ रहा है उसमें सुधार करने के लिये सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री रामभूति--यह नियम तो पढ़ कर सुनाया इसमें कोई सुधार का मौका नहीं है । कोई और नियम लगाना हो तो सदस्य बतला सकते हैं, हम जरूर उस पर विचार करेंगे ।

श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि व्यक्तिगत २५ रुपये तावान का इस उत्तर में क्या अर्थ है ?

श्री रामभूति--किसी व्यक्ति के ऊपर २५ रुपये का तावान लगाया जाय यही इसका अर्थ है ।

श्री श्रीचन्द्र--.क्या सरकार के पास तावान की कुल रक़म का जोड़ होता है या नहीं ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, कुछ मोहमिल किस्म का सवाल है, मैं समझा नहीं

श्री अध्यक्ष--पूरे तावान की रकम का हिसाब आप के पास रहता है या नहीं ?

श्री रामर्मूति--हिसाब पूरा रहता है। व्यक्तिगत तावान लगाया जाता है उसका भी हिसाब रहता है और यदि सारे गांव पर तावान लगाया जाता है तो उसका भी हिसाब रहता है।

*२८--श्री विश्रामराय--[२९ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

सीतापुर जिले के अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की सूची

*२९--श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया सीतापुर जिले के अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की ऐसी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसमें उनकी योग्यता, नाम, पता और न्यायालय का स्थान दिया हो ?

न्याय मंत्री (श्री सैयदअली ज़हीर)--उनकी शिक्षा योग्यता, पता और न्यायालय स्थान का आलेख्य नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १९९ पर)

उत्तर राप्ती भाग, गोंडा के चार नालों पर बाढ़ नियंत्रण योजना

*३०--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) [७ अप्रैल, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३१--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि उत्तर राप्ती भाग, गोंडा में भांभर, सिरिया, कटहा और कचनी ये चार ऐसे नाले बहते हैं जिनमें गर्मी के महीनों में भी पानी रहता है और इनमें पक्का बांध बना के सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन नालों पर बांध बंधवाकर सिंचाई कराने की योजना पर विचार करेगी?

श्री राममूर्ति--इन चारों नालों पर बाढ़ नियंत्रण योजना के अन्तर्गत सरोवर बनाने की योजना का अनुसंधान हो रहा है। यदि यह योजना शक्य सिद्ध हुई तो इस पर कार्य आरम्भ किया जायगा।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि इन चारों नालों पर कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री रामर्मूति--सर्वे जब समाप्त हो जायगा तो उसके बारे में कुछ निश्चय किया जायगा।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वर्षा आने के पूर्व सर्वे का कार्य सम्पादित हो सकेगा ?

श्री राममूर्ति--कोशिश तो यही है कि बरसात आने से पहले काम खत्म हो जाय।

गोंडा जिले के बलरामपुर, उतरौला तथा तुलसीपुर परगनों में नलकूप योजना

*३२--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिला के बलरामपुर, उतरौला तथा तुलसीपुर परगनों में कितने-कितने नलकूप, कब तक बनाने की योजना है ?

श्री रामर्मूति--गोंडा जिला के बलरामपुर, उतरौला तथा तुलसीपुर परगनों में नलकूप बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि अलग-अलग इन परगनों में इस वर्ष कितने नलकूप बनाये जायेंगे ?

श्री रामर्मूति--अलग-अलग तो मेरे पास फेहरिस्त नहीं है लेकिन ३० बन चुके हैं, ५० बनने वाले हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ और भी नलकूप बनाये जायेंगे।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि गोंडा जिले की नियोजन समिति ने मांग की है कि बलरामपुर परगने में जहां गूलें पड़ी हुई हैं, वहां ट्यूबवेल बना दिये जायं ?

श्री रामर्मूति--यहां मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में जिला बोर्डों को निर्माण सम्बन्धी सहायता

*३३--श्री रामसन्दर पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ तथा १९५४-५५ के वित्तीय वर्षों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के जिला बोर्डों को सड़कों एवं भवनों की मरम्मत तथा निर्माण के लिये कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश--सन् १९५३-५४ के सरकारी आय-व्ययक में इस सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं था। चालू वित्तीय वर्ष में पांच लाख रुपये का प्राविधान किया गया था जिसका वितरण जनवरी, १९५५ में निम्न प्रकार कर दिया गया है :--

	रु०
१--इलाहाबाद	५,३००
२--बलिया	१,००,०००
३--गाजीपुर	२०,०००
४--बस्ती	१,००,०००
५--आजमगढ़	७५,०००
६--खेरी	१,००,०००
७--फैजाबाद	२६,२००
८--बहराइच	२३,५००
९--प्रतापगढ़	५०,०००
योग ..	५,००,०००

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलों को जो अनुदान दिया गया है यह किस आधार पर दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--वहां से दरख्वास्तें आई और जिस हिसाब से नुकसान था उस आधार पर निर्णय किया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुपया खर्च होने के बाद उन रुपयों का खर्च कहां-कहां हुआ और किस प्रकार किया गया, सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार जांच करेगी और माननीय सदस्य के इल्म में कोई ऐसी बात हो तो वह भी सूचना दे दें।

आजमगढ़ जिले में पंचायत निरीक्षकों की नियुक्ति

*३४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने पंचायत निरीक्षकों की एक स्थान पर २ वर्ष से अधिक नियुक्त हुये हो गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--केवल ४ पंचायत निरीक्षकों को एक स्थान पर नियुक्त हुये २ वर्ष से अधिक हुआ है।

*३५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में वे इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि पंचायत निरीक्षक अपने जिले में नियुक्त न किया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह किन-किन पंचायत सर्किलों के इस्पेक्टर हैं जिनको दो साल से अधिक हो रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतायेगी कि यह प्रश्न विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश--इस विषय की जानकारी प्राप्त की जा रही है और इस विषय में दोनों मत हैं कि वहीं का निरीक्षक उसी जिले में रखा जाय तो वह अच्छा काम कर सकता है और यह भी शिकायत है कि उसी जिले का निरीक्षक रखने में काम में दिक्कत होती है। इन सब पर जानकारी प्राप्त की जा रही है और बाद में निर्णय होगा।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसी व्यवस्था है कि कोई पंचायत निरीक्षक कम से कम उस क्षेत्र में ३ साल से अधिक न रहे ?

श्री कैलाशप्रकाश--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

काशी घाट के शिलान्यास पर व्यय

*३६--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि काशी के घाट के शिलान्यास के अवसर पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--१२ हजार रुपये।

राजापुर, जिला बांदा में यमुना नदी पर पीपों के पुल की आवश्यकता

*३७--श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि राजापुर, जिला बांदा में यमुना से बड़ी संख्या में पैदल यात्री चित्रकूट आते-जाते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां।

*३८--श्री जगपतिसिंह--क्या सरकार उनकी सुविधा के लिए रेत में पीपों के पुल की व्यवस्था करने को सोच रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--बांदा जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय सरकार इस व्यवस्था पर विचार करेगी।

श्री जगपति सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगली पंचवर्षीय योजना कब तक बनेगी और कब लागू होगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अगली पंचवर्षीय योजना इस समय भी बन रही है और १ अप्रैल, १९५६ से लागू होगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी इस स्थान पर बरसात के समय क्या व्यवस्था है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय तो नावों की व्यवस्था है।

*३९-४०—श्री गेंदा सिंह—[१२ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

*४१—श्री बशीर अहमद हकीम—[१२ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

सहारनपुर व दिल्ली के बीच यमुना पर पक्के पुल की आवश्यकता

*४२—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि सहारनपुर से दिल्ली तक यमुना नदी पर कोई पुल न होने के कारण जनता को यातायात तथा व्यापार में रुकावट तथा आर्थिक हानि होती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सहारनपुर से दिल्ली तक यमुना नदी पर एक पक्का पुल सहारनपुर अम्बाला सड़क पर और दूसरा दिल्ली के निकट है। इन दोनों पुलों के बीच नदी में नाव के पुल स्थानीय जिला बोर्ड तथा व्यक्तिगत रूप से बनाये जाते हैं जिनके द्वारा यातायात तथा व्यापार बरसात के अतिरिक्त साल के शेष महीनों में जारी रहता है। सरकार के पास ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिससे यह मालूम हो कि पक्का पुल न होने के कारण व्यापार में क्या रुकावट तथा क्या आर्थिक हानि होती है।

*४३—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से लिखा-पढ़ी करने की कृपा करेगी कि शीघ्र ही इस नदी पर इन दोनों नगर के बीच में उचित स्थान पर पुल बना दिया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रत्येक जिले के अन्तर राजकीय मार्गों पर सरकार उस जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार करेगी तदुपरान्त प्रदेशीय योजना में सम्मिलित और अन्तर राजकीय मार्गों के विषय में सम्बन्धित प्रदेशों तथा केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी की जायगी।

*४४—श्री श्रीचन्द्र—क्या यह सही है कि १९२१ के लगभग इस पुल के बनाने के लिये सर्वे हुआ था ? यदि हां, तो वह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना की छानबीन की जा रही है जिसकी प्राप्ति पर माननीय सदस्य को आवश्यक सूचना उपलब्ध कर दी जायगी।

श्री श्रीचन्द्र—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि दिल्ली और सहारनपुर के बीच में जमुना नदी पर स्थानीय डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की ओर से कितने पक्के पुल हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पक्के पुल तो नहीं हैं।

अल्मोड़ा जिले में रामेश्वर गंगोली हाट बेरी नाग सड़क का निर्माण

*४५—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि अल्मोड़ा जिले में रामेश्वर गंगोलीहाट बेरी नाग सड़क में श्रमदान व टेस्ट वर्क के रूप में बहुत काम हो चुका है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां ।

*४६—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कब तक इस सड़क का निर्माण सरकार अपने हाथ में ले लेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस सड़क का आगणन प्रस्तुत किया जा रहा है । आगणन के प्राप्त हो जाने पर सरकार द्वारा इस सड़क के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जायगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आगणन कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बहुत शीघ्र हो जायगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री महोदय को विदित है कि इस सड़क का बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य सड़क की दृष्टि से ही नहीं है बल्कि एक बहुत अन्नाभाव ग्रस्त इलाके की जीविका के साधन का भी सवाल है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो सही है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार जब तक यह आगणन तैयार न हो जाय तब तक इस सड़क का निर्माण टेस्ट वर्क के जरिये करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं ।

चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आगरे में निर्माण कार्य

*४७—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आगरा में चालू पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितने मील लम्बी नई सड़कें बनाई गईं और कितने नये पुल और पुलियां बनाई गईं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आगरा में चालू पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा २४ मील नई सड़कें एक बड़ा पक्का पुल तथा उससे संबंधित सड़कें जिसकी लागत ५,७६,००० रु० है तथा दो मील में पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो २४ मील सड़क बनी है इसमें कितनी तो न्यूली लेड है, कितनी रिकंस्ट्रक्ट हुई हैं और कितनी नेशनल हाईवेज में है और कितनी लोकल रोड में है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ये पूरे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं । लेकिन इतना बता सकता हूं कि १० मील नवीन निर्माण है और १४ मील कच्ची सड़क है ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह २४ मील सड़क ही थी या और इसके अलावा थी जो अभी बननी शेष है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आगरा जिले के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त पोस्ट वार रिकांस्ट्रक्शन में भी काफी काम हुआ और इसके अतिरिक्त और भी कुछ सड़कें बाकी हैं जो बनायी जा रही हैं ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी जो सड़कें श्रमदान द्वारा वहां बनी हैं, उनको पक्का कराने पर भी विचार कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो प्लानिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है और इसका संबंध हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है ।

जिला झांसी की तहसील महरौनी में यातायात की असुविधा

*४८—श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला झांसी में तहसील महरौनी यातायात की दृष्टि से एक सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और अधिक विस्तृत भी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां ।

*४९—श्री रमानाथ खैरा (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि यातायात की सुविधा न होने से डाकुओं के मशहूर गैंग इस इलाके में अनेक वर्षों से जनता को कष्ट दे रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां ।

*५०—श्री रमानाथ खैरा (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस इलाके में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत पक्की सड़कों के निर्माण करने का विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अगली पंचवर्षीय योजना बनाते समय सरकार अवश्य इस ओर ध्यान देगी ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है ।

*५१-५३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[२९ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—[२९ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

रायबरेली के जिला शिवरतन पुर के थाने में सोशलिस्ट कार्य-कर्त्ताओं की गिरफ्तारी सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने एक काम रोको प्रस्ताव श्री मदनमोहन उपाध्याय जी ने उपस्थित किया था मगर वह दिल्ली जाते हुये मुझ से यह कह गये कि वह इस विषय में कुछ कागजात और मालूमात देना चाहते हैं, जिन्हें वे १८ तारीख को देंगे । क्योंकि लिमीटेशन कमेटी के सदस्य होने के नाते उनका जाना आवश्यक था, मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की थी इसलिये मैं समझता हूं कि अब १८ तारीख को वह प्रश्न लिया जायगा ।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी

श्री अध्यक्ष—कल माल मंत्री जी अनुदान संख्या २ के संबंध में भाषण दे रहे थे । (माल मंत्री से) आप भाषण समाप्त कर चुके हैं या जारी रखेंगे ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—कल मुझे श्री गेंदा सिंह जी की चिट्ठी मिली । उसमें लिखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो जरा उसे पढ़ना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—इसी संबंध में है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४८ से ५० तक श्री जोरावर वर्मा ने पूछे ।

श्री चरण सिंह—जी हां।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह मालूम हो जाय कि यह कितनी देर तक चलेगी क्योंकि आगे समय के ऊपर वाद विवाद हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब तो दस, पांच मिनट ही आप को लेने हैं। गेंदा सिंह जी के भाषण के बाद समय नियुक्त कर लेंगे।

श्री चरण सिंह—श्रीमान, १५ मिनट समाप्त कर दूंगा। उन्होंने मुझे लिखा है कि आपने फिर कुछ व्यक्तिगत आक्षेप किया है जिसके सम्बन्ध में आपसे दो शब्द कहूं तो अच्छा होगा। तहसील पडरौना में कब और किस व्यक्ति को मैंने तकावी देने के लिये मना किया और किस को देने को मैंने कहा। जरा इस जानकारी को आप भी कर लें। संयोग से आपका भाषण अब भी जारी रहेगा। जरा इसको स्पष्ट कर दें तो बड़ी कृपा होगी। कल मैंने यह कहा था कि मैं जब देवरिया गया था तो वहां के डिस्ट्रिक्ट आफिसर और एस० डी० ओ० वगैरह ने यह बतलाया कि कुछ भीड़ को लेकर माननीय गेंदा सिंह तहसील में पहुंचे थे और उनकी तरफ से यह कहा गया था कि जिन लोगों को तकावी मिलनी चाहिये उनको नहीं मिली। तो वहां मौके पर जिन लोगों के लिये यह कहा गया कि तकावी नहीं मिली जब उनसे पूछा गया तो मालूम हुआ कि तकावी उन्हें मिली। सिर्फ इतना कहा था। और मैंने यह भी कहा था कि मेरी इत्तला अगर गलत है तो माननीय गेंदा सिंह जी जो कहेंगे वह मुझे मंजूर है। मुझे नहीं मालूम कि यह व्यक्तिगत आक्षेप में आता है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के सिलसिले में कुछ कहा जाय और उसकी नियत पर हमला न हो तो वह आक्षेप नहीं है। व्यक्तिगत आक्षेप करने वाले और लोग हैं और वे इस तरह से आक्षेप करते हैं कि जिसको माननीय गेंदा सिंह जी बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसीलिये वह बाहर चले गये।

उन्होंने दो एक बात बैल वगैरह के तकावी के बारे में और लिखी हैं और वे कहते हैं कि वे नाम भी देने के लिये तैयार हैं। मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर वह नाम देंगे तो मैं फौरन तहकीकात करूंगा और उस तहकीकात के नतीजे से उन्हें मुत्ताला भी करा दूंगा। और अगर वह जरूरी समझें तो मैं डी० एम० से यह भी कहूंगा कि गेंदा सिंह जी को बुला लें अगर उन्हें कोई जाती इल्म हो।

कल मैं यह कह रहा था कि दो एक मित्रों ने और विशेषकर राजारामजी मिश्र (फैजाबाद) ने यह कहा कि लेखपाल तो पुराने पटवारियों से भी गैरईमानदार हैं। श्रीमन्, आदमी सर्विस में रहते हुये अगर ईमानदारी के रास्ते से हट जाता है तो उसके तीन या चार कारण हो सकते हैं एक तो यह कि कायदे कानून ऐसे हों जिसकी वजह से वह बेईमानी करे और बेईमानी करने का उसको ज्यादा मौका हो या उसकी तनख्वाह ऐसी हो कि सूखी रोटी खा कर भी वह गुजारा न कर सके। तीसरे यह कि गलती करते वक्त पकड़ जायं तो उनको सजा न दी जाय, गवर्नमेंट की तरफ से ढील हो। चौथे यह कि देने वाले फुसलाने में ज्यादा कामयाब हो जायं। ये चार कारण रिश्वत के होते हैं। तो श्रीमन्, जहां तक कायदे कानून का ताल्लुक है, मैंने एक पुस्तिका "them and more" जिसमें लिखा है कि पहले पटवारी के क्या अधिकार थे और अब लेखपाल के क्या अधिकार हैं, माननीय सदस्यों की मेजों पर रखी थी और मैं यह समझता हूं कि माननीय मित्रों ने उसको पढ़ने का कष्ट किया होगा। शायद श्री राजाराम जी मिश्र ने भी किया होगा। अगर उन्होंने किया है तो मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन अगर उन्होंने किया है तो कम से कम उन्होंने या किसी और मित्र ने मुझे आज तक यह सुझाव नहीं दिया कि कानून और कायदे को इस प्रकार और बदलो ताकि रिश्वत के मामले में और ज्यादा कमी हो जाय। लेकिन जो पटवारी के अख्तियारात पहले बहुत ज्यादा जो थे वे मैंने सब कम कर दिये। अब वह केवल पड़ताल करता है। अब अगर वह पड़ताल भी

न करे तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। खतौनी में वह इन्दराज नहीं कर सकता है बिला अदालत के हुक्म के। पहले वह आदमी का नाम काट सकता था और दूसरे का नाम ही नहीं लिख सकता था बल्कि उसका स्टेटस भी लिख सकता था। अब कैफियत के खाने में नाम दर्ज करता है, स्टेटस नहीं लिखता है। अब केवल कागज लिखता है उसके इन्दराज का और दोनों फ़रीकैन के दस्तखत लेता है। रसीद पर भी दस्तखत हासिल करता है। मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि देर हो जायगी। पहले दो साल तक कागजात उसके पास रहते थे। अब जैसे ही करेंट इयर खत्म होगा फौरन कागजात तहसील में जमा हो जायेंगे ताकि कोई गुंजाइश ही न रहे कागजात में तब्दीली करने की और अगर कैफियत के खाने में नाम लिखता है तो आकर तसदीक करेगा और तहसीलदार के पास रिपोर्ट भेजेगा। तहसीलदार दोनों फरीकों को बुला कर मुकदमे के तौर पर तय करेगा। और अगर किसी का नाम लिखता है तो वह तीन साल तक मुस्तौजिब बेदखली रहेगा। तो इतना हमने बांधा है चारों तरफ से। प्रायः कोई वास्तविक अधिकार उसके पास रहा ही नहीं केवल रेकार्ड पर रखा है, जो लेखपाल उसका नाम है। और कोई अख्तियार नहीं है एकोनामिक लाइफ है। फिर भी कहा जाता है कि रिश्वत लेता है। तो जहां तक कायदे कानून की बात है हमने बहुत बदलने की कोशिश की। खसरे के कैफियत के खाने में मैं वक्त के कारण उस को छोड़ देता हूं। २२ फरवरी को हमने उसके डिस्क्रशन पर प्रतिबन्ध लगाये हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--मैं एक सवाल करना चहता हूं। क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि लेखपालों को ड्यूटी, जो नेशनल बांड्स लिये जा रहे हैं, उसमें भी देनी है?

श्री चरण सिंह--इस मुहकमा माल से उसका कोई संबंध नहीं। कल भी यह आपने गैरमुताल्लिक बात कही थी और आज भी गैरमुताल्लिक बात कह कर मेरा वक्त खराब कर रहे हैं।

जहां तक तनख्वाहों का सवाल है उसकी तनख्वाह बढ़ाई और उसका भत्ता साढ़े चार रुपये बढ़ाया गया। उसको पेंशन दी गयी और आगे तरक्की करने का कानूनगो बनने का रास्ता खुला। तीसरी बात गवर्नमेंट की तरफ से सजा दी जाय। श्रीमन्, मैं आपसे . . .

श्री अध्यक्ष--आप बीच में खड़े रहते हैं तो मुझे दिखता भी नहीं कि वे सदस्य क्या कर रहे हैं, यही मेरी दिक्कत है, नहीं तो मैं उन्हें टोक देता।

श्री चरण सिंह--मैं आपके जरिये दोनों दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती करने का ताल्लुक है दो बार आदेश भेजे गये कलेक्टरों को कि नातजुरबेकारी की वजह से कोई गलती हो तो माफ की जा सकती है लेकिन ईमानदारी के सिलसिले में अगर शक होता है, तो इसीलिये उनको दो साल तक टेम्पोरेरी रखा है, आप उनको फौरन निकाल दें ताकि ईमादार और गैरईमानदार की छटनी हो जाय। जहां कहीं मुझे जाने का मौका होता है तो मेरा पहला सवाल जो कलेक्टर से होता है वह यह होता है कि उनके ऊपर बहुत सख्त कार्यवाही करो। तो कोई कार्यवाही करने में कोई ढील नहीं हुई। इसलिये श्रीमन्, वही चौथी चीज रह जाती है रिश्वत के दो फरीक होते हैं एक लेने वाला और दूसरा देने वाला। लेने वाले के लिये हमने सब तरह से कोशिश की है कि न ले सके। लेकिन जबतक देने वाला मौजूद है तब तक केवल गवर्नमेंट की कोशिश से रिश्वत रुकने वाली नहीं है। इस संबंध में आपके जरिये अपने माननीय मित्रों से दरख्वास्त करूंगा कि पटवारी के कुछ अख्तियारात नहीं हैं इसका प्रचार वे देहात में कर दें। लेखपाल गांव के अन्दर अकेला रहता है कोई डिप्टी कलेक्टर की हैसियत का आदमी रखा नहीं जा सकता अगर वह रिश्वत लेता है तो मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट उसमें क्या करें। फिर श्रीमन्, जिस तरह से माननीय राजाराम जी मिश्र ने और दो सज्जनों ने कल यह शिकायत की है, ऐसी

[श्री चरण सिंह]

ही शिकायत २२ सितम्बर को भी दो दोस्तों ने की थी। मैं नाम छोड़ देता हूं मैंने उसी वक्त दोनों दोस्तों को चिट्ठी लिखी। शिकायत लेखपालों की की गयी थी। मैं चिट्ठी पढ़ कर सुना देता हूं, जो मैंने उनको लिखी थी।

श्री अध्यक्ष---आप जबानी कह दीजिये।

श्री चरण सिंह---सिर्फ तीन चार लाइनें हैं। मैंने कहा श्रीमन्, फलां साहब का नाम छोड़ देता हूं। अगर वह साहब हैं तो जान लेंगे।

"यदि आप मुझे यह बता सकें कि आपके इल्म में या यकीन में किस किस लेखपाल ने कौन कौन से व्यक्तियों से और अगर हो सके तो कितने रुपये और किस सिलसिले में लिये और यह भी कि आपने इस भ्रष्टाचार की कोई सूचना अपने जिलाधीश, हाकिम परगना या किसी अन्य अधिकारी को दी या नहीं और अगर दी तो क्या नतीजा निकला।"

जो बात कल कही गयी थी कि लेखपाल ज्यादा बेईमान हैं पटवारियों से, तो उसका एक साहब ने आज तक जवाब नहीं दिया। दूसरे सज्जन मुझे मिले दशहरे की छुट्टी में। कहने लगे कि मुझसे कांग्रेस वर्कर्स ने कहा था। उनसे पूछ लूं तब मैं इत्तला दूंगा। कोई इत्तला अब तक उन्होंने भी नहीं दी। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनके पास कोई इत्तिला नहीं है। उनके पास होगी लेकिन एक आदमी रिश्वत लेता है और अगर कोई आफिसर के खिलाफ कोई कार्यकर्त्ता चिट्ठी लिखता है और फिर उन लिखने वालों से कहा जाता है कि भाई बतलाओ और उस पर कोई कार्यवाही न हो तो यह कोई मामूली बात नहीं है। २,४ के बारे में कोई बात हो सकती है और मैं मान सकता हूं कि होगी लेकिन सारी सर्विसेज को कंडम करना उचित नहीं मालूम होता है और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है और उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। आप अपना प्रैक्टिकल सजेश्चन दें तो उससे मदद मिल सकती है। इसलिये मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि लेखपाल जो हैं वे रिश्वत लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। इस कारण जनरल कन्डमनेशन करना किसी तरह से फायदेमन्द नहीं है। एक साहब श्री राजाराम मिश्र ने फरमाया कि हमारे यहां चकबन्दी शुरू होने वाली है तो लोगों को बड़ा शक है कि चकबन्दी का काम ईमानदारी से होगा या नहीं। सुलतानपुर जिला उनके जिले फैजाबाद के पास है वहां मुसाफिरखाने तहसील में जाकर वह देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर चकबन्दी का काम हुआ है। क्यों नहीं मेरे मित्र वहां जाकर इसको देख लेते? उनको मालूम हो जायगा कि किस प्रकार से वहां पर कार्य हुआ है। इस सिलसिले में दूसरे लोगों ने मेरे पास कुछ चिट्ठी लिखी हैं। एक साहब जौनपुर के हैं उन्होंने १२ सितम्बर को एक पत्र लिखा जिसमें वे लिखते हैं कि "यू० पी० में अग्रेरियन रिफार्म का काम चकबन्दी के मामले में आपकी गवर्नमेंट ने उठाया है। अगर इसको भ्रष्टाचार से बचाया जाय तो उससे लोगों का बड़ा हित होगा" मैंने उनको लिखा कि हमारी पूरी कोशिश है कि सही तरीक से यह काम हो। और उनको यह भी लिखा कि आप यदि सुलतानपुर जिले की मुसाफिरखाने तहसील में चले जायं और वहां पर जाकर देखें कि किस प्रकार से काम हुआ है तो मैं बड़ा अहसानमन्द हूं। उन गौरीशंकर जी संस्थापक का जवाब फिर आता है और वह लिखते हैं कि आपकी चिट्ठी मिली और आपकी २२ सितम्बर की चिट्ठी के लिये हम कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं और इस बात की कामना करते हैं कि आपके यहां उन्नति हो। उन्होंने यह भी लिखा कि आपके पत्र के आने के पूर्व ही हम लोग मुसाफिरखाना तहसील कौतूहलवश स्वयं गये थे और वहां पर जो कुछ हमने सुना, देखा और पाया उससे हमको आश्चर्य के साथ साथ बड़ी प्रसन्नता भी हुई। आश्चर्य इस बात से हुआ कि जो ग्रामीण एक इंच जमीन की बाबत दूसरे खेतों को काट देते थे और उपद्रव करते थे उन किसानों ने ही चकबन्दी स लाभ उठाने के लिये बीघों अपने खेतों की कुरबानी हंसते हंसते दे दी। आपकी सफलता में मुझे विश्वास है। ग्रामीण किसान और मध्यम श्रेणी के किसान सब लोग इस व्यवस्था स संतुष्ट हैं।" बाकी खत को छोड़ देता हूं

क्योंकि समय की कमी है। श्रीमन्, चकबन्दी का हमने ऐक्ट सर्वसम्मति से पास किया है। अगर इसमें कोई नुक्स हो तो उस नुक्स को बतलाया जाय और अगर कोई नुक्स नहीं है तो जो किसानों में भ्रम है उस भ्रम को दूर करने का प्रयत्न किया जाय। अगर किसानों में संदेह है है तो उनको समझाया जाय और समझाकर उस संदेह को दूर किया जाय

श्रीमन्, एक बात और कही गयी कि दफा १९८ के मुताबिक गांव समाज भूमिहीनों को जमीन नहीं दे रहा है। यह उनके लिये लाजिमी नहीं है कि वे दे ही दें। उनको अख्तियार तमीजी है। अगर वह समझते हैं तो दें और अगर नहीं समझते हैं तो न दें। ३० जून, सन् १९५४ तक जो हमारे पास आंकड़े हैं, उस समय तक २४ गांवों में ८ हजार एकड़ जमीन तकसीम की जा चुकी है। फिर भी यह हो सकता है कि गांव समाज कुछ गलती कर सकता है। अग्रेरियन सिस्टम में इतने रिफार्म हो रहे हैं अगर उनको अभी ठीक-ठीक तरीके से लोग समझ नहीं पाये हैं तो यह संभव हो सकता है। गांव समाज मैनुअल सब लोगों के पास है। मेरी दरख्वास्त है कि सब लोग अपने-अपने हलकों में जाकर कम से कम थोड़ा सा गांव समाज मैनुअल का पाठ करें और उनको समझायें। यह एक सेवा भी हो जायगी और इससे प्रचार भी हो जायगा। मैं श्री राजाराम मिश्र से कहूंगा कि उनके पास भी यह मैनुअल होगा वह जाकर समझायें कि लेखपाल को इतना अधिकार है और गांव समाज का इतना अधिकार है। अगर इस प्रकार से जनता को समझाने और बतलाने का प्रयत्न किया जाय तो मुझे आशा है कि फिर गांव समाज की तरफ से कोई गलती नहीं होगी वह किसान बिल्कुल बे पढ़ा लिखा है। वह उसको नहीं समझता। जो बातें तहरीरी उसके सामने जाती हैं उनको पढ़ने के वह काबिल नहीं है। इसलिये आपका फर्ज है कि आप उनमें मौखिक प्रचार करें। केवल राजकर्मचारियों के भरोसे, नायब तहसीलदारों के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। एक-एक तहसील में १५-१५ सौ गांव हैं जिसमें एक एस० डी० ओ० और दो नायब तहसीलदार रहते हैं। वे इन १५ सौ गांवों में क्या कर लेंगे और कितनी गलतियां भरी पड़ी हैं। हमारे गांव समाज की ट्रेनिंग भी कराई लेकिन जो रिवोल्यूशन हुआ है अगर उसको वाकई कामयाब बनाना है तो नान-आफीशियल जो जनसेवक हैं उनकी तरफ से भी प्रचार की आवश्यकता है। केवल राजकर्मचारियों के बल पर यह काम पूरा नहीं हो सकता और उसके पूरा होने में देर लगेगी। इसलिये उनका हाथ बटाना चाहिये न कि उनका यूनिवर्सल कंडेमनेशन किया जाय।

सहारनपुर के एक मित्र ने रुड़की के ओलों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। ५ हजार रुपया वहां का जो है वह रेमीशन का नहीं है बल्कि रिलीफ का है। हमने रिकमंडेशन्स मांगी हैं उनके आने पर रिलीफ देंगे। पशुओं के लिये फारेस्ट खोल देने की बात उन्होंने कही, उसके लिये या तो हुक्म गया होगा या चला जायगा। वहां जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गये हैं वे आजमगढ़ से गये हैं। वे स्केअरसिटी के हालात से बहुत वाकिफ हैं, बहुत हमदर्द हैं। जितना वे कहेंगे उससे १ हजार ज्यादा दिया जायगा।

आजमगढ़ के एक मित्र ने कहा कि जब चकबन्दी हो तो जिन लोगों की जमीन सार्वजनिक कार्यों के लिये ले ली गयी है, उनको जमीन दे दी जाय और वह सारे गांव के रकबे में से दे दी जाय तथा हिस्सा रसदी के हिसाब से उसको कम कर दिया जाय। यह सुझाव पहले भी आया था जब कि चकबन्दी का क़ानून बन रहा था। लेकिन हमारे क़ानूनी सलाहकारों ने बताया कि इसके लिये मुआविजा देना होगा। बहुत सी जगह बहुत सी जमीन ज्यादा हो सकती है। लेकिन यह मुआविजा कहां से आयेगा? हां, यह हो सकता है कि फिर मैं अपने कानूनी सलाहकारों को समझाने की कोशिश करूं लेकिन ऐसा हम एक बार कर चुके हैं। लेकिन हमने उन लोगों के लिये एक सहूलियत कर दी है। दफा १९८ में जहां भूमिहीन व्यक्तियों को जमीन देने की बात कही गयी है, उसके लिये हमने जो रूल्स बनाये हैं उनमें यह कर दिया है कि पहले उन लोगों को जमीन दी जाय जिनकी जमीन एक्वायर कर ली गयी है।

श्री अध्यक्ष--आपके १५ मिनट हो गये।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, २ मिनट और दे दिये जायं। २ मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री रामसुन्दर जी पांडेय ने कहा कि लैंड रिकार्ड्स के सुधारने में और भी नुकसान हो गया। श्रीमन्, मैं कहूं क्या। ऐसे क्रिटिसिज्म का क्या असर हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आता। श्रीमन्, २,८०,००० की एन्ट्रीज ठीक की गयीं। उसमें १० हजार ग़लत दर्ज हो सकती हैं, ५० हजार ग़लत दर्ज हो सकती हैं लेकिन जहां २ लाख ८० हजार गलतियां ठीक की गयी हों वहां ऐसी आलोचना करना कि उससे कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है, बड़ी अनोखी बात है। फिर तो यही कहा जा सकता है कि 'विद देअर टंग इन देअर चीक्स'। मैं जब उनके यहां गया, वहां सभा हुई, बहुत से लोग झंडा लेकर आये। उन्होंने कहा कि झंडे हटवा दिये। मैं पूछता हूं कि क्या किसी का झंडा जबरदस्ती छीना? लाल झंडा लेकर कुछ लोग आये थे। मैंने उन लोगों से कहा कि अगर आप मेरी बात सुनने को आये हैं तो झंडा नीचा कर लीजिये, इस तरह से मेरा भाषण नहीं होगा और उन्होंने एक गवर्नमेंट के प्रवक्ता की बात सुनने के उत्साह में झंडे को झुका दिया। इसी प्रकार से जब देवरिया गया तो वहां भी हजारों आदमी आये थे, सोशलिस्ट पार्टी के भी थे और कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे और सैकड़ों आदमी झंडे लिये हुए थे। वहां भी मैंने यही कहा कि जब झंडा नीचा हो जायगा तब अपनी बात कहूंगा। तो श्रीमन्, वहां एक भी झंडा खड़ा नहीं रहा। ऐसा मालूम होता था वहां झंडा कोई था ही नहीं। .....

श्री अध्यक्ष --आप विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है और देहातों में जिस प्रकार से काम हो रहा है, अगर मेरे मित्र सब मिल कर काम करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यू० पी० के देहातों में तिरंगे झंडे के अलावा और कोई झंडा रह ही नहीं सकता।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि चाहे जो भी बात हो, हर मौके पर जमीन बटवारे और मालगुजारी में कमी के मसले को लेकर वे सिद्धान्त की चर्चा न छेड़ दिया करें। कम से कम इस सिद्धान्त की चर्चा पर अपनी शासकीय अक्षमता जो है उसको ढंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इस सिद्धान्त की चर्चा में वे शासकीय अक्षमता को ढंके जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस समय वक्त ही नहीं है कि उनकी बातों का जवाब दे सकूं। भूमि के बटवारे से इंकार करना, दिन को रात कहना, इस समय भी उन्होंने कहा और कल भी कहा था कि हमारे प्रान्त में तो भूमि की समस्या कोई है ही नहीं। लेकिन अगर मैं उनसे कहूं कि वे अपने बुजुर्गों से जो हमारे भी बुजुर्ग हैं, उनसे क्यों नहीं सबक लेते और उनसे क्यों नहीं सीखते कि वे बार-बार कहते हैं कि हमारे यहां भूमि बटवारे की कोई समस्या ही नहीं है। कल ही पार्लियामेंट में कंस्टीटयूशन अमेंडमेंट पर बहस के सिलसिले में बारबार इसकी चर्चा आयी कि जमीन का सवाल ऐसा है जिसमें कम्पेनसेशन का झगड़ा बड़े जोर का कहा गया और इसलिये इस कम्पेनसेशन के झगड़े को मिटाने के लिये कांस्टीटयूशन में अमेंडमेंट की जरूरत है। मैं उनसे सिर्फ कुछ निवेदन कर दूं कि हमारे सूबे में किस तरह से जमीन की समस्या बड़ी तेजी पर है। हमारे सूबे में ३७.८ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास आधा एकड़ या इससे कम जमीन है और इनकी संख्या ४६ लाख कुछ हजार है। कुल संख्या १ करोड़ २२ लाख के खाते में से १ लाख १५ हजार ऐसे खाते वाले हैं जिनके पास १२.९ प्रतिशत जमीन है। १२.९

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिशत जमीन ऐसे लोगों के हाथ में है जो कि एक लाख १५ हजार हैं। और ४६ लाख कुछ हजार ऐसे लोग हैं जिनके पास सूबे की ६ प्रतिशत जमीन है। फिर मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूं कि यह बटवारा कोई बहुत उचित बटवारा है क्या? मैं इस वक्त इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं माननीय राममूर्ति जी से जरूर कहना चाहता हूं कि उनके फार्म को बटवाये बिना मैं छोड़ूंगा नहीं। वे चाहे जितना भी शोर करें लेकिन उनके फार्म का बटवारा जरूर करायेंगे, चाहे माननीय राजस्व मंत्री जी कितना ही हिफाजत उनकी करते चले जायं। आज ऐतिहासिक आवश्यकता है भूमि बटवारे की और उस ऐतिहासिक आवश्यकता से जो इंकार करेगा उसको जो ऐतिहासिक आवश्यकता है वह चपेट मारेगी। फिर उससे इंकार करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं कही जा सकती। इस पर मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मालगुजारी की बात मैं जरूर कहना चाहता हूं।

माननीय राजस्व मंत्री जी जिनका नाम माननीय चौधरी चरण सिंह जी है उनकी गणना वगैरह में मैं विश्वास रखता हूं। वे कहते हैं कि सन् १९३१ के कांग्रेस रेजोल्यूशन से इस वक्त क्या करना है। उस वक्त तो बड़ी सस्ती थी और इस वक्त बड़ी महंगाई है, तो मैं उनसे कहता हूं कि वे जरा इस बात को तो देखें कि सन् १९३१ से आज तक कुछ आर्थिक खाते बढ़ गये क्या? उस वक्त जो आर्थिक खाते थे वे तो इस वक्त अनार्थिक हो गये। आज हालत यह है कि पहले जितने लोगों के पास खाने पीने के बाद चीजें बच जाती थीं उससे कम ही आज लोगों के पास बच पाती हैं। तो क्या आर्थिक खाते बढ़ गये जो आप मालगुजारी बढ़ाने की बात सोच रहे हैं? मैं तो समझता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है इसलिये मालगुजारी बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय, मालगुजारी की बात यह है कि सन् ४३, ४४ में जमींदार १७ करोड़ ३७ लाख रुपया किसानों से वसूल करते थे और उसमें से ६ करोड़ ८१ लाख रुपया सरकार को देते थे। अब इस वक्त १७ करोड़ ३७ लाख रुपये की जगह २२ करोड़ २८ लाख रुपया सरकार वसूल करती है। यानी ५ करोड़ रुपया और बढ़ गया और फिर भी वे कहते हैं कि जमींदारों से अच्छे हैं। वे खुद सोचें और उनकी गणना सोचें कि उनकी बात कहां तक ठीक है। यह केवल इतना नहीं इसके अलावा कोई और रकम भी आध आना रुपया पीछे और कुछ वसूल हो रहा है, सेस का नाम है, वह भी जरा बताते नहीं हैं। वह बतावें तो ठीक हो। तो मैं मालगुजारी की वसूली के सिलसिले में कहूंगा कि जो उन्होंने यह कहा कि आप कहीं बता दें कि गैर कानूनी तरह से मालगुजारी वसूल होती हो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह न कहीं नाम बता दें ऐसा कि जहां मालगुजारी में कुर्की होती है और वारन्ट गिरफ्तारी होती है। जो उनके बनाये हुये नियम हैं उनका पालन होता है। नियम में यह है कि जब तक सभापति डुग्गी न पिटवाये तब तक कुर्की न हो। कहीं बता दें कि ऐसा होता हो। सारे का सारा ढांचा वह सब जगह इस कानून की अवहेलना करता है। मेरे पास अध्यक्ष महोदय, एक गांव सभापति की रजिस्ट्री राम सुभग वर्मा जी द्वारा मिली है, उसे मैं उनकी सेवा में भेजूंगा, यह है पडरौना की और गांव सभापति लिखता है कि मैंने मालगुजारी देना कबूल किया लेकिन तहसीलदार और कलेक्शन अमीन ने कहा कि मालगुजारी लेना हमें मंजूर नहीं है, बल्कि तुमको बांध कर दरवाजे-दरवाजे घुमाना मंजूर है और उसको घुमाया, मालगुजारी नहीं ली। मैं राजस्व मंत्री जी की सेवा में भेज दूंगा ताकि वे इस पर कार्यवाही करें। लाल जी सिंह वाला मामला आपने कल सुन लिया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे अपनी इस इतनी बड़ी फौज को तो देखें कि वह कानून के मुताबिक चल रही है या नहीं।

मुझसे बड़ी शिकायत उनको हुई और मुझको भी उनसे शिकायत हुई। मुझको उन्होंने कहा कि मैं एक भीड़ लिये हुए तहसील में चला गया और वह भी तकावी दिलाने के लिये। मैं

[श्री गेंदा सिंह]

राजस्व मंत्री जी के दरवाजे पर भी अकेला ही आता हूं। हां तहसील में भीड़ इकट्ठी हुई थी मैं भी चला गया और तहसील में जाने के लिये मना तो है नहीं। हां यह बात जरूरत हुई कि जो भीड़ इकट्ठा थी उसने कहा कि साहब कातिक का महीना है और बीज की तकावी नहीं मिली तो मुश्किल हो जायगा। मैंने तहसीलदार से जरूर कहा कि अगर आप जल्दी कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी और उसी को मंत्री जी कहते हैं कि भीड़ लेकर चढ़ गया। मैंने आज तक यह काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि उनकी तहसील में, जो हमसे नाम पूछने का जिक्र किया है, जरा बैलों की तकावी जिनको मिली है और दूसरी तकावी जिनको मिली है, जांच करावें देखें तो कितनी परसेंटेज रिश्वत लोगों ने ली है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूं कि यह कहा मंत्री जी ने कि कलेक्टर के साथ मुझे कर देंगे जांच के लिये। मुझे क्षमा करें यदि वह खुद चले जायं या इस सदन के दो, तीन सदस्यों को भेज दें तो अच्छा हो। लेकिन ऐसे कलेक्टर के साथ मुझे भेज रहे हैं जो खुद ही रिश्वत लेता है। मैं उसके साथ जाने को तैयार नहीं हूं। मैं जरूर कहूंगा कि इस सदन के दो, तीन सदस्यों को भेज दें मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं और मैं देखूंगा कि यह बात सही है। मेरे कान पकड़ लें अगर मेरी बात गलत हो। राजस्व मंत्री जी मेरे बड़े भाई हैं।

अध्यक्ष महोदय, झंडे की बात, वह तो मैं क्या कहूं, बहुत बातें ऐसी हैं जिनका जवाब मैं शायद न दे सकूं। जिस समय वे गये थे दुदही मैंने कहा था कि आप जा रहे हैं, रामसुभग वर्मा जी का इलाका है तो आप उनको साथ लेते जाइये। लेकिन उनको कुछ नापसन्द हुआ कि ऐसे लोग साथ न जायं। उसके पहले एक दुर्घटना हो चुकी थी पडरौना में जिससे हम लोग भी शरमिन्दा हुए। दुदही से दो मील हमारा भी घर है। हम तो उनका स्वागत करना चाहते थे, हम इस तरह से स्वागत नहीं करते जिस स्वागत की वह कल्पना करते थे। हम तो समझते थे कि वह घर के आदमी हैं और सूबे के एक कोने में जा रहे हैं तो जिस तरह से भी हो सके उनकी खिदमत की जाय लेकिन श्री रामसुभग वर्मा उनके नापन्द आये। परन्तु हमारे लोग तो माननीय चरण सिंह जी का स्वागत करना चाहते थे और उनकी बात सुनना चाहते थे, पर जब उन्होंने हठ किया कि जब तक लाल झंडा नहीं उतरेगा हम कुछ बात नहीं सुनायेंगे, उस पर चूंकि लोगों को उनका स्वागत मंजूर था और वह माननीय चरण सिंह जी की बात को मान लेना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि अगर आपका यही हठ है तो लीजिए कुछ देर को झंडा हटाये लेते हैं। लेकिन अगर वह दूसरी तरह से कहते कि झंडा उतारना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि वह लोग ऐसे कमजोर नहीं थे कि झंडा हटा देते। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं तो कम से कम उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं करता था कि वह यहां ऐसी बात कहेंगे।

जहां तक भूमि के बटवारे का विषय है वह तो इतिहास ही बतायेगा कि उसकी आवश्यकता है या नहीं और वह होगा या नहीं होगा लेकिन तीन चार बात मैं बता दूं। अगर वह उनको बदल दें तो मैं उनको अवश्य ही अगले साल बधाई दे सकता हूं। एक तो यह कि जो काश्तकर इंतखाब लेना चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक रुपया देकर वह मिल जाया करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरे तकाबी जो सरकार कर्ज के रूप में देती है वह बिना किसी परसेंटेज दिए ही उनको मिल जाया करे और तीसरे जो रुपया पार्ट पेमेंट में जमा हुआ है वह भी बिना किसी परसेंटेज के दिए हुए काश्तकार को मिल जाय तो बड़ी मेहरबानी होगी इन्दजात के बारे में भी अगर हमारे सूबे का जो ढांचा है वह ठीक हो जाय तो बड़ा अच्छा है। अकेले सुल्तानपुर जिले में ही ३ लाख ५७ हजार खातों में से २ लाख ९६ हजार खाते गलत निकले। इसी हिसाब से देखें कि कितनी गलती अभी इन्दराजों में है। अगर कपूर साहब जैसे कलेक्टर हों तो बड़ी अच्छी बात है अगर उनको ही श्री राजाराम के पास भेज दें तो काम चल जाय। मैंने पहले ५० प्रतिशत लोगों को अच्छा और ५० प्रतिशत को खराब

बताया था, मैं कलेक्टरों में से भी कहता हूं कि उनमें से कुछ परसेंटज भ्रष्ट हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और ऐसे लोग ही सब जगह हो जायं तो काम जरूर अच्छा हो सकता है। जिस तरह से सुल्तानपुर और मुसाफिरखाने में काम हुआ है वैसे ही मंत्री जी हवाई जहाज से जाकर जैसे भी हो जिस तरह से वह कांफ्रेन्सेज में पहुंचते हैं इस काम को ठीक तरह से दौरा कर के देखें, तो बड़ी खुशी की बात होगी और देखें कि कहां भ्रष्टाचार है और किस तरह से वह दूर हो सकता है। वह देखें कि उनके लेखपाल १४ दिन घर पर ही तो नहीं बैठे रहते और परताल वगैरा करते हैं या नहीं और देखें कि उनके आदेशों का पालन होता है या नहीं। अगर वह कहते हैं कि पालन होता है तो उसमें मुझे शक है। इन्दराजात के बारे में मैं कहूंगा कि मंत्री जी की यह सेल्फ काम्पलेसेन्सी है अगर वह समझते हैं कि सब ठीक है और उनको कामयाबी हासिल हुई है। आज कल लेखपाली की पहली ही तक़र्रुरी में सौ रुपये से ४ सौ रुपये तक रिश्वत देनी पड़ती है, जब उनके श्री गणेश ही में रिश्वत है तो वह आगे क्या करेंगे। भूमि बटवारे की हमारे उनके बीच की बात नहीं है वह तो इतिहास की चीज है और उसकी आवश्यकता होगी तो समाज उसको करावेगा और मैं उनको चुनौती को स्वीकार करूंगा।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग विधायक हैं, विधान बनाते हैं, देश के अगुवा हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के सिर पर है और इसीलिए कि बिना किसी रुकावट के यहां बहस हो सके इसके वास्ते नियम बने हैं। यहां चाहे जो कुछ भी कोई कहे उसके लिये कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती, लाइबल के लिए कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। जब इतना बड़ा अधिकार है तो मैं श्री गेंदा सिंह जी से केवल एक बात कहना चाहता हूं, और और दोस्तों से भी कि जब हमको इतना बड़ा अधिकार है तो उसका नतीजा भी यह है कि हमको बहुत संयम से बातें करनी चाहिये। बड़े से बड़े अफसर के खिलाफ नाम लेकर के या इंगित करके इतना बड़ा इलजाम लगाना श्रीमन् मैं नहीं समझता हूं कि हममें से किसी को भी शोभा देता है और मैं इसके लिये प्रोटेस्ट करता हूं जो गेंदा सिंह जी ने बातें कही हैं अब जहां तक इन्दराज वगैरह की बात है कि उसके बारे में मुझे बड़ा नाज और अभिमान है तो मैंने अभिमान की बात केवल दो सिलसिले में कही थी और मैं उन दोनों बातों पर अब भी कायम हूं। एक तो कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज के सिलसिले में कि वहां ईमानदारी से काम हुआ है और उस पर मुझे नाज है और दूसरा कलेक्शन के सिलसिले में कि जब कि हजारों और करोड़ों आदमियों से वसूली करनी पड़ती है लेकिन उसमें बहुत थोड़ी सी शिकायतें आयी हैं और उस पर तो मुझे अभिमान है।

जहां तक रिकर्ड्स में गलतियों की बात है उसके लिये मैंने कल ही कह दिया था कि १५ सालों से निगरानी नहीं हुई इसलिये गलतियां हैं। यह जो बतलाया गया है कि सुल्तानपुर में २ लाख ९६ हजार गलितयां हैं तो उसमें शजरे की गलतियां बहुत सी हैं और १ लाख गलतियां तो शजरे की हैं। अब उससे सब जगह का तो परसेंटेज नहीं लगा सकते। और इस दुरुस्ती से एक एक जगह पर करोड़ों रुपया किसानों को भी फायदा हुआ। उन्होंने खुद अपनी गलती से म्यूटेशन अपने नाम नहीं कराया। फिर भी राज्य कर्मचारियों ने अपनी तरफ से उसको किया। यह बहुत जिम्मेदारी का काम था। उसको राज्य कर्मचारी भी कर सकते थे, और किसान भी कर सकते थे। हमने फीस भी नहीं लगाई। अगर वह करते तो फीस देनी पड़ती। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार या कानूनगो यह स्टाफ बहुत थोड़ा तहसील के लिये है। अब गांव-गांव में जाकर काम करने के लिये नाकाफी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने मुझको ऐसे मौजे बतलाये जिनमें ९० फीसदी से ज्यादा गलतियां हैं। बड़े-बड़े गांवों में एक बड़े अफसर को एक-एक पूरा-पूरा दिन लग जाये। वह दिन रात काम करते हैं। हजारों आदमी रेवेन्यु डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वह लोग हमारे ही जैसे वातावरण

[श्री चरण सिंह]

में पले हैं। जो ग़लतियां और कमजोरियां हममें हैं वह उनमें भी हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह सारे के सारे दूध के धुले हुए हैं और कोई ग़लती नहीं करता है लेकिन इस बात से भी इन्कार करना कि वे सब के सब बेईमानी से काम करते हैं, और जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं यह उनके साथ अन्याय होगा।

श्री गेंदा सिंह—एक सवाल मैं करना चाहता हूं। मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो मैंने बेलगाम बात कही है क्या उसके लिये वे कोई इन्क्वायरी कमेटी बैठाने के लिये तैयार हैं कि मैंने बेलगाम कहा है? जो मुझको बेलगाम कहते हैं वह भी देखें कि कैसी बात किसकी है।

श्री चरण सिंह—बेलगाम बातों के बारे में कोई इन्क्वायरी नहीं होती। (हंसी) हां जो बात तकावी लेने के सिलसिले में रिश्वत ली गई है कही गई है इन बातों के बारे में कोई उदाहरण वह दें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से नहीं जिससे वे कहें उससे इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार हूं। लेकिन गांव-गांव में तहकीकात कराई जाय यह मुमकिन नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—मैंने तो इल्जाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर लगाया है, उसके बारे में आपको क्या कहना है।

श्री चरण सिंह—उसके लिये आप मुझसे बतलाइयेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—मालगुजारी (भू-राजस्व) (लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी) के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न-लिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२२

विपक्ष में —१३६।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—मालगुजारी (भू-राजस्व) (लेखा शीर्षक—७ मालगुजारी) के अन्तर्गत ४,९०,००,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५५-५६ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—(श्री जगन्नाथ मल्ल से) अब आप बाकी अनुदानों के लिये घंटों के हिसाब से समय निर्धारित कर दें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)— अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि अनुदान संख्या ७, २९ और ३४, जो माल मंत्री के हैं ले लिये जायं और इनमें मोटर गाड़ियों वाले अनुदान पर आधा घंटा, परिवहन पर सवा घंटा और बाकी पर सवा घंटा रहे।

श्री अध्यक्ष—तो इसलिये यह समय का निर्धारण सब को स्वीकृत है? (कुछ ठहर कर) आधे घंटे वाले अनुदान में कटौती के प्रस्ताव के लिये समय ७ मिनट रहेगा

और सवा घंटे वाले अनुदान में कटौती के प्रस्ताव मूव करने वाले के लिये समय १० मिनट रहेगा। बाकी लोगों के लिये पहले अनुदान में समय ४ मिनट और दूसरे और तीसरे अनुदान में बाकी लोगों के लिये समय ६ मिनट दिया जायगा।

श्री चरण सिंह--मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या निश्चय किया।

श्री अध्यक्ष-- यह मोटर गाड़ियों के अनुदान के लिये समय आधा घंटा चाहते हैं और अनुदान संख्या २९ और ३४ के लिये सवा-सवा घंटा।

श्री चरण सिंह--अनुदान संख्या ७ में तो केवल दो मिनट का काम है। इसमें तो कहने-सुनने की कोई बात है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--दूसरे कहना चाहेंगे। आप अनुदान पेश कर दें।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय

मन्त्री मंत्री (श्री चरण सिंह)--श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय (लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय) के कारण १,०९,००,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, यह १,०९,००,००० रुपये की दरअस्ल आमदनी होती है और यह एक फंड को टेक्निकली ट्रांसफर कर दिया जाता है। खर्च के तौर पर यह इसमें रखा है लेकिन यह वास्तव में खर्चा नहीं है, यह आमदनी है १,०९,००,००० की जो टैक्स वगैरह से होती है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से, अनुदान संख्या ७--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय--लेखा शीर्षक १२ में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, इसमें राजस्व मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है कि ऐसी कोई बहस की बात नहीं है। वह सही है लेकिन पारसाल उन्होंने राज्य की सड़कों के निर्माण और रख-रखाव के लिये ५२ लाख २ हजार रुपया रखा था और इस साल घट कर २१ लाख ९९ हजार हो गया है फिर भी उस मद में १३ लाख ९६ हजार रुपया पारसाल से भी अधिक मांगा जा रहा है, तो मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे राज्य की सड़कें अब ठीक हो गई हैं, सड़कों का विकास पूरा हो चुका किस कारण सड़कों के काम का यह रुपया कम किया जा रहा है। यही सवाल इस अनुदान के बारे में है, मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसकी सफाई करें।

बाकी जो बातें हैं इस संबंध में, माननीय राजस्व मंत्री बाहर भी कहा करते हैं और यहां भी, अभी जो मोटर आपरेटर्स की एक मीटिंग हुई उसमें भी माननीय राजस्व मंत्री जी ने बयान दिया और उसमें उन्होंने बताया कि टैक्स कम है या ज्यादा यह कैसे पता लगाया जाय। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इतने बड़े विभाग को सम्हालते हैं, राज्य के बड़े भाग के यातायात का इन्तजाम करते हैं, इतने रुपये का जिसमें आवागमन होता है वह माननीय मंत्री जी इस बात को न समझ पावें कि मोटर पर कैसे टैक्स लगाया जाय, किसको ज्यादा कहते हैं, कितने को कम कहते हैं,

[श्री उमाशंकर]

यह कैसे पता लगाया जाय, यह बड़े आश्चर्य की बात है। उन्होंने मिसाल दी कि पार साल तो १०० रुपया रहा और इस साल लगा दिया डेढ़ सौ रुपया। तो पार साल से तो इस साल ज्यादा हो गया। यह सोचने का तरीका उनका रहा। उन्होंने कभी दिमाग पर जोर दे कर निश्चय करने की शायद कोशिश नहीं की। एक रिपोर्ट है के० पी० बसु एकाउन्टेंट जनरल, यू० पी० की, उसमें से मैं आपके सामने थोड़ी सी बातें रखना चाहता हूं। उन्होंने हिसाब दिया है गवर्नमेंट रोडवेज का और उन्होंने बताया है कि एवरेज नेट प्राफिट पर वेहिकिल्स पर डे है एक रुपया पांच आना। एक रुपया पांच आना आमदनी है एक बस की एक दिन की। यह रिपोर्ट तो उन्होंने पढ़ी होगी और पढ़ी होगी तो उनको यह आमदनी मालूम हो ही गई होगी। तो फिर वह यह कैसे कहते हैं कि टैक्स लगाना तो मालूम नहीं हो सकता है कि किस हिसाब से टैक्स लगाया जाय, क्या ज्यादा है या कम है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसको साफ करेंगे क्योंकि आडीटर ने जो बताया है कि एक बस की एक दिन की आमदनी क्या है। वही आमदनी है, उसी हिसाब से उनको टैक्स लगाना चाहिये और सरकार तो खुद व्यापारी हैं। उसी व्यापार का कुछ हिस्सा पब्लिक के हाथ में है और कुछ हिस्सा सरकार के हाथ में है। उनको जब पता चल गया कि क्या आमदनी है तो उसी हिसाब से टैक्स दूसरों पर भी उन्हें लगाना चाहिये। उन्होंने मोटर मालिकों की कांफरेंस में ऐसी ऐसी बातें कहीं जो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने अपनी विद्वत्ता के नाते वह सारी बातें कही हों, तो उन्होंने विद्या का दुरुपयोग किया।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--जरा काम की बात कीजिये।

श्री उमाशंकर--यह काम की ही बात है।

यह परेशानी की बात है कि राज्य का यातायात मंत्री यह न समझ पावे कि कैसे टैक्स लगाना चाहिये, उन्होंने बताया कि हम तो मोटर चलाने वालों को शोषक नहीं समझते हैं। यह तो उन लोगों में इतनी खराबी आ गई थी कि जिसकी वजह से हमने यह काम शुरू कर दिया ताकि वे (प्राइवेट मोटर ओनर) सुधर जायं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि बजट के विवाद में उसके ऊपर आप भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री उमाशंकर--अब दूसरी बात यह है कि एक इंफोर्समेंट स्क्वाड कायम किया है माननीय मंत्री जी ने। मैं देखता हूं कि वह इंफोर्समेंट स्क्वाड जो है उसकी वजह से माननीय मंत्री जी को, इस सरकार को, मेरी समझ से कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसका काम सिवाय करप्शन बढ़ाने के और कोई नहीं है। माननीय मंत्री जी इंफोर्समेंट स्क्वाड का घूम घूम कर के प्रचार करते हैं कि वह बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है।

श्री चरण सिंह--प्रचार भी आपको अखर रहा है।

श्री उमाशंकर--और प्रचार इस बात का करते हैं हर मंत्री, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने डिपार्टमेंट को लेकर इसी बात को कहते हैं कि हमारे यहां सब हरिश्चन्द्र बैठे हैं और हम उनके आगे उनकी रक्षा के लिये बैठे हैं। मैं आप लोगों पर तो कोई शुबहा नहीं कर सकता, कम से कम मैं जहां तक आप लोगों को जानता हूं, मेरे दिमाग में कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकता कि जानबूझकर आपकी ओर से कोई गड़बड़ हो, लेकिन आपके कर्मचारी इतना राज्य भर में करप्शन फैला रहे हैं हर डिपार्टमेंट में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह आपके डिपार्टमेंट से संबंधित इंफोर्समेंट स्क्वाड उसी में है। इसका हर हर प्राइवेट मोटर से बंधा हुआ है २५ रुपया महीना। मैं आपको चुनौती देता हूं और आपसे मांग करता हूं कि आप इसका प्रबन्ध करें और गुप्त रूप से या जैसे भी हो

आप पता लगावें तो आपको मालूम हो जायगा। मैं आपसे सिफारिश करता हूं कि इनके इस करप्शन को आप दूर कीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बहुत कुछ नोट किया था।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह इस अनुदान में नहीं आयेगा। इसको आप दूसरे अनुदान में कह सकते हैं।

श्री उमाशंकर--बहुत अच्छा, मैंने जो एक दो बातें सुझाव के रूप में रख दी हैं उनके संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप उनका निराकरण करने की कृपा करेंगे।

* श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, यह बात सही है कि इस अनुदान में केवल मोटर वेहीकिल्स ऐक्ट के मातहत और टैक्सेशन के मातहत जो रकम आती है वह यू० पी० रोड्स फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं दो चार बातें इस टैक्सेशन के संबंध में और इस रोड फंड के संबंध में कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, आपको मालूम है कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी निकल चुकी है और अब एक प्रकार से निश्चित हो चुका है कि एक निश्चित अवधि तक जो देश के विकास के लिये धन की आवश्यकता है वह वर्तमान सरकार की नीति के अनुसार किस प्रकार से पूरी होनी चाहिये इसके बारे में सिफारिशें निर्धारित की जा चुकी हैं। आप जानते हैं कि मोटर टैक्सेशन ऐक्ट के बारे में पहले एक इंक्वायरी कमेटी बैठी थी। उसने कहा था कि जितना टैक्सेशन हमारे यहां इस पर है उतना संसार में किसी देश में नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां प्रत्येक गाड़ी पर टैक्स लगाया जाता है वह कोई इतना ज्यादा है या कम है बल्कि इतना ही कहूंगा कि स्पष्ट कर दिया जाय कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जो मोटर टैक्सेशन ऐक्ट है आया उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। मेरे विचार से इसमें संशोधन की आवश्यकता है। अभी आपने देखा होगा कि प्राइवेट कैरियर पर टैक्स लगाने के संबंध में एक संशोधन ७५ से १०० रुपये के अनुपात का आया था और हम सबने उसको स्वीकार किया था और पुराने परिवहन मंत्री जी ने संकेत भी किया था कि हम टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद इस पर विचार करेंगे। मैं नहीं जानता कि मंत्री जी ने कोई विचार किया है या नहीं। लेकिन यह अवश्य विचारणीय विषय है।

दूसरी बात यू० पी० रोड्स फंड के प्रशासन के संबंध में है। यह हो सकता है कि इस फंड के ऐडमिनिस्ट्रेशन से मंत्री जी का कोई संबंध न हो, लेकिन क्यों कि मैमोरेंडम के पृष्ठ २३ पर इस मद में इसका जिक्र किया गया है जिसमें बतलाया गया है कि यू० पी० रोड्स फंड से किस प्रकार से अनुदान बांटा गया है। उससे मालूम होगा कि स्टेट्स की रोडस के मेंटीनेंस और इम्प्रूवमेंट में ३० लाख रुपया इस साल पारसाल से कम कर दिया गया है। अगर यह अनुदान पी० डब्ल्यू० डी० के मातहत होता और बजट मेमोरेंडम में स्पष्ट न किया गया होता तो मैं इस समय इस पर कुछ न कह कर कल पी० डब्ल्यू० डी० के बजट के समय कहता। लेकिन इसी मांग के मातहत स्पष्टीकरण दिया गया है तो मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की असाधारण कमी सड़कों में करना मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं है। मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें क्योंकि आप देखेंगे कि ५४-५५ में ५२ लाख रुपया रखा गया था। लेकिन इस साल के यानी ५५-५६ के बजट में केवल २१ लाख रुपया रखा गया है। श्रीमन्, यही चीज है जिसकी वजह से राज्य की सड़कें पक्की नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनको पक्की करने के लिये ही यह अनुदान होता है और इससे पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारी सड़कों का मेंटीनेंस और इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो कम से कम इस यू० पी० रोड फंड ऐडमिनिस्ट्रेशन की ओर भी अगर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे तो उचित होगा क्योंकि वह सुझाव भी दे सकते हैं। अगर मोटर टैक्सेशन ऐक्ट के मातहत यू० पी० रोड फंड में रुपया जमा होता है तो इस फंड का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सही ऐडमिनिस्ट्रेशन हो इस बारे में सुझाव देना माननीय मंत्री जी के हाथ में है अन्यथा यह स्पष्टीकरण इस अनुदान में न होता। लेकिन चूंकि स्पष्टीकरण है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी की जिम्मेदारी को समझता हूं और इसीलिए यह प्रश्न उठाया है।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, एक बात तो गालिबन माननीय उमाशंकर जी ने यह कही कि टैक्स ज्यादा है और उन्होंने हवाला दिया कि मैंने किसी जगह कहा था कि टैक्स ज्यादा नहीं है। मैं अब भी कहता हूं कि ज्यादा और कम निस्बती लफ्ज हैं। किसी की अपेक्षा से कोई चीज ज्यादा होती है या कम होती है। तो मैंने यह कहा था कि अगर टैक्स इतना है कि जिसके वसूल करने से कुछ गाड़ियां बन्द हो गयी हों या बन्द होने वाली हों तब तो समझो कि टैक्स ज्यादा है। लेकिन अगर गाड़ियां भी चल रही हैं और टैक्स भी दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा नहीं है। ऐसी ही बात मैंने कही थी। अब वह कहीं टैक्सेशन के उसूलों के खिलाफ पड़ती हो, मैं नहीं जानता। टैक्स अगर यह ज्यादा है तो सवाल यह है कि कहां टैक्स लगाना चाहिये यह भी तो कोई बताने को तैयार हो। जहां भी टैक्स लगा रखा है सभी जगह ज्यादा है क्योंकि अभी तक हमें किसी दोस्त ने यह नहीं बताया कि यहां टैक्स बढ़ा दो। इसलिये जब तक आप यह न बतायें तो हर वक्त ज्यादा ही ज्यादा कहने से कोई असर किसी पर पड़ता नहीं है।

माननीय तिवारी जी ने कहा कि मैं न यह कहने के लिये तैयार हूं कि ज्यादा है न कह कहने के लिये तैयार हूं कि कम है। उन्होंने बहुत एहतियात से बातें कहीं। केवल उन्होंने कहा कि इस ऐक्ट में तरमीम होने की जरूरत है। श्रीमन्, ऐसे ऐक्ट बहुत कम हैं जिनमें तरमीम होने की जरूरत न रहती हो। मुमकिन है इसमें भी हो। इसलिये वह कभी अपना वक्त निकाल कर अगर प्रैक्टीकल सुझाव दें तो मैं उन पर गौर करने की कोशिश करूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें की हैं।

श्री चरण सिंह—वह शायद मैंने अभी पढ़ी नहीं है लेकिन अगर आप मुझे कोई सुझाव देंगे तो हम उस पर गौर करेंगे।

तीसरी बात यह कि उन्होंने यह फरमाया और माननीय उमाशंकरजी ने भी कहा कि क्यों साहब, सड़कों के पुख्ता बनने की जरूरत इस सूबे के अन्दर रह गयी है या नहीं। अब इसका जवाब तो यही हो सकता था कि जरूरत है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर ३० लाख रुपये कम क्यों किये हैं। तो श्रीमन्, इस ३० लाख रुपये के कम करने की वजह से आगामी वर्ष में सड़कें कम बनेंगी ऐसा नहीं है। पी० डब्ल्यू० डी० का अलग पैसा है। गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यूज से एल० एस० जी० को दो तीन करोड़ रुपया मिलता है जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड को दिया जाता है। यह रुपया तो केवल इस फंड में से मिलता है इसका एलोकेशन फिनेन्स डिपार्टमेंट एल० एस० जी० से करता है। एल० एस० जी० के जो मेरे सहयोगी हैं उनसे मैं कहूंगा कि वह इसका जवाब देने के लिये तैयार हो जायं। लेकिन इसकी तफसील मुझे नहीं मालूम है, यह वही लोग करते हैं। यहां तो जो उन्होंने दिया वैसा मैंने अपने बजट में शो कर दिया।

मैं नहीं समझता कि कोई और बात कही गयी हो जो जवाब तलब हो।

श्री उमाशंकर—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय (लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय) के अधीन १,०९,००,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग और ४४—उड्डयन

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग और ४४—उड्डयन—परिवहन विभाग के अन्तर्गत ४,७९,५०,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, वर्तमान वर्ष की अपेक्षा आगामी वर्ष में कुछ ज्यादा रुपया मांगा है। इसमें २१ लाख ९३ हजार ५ सौ रुपये की एक रकम है जिसकी वजह से यह रकम बड़ी हो गयी है। यह २१ लाख ९३ हजार ५ सौ रु० की रकम सेंट्रल वर्कशाप, ट्रांसपोर्ट विभाग के सस्पेंस एकाउन्ट में डाली जायगी। उसमें १५ लाख रुपये स्टाक के लिये रखे जाते थे। फिर एक करोड़ १५ लाख हुये। बीच में गालिबन पिछले वर्ष कुछ कम हुआ। फिर उसको पूरा करने के लिये यह २१ या २२ लाख रुपया मांगा है। यह एक टेक्निकल चीज है। वास्तव में वह खर्च नहीं होता। यह स्टाक की कुल कीमत में इजाफा करने के लिये है। एक बड़ी मद जिसमें कुछ कमी हो गयी है वह है आपरेशन आफ बस सर्विसेज के सिलसिले में। इसमें १४ लाख ८६ हजार रुपये कम मांगे जा रहे हैं। कारण यह है कि पिछले वर्ष जितने पथ और मार्ग गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करने का विचार रखा था उसके मुकाबले में इस साल हमारा कम मार्गों को लेने का विचार है। इसलिये यह पिछले वर्ष की अपेक्षा १५ लाख रुपये के करीब कमी है।

श्रीमन्, जहां तक बजट के आंकड़ों का संबंध था केवल मुझे इतना ही कहना था। ताकि माननीय सदस्यों को सहूलियत हो जाय नुक्ताचीनी करने में और मुझे सुझाव देने में तो किस प्रकार यह ट्रांसपोर्ट विभाग काम करता है, क्या उसका संगठन है क्या उसका ढांचा है, उसमे मैं थोड़ा सा अर्ज करना चहता हूं श्रीमन्, यह ट्रांसपोर्ट विभाग का हेड होता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और हेडक्वार्टर पर उनकी इमदाद के लिये कई डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर हैं। इस ट्रांस्पोर्ट विभाग के दो भाग हैं। एक तो नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का प्रबन्ध करता है और दूसरा यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट और मोट टैक्सेशन ऐक्ट का इन्तजाम करता है।

जहां तक नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का संबंध है उसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की इमदाद के लिये एक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोडवेज हैं। दूसरे डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर वर्कशाप्स कहलाते हैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट और उसके नियमों का संचालन करने के लिये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की इमदाद के लिये एक डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर ऐडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इनफोर्समेंट होते हैं, एक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर टेक्निकल कहलाते हैं। इस प्रकार पांच डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर हैं। यू० पी० को ८ रीजन में तकसीम किया गया है मोटर विहिकिल्स ऐक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, जिसके रीजन इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली और नैनीताल है। जहां तक गवर्नमेंट रोडवेज का संबंध है नैनीताल और बरेली का रीजन एक कर दिया गया है। इस प्रकार से ७ रीजन हुये रोडवेज के लिये और ऐक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की गर्ज से उसमें ८ रीजन हैं।

श्रीमन्, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिये हर रीजन में एक रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर रहता है जो कि आर० टी० ओ० कहलाता है। उसकी मदद के लिये एक असिस्टेंट आर० टी० ओ० रहता है, एक रीजनल इन्सपैक्टर होता है और एक असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट इन्सपैक्टर होता है। इसी प्रकार से नेशनलाइज्ड जो ट्रांसपोर्ट है उसका एक रीजनल हेड होता है जिसको जनरल मैनेजर कहते हैं। उसकी मदद करने के लिये एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर हेडक्वार्टर होता है और दो असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं। इस प्रकार से इनकी सर-विसेज से यह काम हर रीजन में चलता है। इस तरह से ७,८ रीजन में यह स्टेट तकसीम हो गई है। अब यहां पर हेडक्वार्टर में एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी है जिसमें यह ६ व्यक्ति होते हैं। ट्रांस-पोर्ट कमिश्नर उसका चेयरमैन होता है और Indian Roads Transport Development

[श्री चरण सिंह]

Association का एक प्रतिनिधि एक डी० आई० जी० पुलिस, हैडक्वार्टर्स, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग एन्ड रोड्स ब्रांच, विधान मंडल के दो सदस्य जिनको गवर्नर नामिनेट करे और एक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशन जो सेक्रेटरी के पद पर काम करता है इसके बाकी पांच सदस्य होते हैं। यह स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी डिपार्टमेंट की नीति को संचालित करती है और प्रदेश भर के लिये परमिटें देती है। एक और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी है जो हर रीजन में बनी हुयी है उसका कमिश्नर डिवीजन चैयरमैन होता है, एक रीजन का एम० एल० ए० जिसको गवर्नमेंट नामिनेट करे, एक लोकल बाडीज का नुमाइंदा रीजनल हैडक्वार्टर्स को एस० एस० पुलिस और सुपरिन्टेंडिंग या एक एक्जीक्युटिव इंजीनियर इसके सदस्य होते हैं। इस आर० टी० ए० का सेक्रेट्री आर० टी० ओ० होता है। यह लोग यह तय करते हैं कि किस रोड पर किसको परमिट दी जाय और किसकी कैंसिल की जाय। इनके हुकुम के खिलाफ अगर किसी को शिकायत हो तो उसकी अपील स्टेट ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल को होती है। जिसका चेयरमैन जुडिशियल सेक्रेट्री होता है और उसके दूसरे मेम्बरों को वही नामिनेट करता है। यह जो स्टेट ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल है और आर० टी० ए० है यह सेमी जुडिशियल बाडी है। यह अदालत के तौर पर काम करती हैं। अब श्रीमन्, मैं इस अवसर से यह लाभ उठाना चाहता हूं कि मैंने यह देखा कि जब से यह विभाग मेरे सिपुर्द हुआ बहुत से लोगों की चिट्ठी आती है कि उनको एक परमिट दिला दी जाये वह लोग यह समझते थे कि यह मेरे हाथ में है और मैं इस काम को कर सकता हूं लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि गवर्नमेंट किसी को परमिट नहीं देती है और न कोई काम इसके मुताल्लिक करती है। सारा अधिकार इन्हीं सेमी जुडिशियल बाडीज को है और गवर्नमेंट इनके काम में इन्टरफियर नहीं करती है।

अब हमारा विचार दो सब रीजिनल आफिस खोलने का है। एक तो देहरादून में और अगर रुपया इस विधान सभा ने मंजूर किया तो एक बनारस में। श्रीमन्, एक इन्फोर्समेंट ब्रांच भी है जिसमें पुलिस अफसरान हैं। ऐसे १५ स्क्वेड हैं। ४ इनमें से डी० एस० पी० के अधिकार में है और ११ इंसपेक्टरों के अधिकार हैं? इसका काम यह है कि मोटर आपरेटरों की तरफ से नियमों की पाबन्दी होती है या नहीं तथा जहां नेशनलाइज्ड रोड ट्रांसपोर्ट है उसको भी देखता है लेकिन ज्यादा ध्यान इसका प्राइवेट आपरेटर्स की तरफ ही होता है। यह स्क्वेड यह देखता है कि ला का इन्फोर्समेंट होता है या नहीं। इसके लिये ये लोग बराबर सड़कों पर घूमते रहते हैं। सितम्बर सन् १९५४ के अन्त तक ३२९ मार्गों पर रोडवेज काम करती थीं। हमारे सूबे के अन्दर १० हजार मील के लगभग पुख्ता सड़कें हैं जिनमें से ६,२०७ मील पर स्टेट ट्रांसपोर्ट काम करती है। गवर्नमेंट के पास १७२९ मोटर गाड़ियां हैं, जिनमें से १४१५ बसेज हैं, २०७ ट्रक हैं तथा ५४ टैक्सीज हैं जो किराये पर चलती हैं। सिटी बस सर्विस भी चलाई जाती है। यह लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और बरेली में चलाई जाती हैं। उपनगरों में भी सर्विसेज चलती हैं। फर्रुखाबाद देहरादून और मथुरा में। लोअर क्लास का किराया साढ़े सात पाई फी मील और अपर क्लास का किराया ९ पाई फी मील मैदानों में है। जो मार्ग रेलवेज के पैरेरल हैं उनमें साढ़े सात पाई फी मील से कम भी लिया जाता है लेकिन ५ पाई फी मील से कम कहीं भी नहीं लिया जाता। यह बेरी करता है। कुमायूं में लोअर क्लास का किराया १२ पाई और अपर क्लास का किराया १८ पाई फी मील है। गढ़वाल में १४ पाई और १८ पाई फी मील है। चार्टर्ड बसेज के स्पेशल रेट्स हैं। दो मील के लिये डेढ़ आना, दो से चार मील तक ३ आना चार मील से हर दो मील के लिये १ आना है। मुसाफिरों के सामान के लिये ४ पाई फी मन लिया जाता है, कुमायूं में ६ पाई और गढ़वाल में ८ पाई फी मन लिया जाता है। लेकिन मैदानी इलाके २० सेर लोअर क्लास के यात्री तथा २५ सेर अपर क्लास के यात्री और पहाड़ी स्थानों में २० सेर लोअर क्लास के यात्री तथा ४० सेर अपर क्लास के यात्री बिला किसी किराये के सामान ले जा सकते हैं।

कानपुर में एक सेंट्रल वर्कशाप है जो चीफ मिकेनिकल इंजीनियर के चार्ज में है। उसके ७–८ बड़े बड़े काम हैं। वह गाड़ियों को बनाता है, बाडीज का डिजाइनिंग करता है, इंजिनों को और बैटरीज को रिकंडीशन करता है, टेक्नीशियन्स को ट्रेनिंग देता है, स्टेशन्स की डिजाइन्स करता है, मोटर्स की जनरल ओवरहौलिंग करता है। इसके अलावा वह स्टोर का परजेज करता है तथा उसको तकसीम करता है। इसके अलावा रीजनल तथा सब रीजनल वर्कशाप्स भी हैं।

यह इसके संगठन का ढांचा है जिसको मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं और अपने दोस्तों को भी मैंने उसको बता दिया है ताकि वे भी उसको समझ लें। रुपया बहुत ज्यादा नहीं है, आशा है सदन उसको मंजूर करेगा।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण प्रस्तुत अनुदान के अधीन एक रुपया की कमी किये जाने का प्रस्ताव पेश करता हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने संक्षिप्त भाषण में हमें वही बातें बतलाने की कृपा की जिनको हम बहुत पहले से रिपोर्ट में पढ़ते आये हैं कि ट्रांसपोर्ट का संगठन क्या होता है, उसमें कौन कौन अधिकारी हैं, कितने वर्कशाप हैं, कितने जनरल मैनेजर हैं और क्या क्या हैं, केवल यही बतलाने की कृपा की। खैर उन्होंने चाहे कितना ही कम बतलाया हो परन्तु हम तो इस विभाग को किसी प्रकार से कम महत्व नहीं देते हैं। और यह समझते हैं कि हमारे देश की यातायात प्रणाली वही महत्व रखती है जो महत्व की हमारे शरीर की शिराओं का है। इसीलिये इस ट्रांसपोर्ट विभाग की जिम्मेदारी और इसका उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस उत्तरदायित्व को भली प्रकार निभाने के लिये सबसे पहले तो यह होना चाहिये कि उसके कर्मचारियों की स्थिति सुस्पष्ट होनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जब उन्होंने अपने इस विभाग को हाथ में लिया है तो वे जरा देखें कि आज आपके रोडवेज कर्मचारियों की क्या हालत है। पहले मैं उनको और इस विभाग के भूतपूर्व मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने पहली बार इसकी ओर ध्यान दिया कि ट्रांसपोर्ट विभाग के रोडवेज के कुछ लोग परमानेन्ट किये जायं और इस बजट में करीब १,६०० से कुछ अधिक व्यक्ति ही परमानेंट किये जा रहे हैं।

जहां इस ओर बधाई के पात्र हैं वहां दूसरी ओर एक बात के दोषी भी हैं कि उन्होंने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को रोडवेज पर लागू नहीं किया है। उस में यह था कि जितने व्यक्ति तीन साल से सर्विस में हैं सरकारी डिपार्टमेंट के, उन सभी को स्थायी कर दिया जावे। अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनक्वायरी कमेटी के प्रस्ताव को लागू किया जाता तो कम से कम साढ़े तीन हजार रोडवेज के कर्मचारी स्थायी हो गये होते। श्रीमन्, मैं संक्षेप में आपको बतला दूं कि इस प्रकार से कितने कर्मचारी परमानेन्ट किये जा रहे हैं। आप देखेंगे कि क्लीनर्स ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जिनके ऊपर रोडवेज को चलाने का सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, वे सबसे कम परमानेन्ट किये गये हैं। जूनियर क्लर्क ४८ प्रतिशत, जनरल क्लर्क ५१ प्रतिशत, एकाउन्ट क्लर्क ५३ प्रतिशत और बुकिंग क्लर्क ४४ प्रतिशत परमानेन्ट किये गये हैं लेकिन जनरल मैनेजर का हाल यह है कि वे सेंट परसेंट परमानेंट किये जा रहे हैं। आप देखें कि कंडक्टर्स सिटी बस सर्विस में १४९ हैं जिनमें से केवल १४ स्थायी किये गये हैं यानी १० प्रतिशत हुये। कंडक्टर्स जो दूसरी बस सर्विस में हैं उनकी संख्या ६८६ है जिनमें से केवल ८३ परमानेन्ट किये जा रहे हैं यानी १२ प्रतिशत, क्लीनर्स जो ९५७ हैं, उनमें केवल ८९ परमानेन्ट किये जा रहे हैं यानी ९ प्रतिशत, ड्राइवर्स यू०पी० भर में १,९०५ हैं और उनमें केवल १५१ परमानेन्ट किये जा रहे हैं यानी ८ प्रतिशत और जो चौकीदार हैं उनमें केवल २५ प्रतिशत परमानेन्ट किये जा रहे हैं। तो आखिर यह क्या क्राइटेरियन है? कौन सा क्राइटेरियन उन्होंने रखा है कि एक तरफ तो १०० प्रतिशत, सब के सब परमानेन्ट किये जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो रोडवेज में काम करने वाले बहुत से छोटे छोटे व्यक्ति हैं उनको परमानेन्ट नहीं किया जा रहा है। ड्राइवर्स, क्लीनर्स और कंडक्टर्स के ऊपर ही सबसे अधिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जिम्मेदारी पड़ती है मगर उनको परमानेन्ट करने का यह क्या रेशियो है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। क्लीनर्स की तादाद ९५७ है लेकिन आज तक उनको एक पैसे का भी इनक्रीमेंट सन् ४७ से नहीं मिला है। उनको नाइट एलाउन्स एक पैसा भी नहीं मिलता है। उनको केवल ३३ रुपया वही स्टैटिक पे दिया जाता है।

पिछले साल जब कुमायूं रीजन में आम हड़ताल हुयी थी तब से उनको कुछ माइलेज मिलने लगा है। मैं इस बात को मानता हूं और यह भी मानता हूं कि अब केसेज के डिसपोजल में ज्यादा जल्दी होती है लेकिन अपीलों में अब भी इतनी देर होती है और आम तौर से शिकायत सुनने में आती है और यह भी शिकायत सुनने में आती है कि यात्रियों को सुविधायें इसीलिये नहीं मिलतीं क्योंकि विभाग के कर्मचारी असन्तुष्ट हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि रोडवेज के कर्मचारियों के रहन-सहन के अन्तर की तरफ और उन की बुनियादी मांगों की तरफ ध्यान दें और उनके जो नाइट एलाउन्स, क्लीनर्स की तरक्की वगैरा के जो मामले हैं उनकी तरफ ध्यान दें और गौर करें और अगर वह इस तरफ ध्यान देंगे तो हमें आशा है कि वे कर्मचारी रोडवेज की आमदनी बढ़ाने में और उसके संगठन को सफल बनाने में सहायक होंगे। जहां तक यात्रियों की सुविधा का सवाल है मुझे दुख है कि यात्रियों की सुविधा के लिये जो विश्राम गृह, आवास गृह, पीने का पानी का प्रबन्ध और यूरीनल्स वगैरा जो बनाये गये हैं उन के बावजूद भी अभी इन सुविधाओं की बहुत कमी है, खेद है कि इस बजट में इन चीजों के लिये बहुत कम धन रखा गया है। माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने जब यह स्कीम रखी थी तो उन्होंने कहा था कि ५ साल में हम सारे राज्य में विश्राम गृह वगैरा बना देंगे लेकिन वह चीज अभी तक पूरी नहीं हुयी है और इन चीजों के लिये अब भी बहुत कम रुपया रखा गया है। जो आदर्श और रोडवेज की रूपरेखा हम देखना चाहते थे वह अभी तक हमारे सामने नहीं आयी है। हमें देखना है कि इसका बुनियादी कारण क्या है। इसका खास कारण यह है कि रोडवेज को एक डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। नेशनलाइज्ड रोड ट्रांसपोर्ट पर एडहाक कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जिसके सेक्रेटरी श्री जगदीश प्रसाद, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे उस एडहाक कमेटी की यूनानिमस राय थी कि ——

"The Committee has therefore definitely and unanimously come to the conclusion based not only on the advice received in the course of its investigations but also on the experience of individual members of the Committee that, if this great experiment is not to be a failure from the very beginning, departmental control of the road transport organisation in the province must be ruled out as impracticable at the very outset"

शुरू से ही कमेटी की यह राय थी कि डिपार्टमेंट का कंट्रोल न होना चाहिये और जो बाहर के गवाह वगैरा आये उन सब की यही सिफारिश थी कि विभाग का कंट्रोल न रहे, एडहाक कमेटी की रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन की सिफारिश, पार्लियामेंट का रोड ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, गोरावाला कमेटी की रिपोर्ट सब की एक यही सिफारिश थी कि रोडवेज के संगठन का काम एक कारपोरेशन के हाथ में दिया जाय। दूसरी बात यह है कि अभी तक मंत्री जी ने रेट्स के बारे में कोई ट्रिब्यूनल स्थापित नहीं किया है और अलग अलग दरें पूर्व में और पश्चिम में वैसे ही चल रही हैं। इसलिये अच्छा हो कि गुड्स फ्रेट और पैसेंजर रेट्स तय करने के लिये एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाय, जिससे बहुत सुविधा हो सकती है।

समय कम है, क्या बताऊं कहना तो बहुत था। एनफोर्समेंट स्क्वेड के सम्बन्ध में और मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहूंगा कि इधर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा कितने ही केस अब भी डिसपोजल में पड़े हुये हैं, ७ मोटर मैजिस्ट्रेट रखे गये हैं लेकिन उनके सामने रखने के बावजूद भी अभी हजारों केसेज ऐसे हैं जिनका डिसपोजल नहीं हुआ है, मैं समझता हूं मंत्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा एक बड़ी भारी विडम्बना पैदा हो रही है और प्राइवेट और पब्लिक कैरियर का भेद कम होता जा रहा है, अब मंत्री जी ने भी यह स्वीकार कर लिया कि भेद खत्म हो रहा है। प्राइवेट कैरियर्स

के लिये तो यह शिकायत है कि वह किराये का सामान नहीं ले जाते लेकिन आज सारे प्रांत में इस बात की शिकायत है कि वही बात इन पब्लिक बसेज में भी है। तो श्रीमन्, या तो प्राइवेट कैरियर्स को हटा दें। इन दोनों के रहने से व्यर्थ की ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है। प्राइवेट कैरियर्स को सबको पब्लिक कैरियर्स का रूप दे दिया जाय तो यह सब झगड़ा ही न रहे। दूसरी ओर सेंट्रल वर्कशाप कानपुर है। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि २० लाख जो सस्पेंस का था उसको इस साल रिस्टोर कर लिया गया। मुझे नहीं मालूम कि क्या आवश्यकता इसके लिये पड़ी। जो निश्चय पिछले साल हुआ था वह बहुत उपयुक्त था कि कानपुर वर्कशाप में इतना अधिक सस्पेंस एकाउन्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आडिट रिपोर्ट से भी साफ हो गया है और प्रशासकीय रिपोर्ट से भी साफ हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर वे पुनर्विचार करें।

दूसरी बात यह है कि आप पिछले साल यह देखें कि रोडवेज यात्रियों की जो संख्या थी वह अब कम हो गयी है। इसका क्या कारण है? माननीय मंत्री जी ने देखा होगा कि सन् १९५१-५२ में ४ करोड़ २५ लाख यात्रियों ने रोडवेज की बसेज से ट्रैविल किया और वह १९५३-५४ में घटकर ३ करोड़ ९८ लाख हो गयी। २८ लाख कम यात्रियों ने सफर किया तो यात्रियों की संख्या जो घट रही है इसका क्या कारण है? इसके ऊपर माननीय मंत्री जी विचार करें। इसका कारण है यात्रियों के लिये सुविधा का कम होना और दूसरे रोडवेज और रेलवेज में कोआर्डिनेशन की कमी। ऐडहाक कमेटी ने कहा है और जो बिल अभी पास हुआ है उसमें भी रेलवेज और रोडवेज के कोआर्डिनेशन की बात कही गयी है लेकिन आज तक उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं हुआ। करेस्पांडेंस तो हुआ लेकिन कोई ऐसी कमेटी आपने नहीं बनायी कोई ऐसा आरगनाइजेशन नहीं बनाया जिससे रेल रोड कोआर्डिनेशन हो सके। ब्रिटेन में कैसे उन्होंने इस कठिनाई को साल्व किया। उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसमें रेल, रोड और ट्रांसपोर्ट के सभी के अधिकारी रहे। इसी तरह से यहां पर भी होना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां रोडवेज की आमदनी कम हो रही है। ५३-५४ में साढ़े ३६ लाख की आमदनी गवर्नमेंट बस सर्विसेज से हुयी और अब इस साल प्रोपोजल १० लाख का है। जब कि डिप्रोसियेशन फंड बस सर्विस का हम खत्म कर रहे हैं और गवर्नमेंट एकाउन्ट में डेप्रीसियेशन फंड का ७० लाख रुपया लगा है। आप जानते हैं कि प्रीसियेशन फंड केवल कैपिटल आउटले के लिहाज से खर्च किया जाता है और यदि कैपिटल आउटले रिप्लेस किया जायगा तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि क्या हो जायगा। इससे साबित होता है कि रोडवेज संगठन में कुछ बुनियादी खामी है और इस खामी को जब तक माननीय मंत्री जी दूर नहीं करेंगे तब तक रोडवेज और ट्रांसपोर्ट का प्रशासन उपयुक्त ढंग से नहीं चल पायेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, यह रोडवेज स्कीम का जो बजट हमारे सामने है मैं उसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में दो काम दिखायी देते हैं। एक तो ट्यूबवेल और दूसरा रोडवेज जो जनता को दिखायी देता है प्रत्यक्ष कि कुछ काम हुआ है। सिर्फ तीन वर्ष हुये कि रोडवेज प्रैक्टिकल रूप से आया। अभी पिछले हफ्ते इस सदन के अन्दर प्राइवेट वेहिकिल्स पर बहस हुयी थी उस समय हमारे विरोधी दल के लोग जो आज ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहते हैं, समाजवाद की बात कहते हैं उन लोगों ने प्राइवेट आपरेटरों का समर्थन किया। तो वे कभी कुछ कहते हैं, और कभी कुछ कहते हैं। लेकिन जब यह सरकार अग्रसर हो रही है तो हम धन धरती को हटायें, कैपिटलिट्स को इस देश से खत्म करें ताकि समाज को और जनता को फायदा हो। जो पहले बड़े बड़े मोटर मालिक थे जो अपनी मोटरें चलाते थे, थानेदार के इशारे पर नाचते थे आज इस गवर्नमेंट ने उनको ले लिया और एक मामूली कंडक्टर अपनी बस को पास कर जाता है, न कलेक्टर की परवा करता है, न डिप्टी की, न थानेदार की। कोई उसको रोक नहीं सकता क्योंकि वह भी समझता है कि हम भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं जैसे कि सब इन्सपेक्टर गवर्नमेंट सर्वेण्ट हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं कि इस विभाग में काम काफी सुन्दर हो रहा है।

[श्री शिवनारायण]

अभी हाल ही में कानपुर वर्कशाप से मोटर बन कर आयी हैं । आपके हाउस के नीचे नमूना पेश है । यात्रियों की सुविधा के लिये, मेले के लिये स्पेशल बसेज बनायी जा रही हैं। बड़ी सुन्दर वे हैं । मैंने स्वयं भी देखा है और मेरे साथियों ने भी देखा है कि किस तरह से हमारी सरकार अग्रसर हो रही है । अभी तो ७ वर्ष का नन्हा सा स्वराज्य का बच्चा है, घुटने के बल सीधा हो रहा है, कोई जवान नहीं हो गया है, तगड़ा नहीं हो गया है कि बड़े-बड़े पहलवानों से लड़ जाय या रूस से लड़ जाय या किसी से लड़ जाय, वह वीरेन्द्र शाह जैसा मोटा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--इस तरह से व्यक्तिगत हमला करना ठीक नहीं है ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--इसे उन्हें वापस लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--इसे आप वापस ले लें ।

श्री शिवनारायण--मैं वापस लेता हूं । अभी स्वराज्य का बच्चा बड़ा छोटा है, बहुत बड़ा या पहलवान नहीं है, बल्कि नन्हा सा है । रोडवेज का बच्चा तो ७ साल का भी नहीं तीन वर्ष का ही है । बिल्कुल दूध पीता बच्चा है । आपके सामने जो रोडवेज का सवाल है वह बहुत अहम है, पब्लिक को इससे फायदा होता है । मैं मानता हूं कि बड़ी भीड़ होती है । कुछ कमी है वह इस कारण से कि सरकार ने उसे पूर्ण रूप से अपने हाथ में नहीं ले लिया । मैं सरकार से कहता हूं कि गली-गली और कोने-कोने में वह रोडवेज चलाने की कोशिश करे और जो बीच वाले मोटर मालिक हैं उन्हें हटा दिया जाय । जनता को उनसे शिकायत है । अभी उमाशंकर जी ने टैक्सेशन का जिक्र किया था । माल मंत्री ने जरूर कहा था.....

श्री अध्यक्ष--वह अनुदान तो खत्म हो गया ।

श्री शिवनारायण--टैक्सेशन पर जो एतराज होता है कि टैक्सेशन जो गवर्नमेंट कर रही है वह कम है.....

श्री अध्यक्ष--वह अनुदान खत्म हो चुका । उसको आप छोड़ दें ।

श्री शिवनारायण--मोटर वेहिकिल्स के बारे में मुझे यह भी कहना है कि सरकार ने जो सुभीता जनता को दिया है वह तो ठीक है लेकिन पहले जमाने में दूना किराया देना पड़ता था, वह किराया कम होना चाहिये । अयोध्या वगैरह या मेले में हमारे यहां से जो बसेज जाती हैं उनमें दूना किराया लिया जाता है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ड्योढ़ा ले, दूना न ले और रेलवे के हिसाब से किराया ले । डुमरियागंज बड़नी के इलाके में भी बस चलाने की कोशिश की जाय ताकि उस पिछड़े हुये इलाके के लोगों को भी फायदा हो । कंडक्टर्स की तनख्वाह बहुत कम है । जो पुराने वेतन-दर थे उसी क्रम से उनको वेतन मिलना चाहिये और उसी हिसाब से ड्राइवर के वेतन भी बढ़ने चाहिये ताकि जो असंतोष है वह दूर हो जाय और जो लोग हड़ताल वगैरह कराते हैं उनके मुंह बन्द हो जायं । उनकी नौकरियां भी एश्योर्ड कर दी जायं और ४० परसेंट जो गवर्नमेंट ने पर्मानेन्सी दी है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । तिवारी जी से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार अग्रसर हो रही है और पूरी ख्वाहिश है कि लोग सुखी हों । बस्ती-गोरखपुर रोड पर केवल एक बस चलती है । यह बड़ी इम्पार्टेन्ट रोड है और एक बस वहां और चलाने की व्यवस्था की जाय । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

*राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव हमारे मित्र नारायणदत्त तिवारी जी ने पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जहां तक इस विभाग का कार्य और उस सम्बन्ध में हमारे सुझावों का सवाल था उसे तो नारायण दत्त जी ने बड़ी सुन्दरता के साथ सरकार के सामने रखा है और मैं उन सब को दोहराना नहीं चाहता और मैं समझता हूं कि सरकार उन पर विचार करेगी।

श्रीमन्, चूंकि मंत्री जी ने भी इस विभाग को नया नया लिया है इसलिये मैं इसमें जो यात्रियों को दिक्कतें तथा इस विभाग में जो करप्शन है उस ओर अपने माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा कुछ बताना चाहता हूं। इस विभाग के करप्शन और भ्रष्टाचार को देख कर उसकी देखादेखी दूसरे विभागों में भी बड़ा दुःख होता है। इसमें जैसा कि मंत्री जी ने बताया था कि दो विभाग हैं और उनमें जहां तक सरकारी बसों का सवाल है वहां पर सरकार जरूर अच्छा काम कर रही है और उस काम के लिये हम सरकार को और उसके कर्मचारियों को बधाई देते हैं कि इसका काम संतोषजनक रूप से चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जहां जनता की बसें चल रही हैं और जो परमिट उनको दिये जाते हैं उनके लिये श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि परमिट देने के तरीके में, जो कि एक कमेटी द्वारा दिये जाते हैं, बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर मंत्री जी तकलीफ करें और उस दफ्तर को देखें तो वहां के वातावरण को देख कर एक बाहरी आदमी भी बतला सकता है कि वहां किस तरह से परमिट हासिल किये जाते हैं और कितनी वहां जनता को असुविधा होती है। जनता की शिकायत के कागज दफ्तर में ही रखे रहते हैं और आर०टी०ओ० या किसी अथारिटी के सामने तक वह शिकायतें पहुंच नहीं पातीं। मुझे श्रीमन्, व्यक्तिगत अनुभव है और प्रेसीडेन्ट्स या ग्राम सभाओं के सभापति जो लारियों वगैरह के परमिट दे रहे हैं उसके लिये मैं एक सुझाव दूंगा कि कमेटी के मेम्बरों या जो भी अथारिटी हो उसको यह जान लेना चाहिये कि जिस रूट के परमिट वह ईश्यू करते हैं वह है भी या नहीं। लोग तरह-तरह का भुलावा दे कर इस रूट से उस रूट का और उस रूट से मेन रूट का परमिट लेने की कोशिश करते हैं और नतीजा यह होता है कि बेकार के परमिट तमाम रूटों पर इस तरह से दिये जाते हैं और उन रूटों पर लारियां तो क्या बैलगाड़ी तक नहीं चलायी जा सकतीं। मैं समझता हूं कि इसमें जो भ्रष्टाचार है और जो राजनीतिक पीड़ित हैं और जो इधर से उधर दल में जाने वाले लोग हैं उनको जो परमिट दिये जाते हैं उनमें यह एक मुख्य चीज है और वह लोग इस तरह से भुलावे में डाल कर लारियां लेते हैं और इसके बाद जो आपके इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिये कहना पड़ेगा कि अगर उनकी आमदनी देखी जाय तो उनकी तनख्वाहों से २० गुनी पड़ती है। उनकी इन्कम हर लारी, हर कैरियर से बंधी हुयी है कि इतना रुपया तुमको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देते या बसों को पकड़ने के तरीके हैं जिनको एवाइड करने के लिये उनको पैसा देना पड़ता है। इसको सब लोग जानते हैं और हमारे सदस्य लोग भी जानते हैं। अभी जो मांग की गयी कि अलग-अलग किया जाय तो मैं कहूंगा कि सरकार के अफसरों का नियंत्रण होना चाहिये और इसके लिये जरूरी है कि उन इंस्पेक्टरों की तनख्वाहें बढ़ाये ताकि वह नाजायज तरीके से पैसा लेने की आदत छोड़ें।

दूसरी चीज यह कहूंगा कि जो इंस्पेक्टर्स लोग हैं जो प्राइवेट गाड़ियों का इंस्पेक्शन करते हैं, कारों का इंसपेक्शन करते हैं या परमिट देखने को जायं तो कम से कम यह न होना चाहिये जैसे लाट साहब यहां पर बैठे हुये हैं वहीं से डिमांड करें कि परमिट ले आइये, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखाइये। टैक्सी की तो मैं मान सकता हूं, वह इस तरह से डिमांड कर सकते हैं लेकिन कम से कम जो पब्लिक का कैरियर है और उसको इस तरह से इंस्पेक्टर या कोई भी अथारिटी इंसपेक्शन करने वाली हो रोक कर कहे कि अपना पास लाइये, उनको बुलाइये, हमारे पास, तो यह सभ्यता के नाते ठीक नहीं मालूम होता, यह चीज ठीक नहीं है कि कार ओनर को अपने पास बुलाया जाय। यह तो उनका रोजमर्रा का, रुटीन का काम है इसके लिये जिस तरह से और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]
दूसरे आजाद मुल्कों में सभ्यता का व्यवहार पब्लिक के साथ होता है, वैसा ही हमारे यहां भी होना चाहिये। मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट में इसकी बहुत जरूरत है कि लोगों को बतायें जिस तरह से और देशों में पब्लिक के साथ पुलिस या इंस्पेक्टर्स बिहेव करते हैं, उतनी कर्टसी हम जरूर डिमांड करते हैं।

श्री चरण सिंह---कौन से फारेन कंट्री में ऐसा होता है ?

राजा वीरेन्द्र शाह---हर फोरन कन्ट्री में जो स्वतंत्र हैं वहां जनता की इज्जत करना उनका नियम है, वहां के कर्मचारियों का धर्म है। श्रीमन्, मंत्री जी के मुंह से यह बात सुन कर बड़ा अचम्भा हुआ। मैं कहता हूं कि हर आजाद मुल्क में यह चीज है, वहां जनता की रेस्पेक्ट की जाती है। हमारा देश गुलाम रहा है इस वजह से शायद भले ही अभी यह मनोवृत्ति हो लेकिन उस मनोवृत्ति को दूर करें।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि सरकारी बसों का सवाल है, मैं यह समझता हूं कि जब से सरकारी बसें चलने लगी हैं तब से जनता को बहुत सुविधा और आराम मिलने लगा है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। कुछ शिकायतें इसके बारे में जो हैं, वह इसलिये कि अभी नया विभाग है, चन्द दिनों से यह चीज चल रही है इसलिये इस बात की उम्मीद करना कि एकदम ऐसे पैमाने पर पहुंच जाय जिसमें कोई त्रुटियां न हों, यह सम्भव नहीं है। धीरे-धीरे ही दूर होंगी। मैं यह देखता हूं कि दिन ब दिन कुछ न कुछ उसमें तरक्की होती जा रही है जो उसमें त्रुटियां हैं, जो खराबियां हैं वह कुछ जरूर हैं जिनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान अवश्य दिलाऊंगा ताकि उसमें जल्द से जल्द तरक्की हो सके और वह खराबियां दूर हो सकें। मैं इस बात से सहमत हूं जिसकी तरफ अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया था और वह यह कि गवर्नमेंट रोडवेज के चलाने में कंडक्टर, ड्राइवर और बुकिंग क्लर्क का विशेष हाथ होता है। उन पर ज्यादा भार रहता है और जनता उन्हीं के सम्पर्क में ज्यादातर आती है। तो मुझे यह देखकर के आश्चर्य जरूर हुआ कि जिन पर ज्यादा उत्तर-दायित्व है उनकी तरफ सरकार का कुछ कम ध्यान मालूम पड़ता है। मैंने देखा कन्फरमेशन के सिलसिले में कि यहां लखनऊ हेडक्वार्टर में जितने चपरासी हैं वह तो सबके सब मुस्तकिल कर दिये गये लेकिन जैसा कि अभी बतलाया गया है ड्राइवर और कंडक्टर वगैरह की हालत ऐसी नहीं है कि उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया हो और उनको मुस्तकिल करने की कोशिश की गयी हो। यहां के चपरासी जो हैं उनका तो मेरी समझ में इस विभाग के चलाने में एक नाम मात्र का भाग कहा जा सकता है। तो क्या वजह हो सकती है कि वह सब के सब मुस्तकिल कर दिये जायं और जिन लोगों पर ज्यादा विशेष दायित्व है उन पर कोई निगाह न की जाय। मेरी समझ में तो जितने कर्मचारी हैं सबको इकट्ठा करके यह देखा जाता है कि कौन ज्यादा सीनियर है और किनका ज्यादा अच्छा काम है। उस लिहाज से असल में यह बात की गयी होती तो अच्छा था। लेकिन इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

जहां तक कि कंडक्टर का सवाल है, उनकी हालत तो मेरी समझ में सबसे ज्यादा अबतर है। उनको, ड्राइवर को तो माइलेज दिया जाता है लेकिन कंडक्टर चाहे जितनी दूर का सफर करे, उसको कोई भी माइलेज नहीं मिलता और कंडक्टर और ड्राइवर के लिये यह भी देखा जाता है कि वह जब कहीं जाते हैं और रात को उन्हें रुकना पड़ा तो उनको हाल्ट करने का डी० ए० केवल बारह आना मिलता है। बरअक्स इसके जो हमारे और अफसरान हैं उनको अगर वह फर्स्ट क्लास के डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो उनको कहीं ज्यादा मिलता है और जो कि 'बी' क्लास के हैं वहां पर अगर जाते हैं तो उससे कुछ कम रेट पर मिलता है। लेकिन इनके लिये कोई इस बात का ख्याल नहीं किया जाता। तो उनकी तरफ भी मेरी समझ में निगाह होनी चाहिये। कंडक्टर से कई काम लिये जाते हैं। उसको रास्ते में टिकट भी काटना पड़ता है, जो सामान उस पर रहता है उसको नीचे उतारने और ऊपर

चढ़ाने में भी उससे मदद ली जाती है और कभी अगर इंजन न चले तो स्टार्ट भी करना पड़ता है। मेरी समझ में यह चीज उसूलन तो गलत है। या तो वह क्लर्क समझे जायं या कुली समझे जायं, या टेक्नीशियन। हर एक काम उन्हीं से लेना यह कहां तक उचित होगा? यह चीज मुनासिब नहीं मालूम होती। बाज वक्त तो ऐसा होता है कि इधर वह सामान उतार रहे हैं और उधर पैसेंजर गाड़ी में बैठ जाते हैं जिससे उसको चेक करने में और बुकिंग करने में दिक्कत होती है और सभी काम जब उनको एक साथ करने पड़ते हैं तो काफी देर भी होती है। गाड़ी भी काफी देर रुकी रहती है। इस के अलावा मैंने यह भी देखा कि जो लम्बे रन होते हैं उसमें अक्सर गाड़ियां इतनी अच्छी नहीं दी जातीं जितनी कि कम रन के लिए गाड़ियां दी जाती हैं। मिसालन लखनऊ और सुल्तानपुर के लिए मैं निवेदन करता हूं कि यह एक काफी लम्बा रन है। ८६ मील का रन है। लेकिन इससे ३४, ३५ मील पर हैदरगढ़ एक मुकाम पड़ता है। इसके लिए कौमर बसेज दी जायंगी। लेकिन सुल्तानपुर से लखनऊ के लिये जो थ्रू बसेज चलती हैं उसमें यह बस नहीं दी जाती हैं और आर्डीनरी बसेज दी जाती हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लम्बे रन हैं उनमें यह कौमर बसेज दी जायं।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान संख्या २९ सदन में प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं। जहां तक परिवहन विभाग का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इसकी उन्नति ५ खास-खास बातों पर ही निर्भर है। एक तो यह कि ठीक किराया हो, यात्रियों के लिये सुविधा हो, ठीक समय पर बसेज चलें, भ्रष्टाचार न हो और इसके जितने कर्मचारी हैं वह सब स्थायी हो जायं। अगर यह ५ बातें इस विभाग में ठीक तरह से हों तो मैं नहीं देख सकता हूं कि कहीं भी कमी हो सकती है। अब जहां तक किराये का सम्बन्ध है तो वह तो बंधा हुआ है, निश्चित है। जो तय है वही लिया जाता है, न ज्यादा लिया जाता है और न कम लिया जाता है। इसलिये किराये के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं हो सकती है। जहां तक यात्रियों की सुविधा का सम्बन्ध है, जहां केन्द्र हैं यानी जहां से बस चलती हैं वहां तो यात्रियों को काफी सुविधाएं हैं लेकिन जहां छोटे-छोटे स्टेशन्स हैं वहां यात्रियों के लिये सुविधाओं का अभाव जरूर रहता है। इसमें एक बड़ी भारी दिक्कत रहती है कि जब यात्री की लास्ट बस छूट जाती है और वह बाहर का रहने वाला हो तो उसको किसी भी सुविधा का अभाव रहता है और वह वहां ठीक तरह से रात नहीं बिता सकता है और जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है वह भी कुछ सुविधा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्थान का अभाव रहता है। इस तरह मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस अभाव को दूर करने की अत्यन्त जरूरत है।

जहां तक बसेज के ठीक समय पर जाने का सम्बन्ध है उसके लिये बसेज का टाइम बंधा हुआ है और इस सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो सकती है। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है कुछ दोस्तों ने बतलाया लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं कि परमिट्स के ईश्यू होने में होता है या नहीं। क्योंकि मेरा कोई काम नहीं पड़ता है। यह तो राजा साहब तथा अन्य लोग जिनका काम पड़ता रहता है वही जान सकते हैं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है, भ्रष्टाचार और किसी विभाग में तो हो सकता है लेकिन इस विभाग में भ्रष्टाचार कतई नहीं है। (एक सदस्य—है।) मैं फिर से कह सकता हूं कि नहीं है क्योंकि चेकिंग की व्यवस्था ऐसी है कि हो नहीं सकता है। जहां तक ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और इंसपेक्टर यह चारों मिले न हों तब तक भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, करप्शन नहीं आ सकता है और उनके मिलने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि यात्री टिकट लेकर चलते हैं। राजा साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं है। आज जो देहात के रहने वाले हैं वह भी अनभिज्ञ नहीं हैं और जानते हैं कि टिकट लेकर चला जाता है और कोई उनसे ज्यादा किराया भी नहीं ले सकता है। अगर किसी का एक आध पैसा बाकी रह जाता है तो वह भी उसको वापस कर दिया जाता है।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर कोई यात्री गलती से दूसरी बस में बैठ जाता है या खड़े-खड़े इन्तजार करता है

[श्री रामहेत सिंह]

और बस छूट जाती है तो वह दूसरी बस में नहीं जा सकता है और न टिकट वापस कर सकता है और न उसको पैसे ही मिल सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसे रेलवे में सिस्टम है कुछ पैसे काट कर उसको दाम वापस कर दिये जायं अगर वापस न किये जायं तो दूसरी बस से जाने की सुविधा दे दी जाय। यह बहुत जरूरी है। जहां तक वे पढ़े-लिखे लोगों का सवाल है वह नहीं जानते हैं कि कौन सी बस छूट रही है और नम्बर पूछते रहते हैं और बस छूट जाती है। इस तरह से उनका टिकट भी वापस नहीं होता है और उनको पैसा भी नहीं मिलता है। यह मेरा सुझाव है और मैं आशा करता हूं कि इसे माननीय मंत्री महोदय इसे अवश्य मानेंगे।

तिवारी जी ने एक बात और कही थी कि मैं खास तौर से इस विभाग के लिये कोई महत्व नहीं देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--देता हूं।

श्री रामहेत सिंह--अगर देते हैं तो ठीक है, फिर मुझे कुछ नहीं कहना है।

इसके अलावा स्थायी होने का जहां तक सवाल है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों का यह भी ख्याल है कि जो इस विभाग में योग्य व्यक्ति आते हैं और यह देखते हैं कि हमें स्थायी होने में देर है तो वे रिजाइन करके दूसरे महकमे में जाने की सोचा करते हैं। इसलिये कर्मचारियों को स्थायी करने में थोड़ी शीघ्रता होनी चाहिये।

एक बात और कहूंगा कि जैसे लखनऊ वगैरह में यात्रियों के लिये जैसे टिन शेड्स बने होते हैं वैसे ही छोटे स्टेशनों पर बनवा देने चाहिये, क्योंकि जब बस रुकती है तो १५-१५, २०-२० मुसाफिरों की भीड़ मोटर को आगे से घेर लेती है जिससे बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। अगर बस में से निकल कर कंडक्टर टिकट दिया करें तो यह खतरा खत्म हो जाता है लेकिन वे तो बस में पीछे बैठे हुये ही टिकट देने लगते हैं। इसलिये इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है।

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री नारायणदत्त तिवारी का नाम पुकारा।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं श्रीमन् आप से यह निवेदन करूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी कुछ कह लें तो उसके बाद मैं कहूंगा।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दोस्तों ने स्टाफ के वेतन के सिलसिले में यह राय जाहिर की है कि हमारे यहां वेतन कम हैं कंडक्टर या ड्राइवर या और छोटे राज्य कर्मचारियों के, और वे बढ़ने चाहिये। लेकिन दूसरे प्रदेशों में जो तनख्वाह दी जाती है उससे अगर हम तुलना करें तो यह बात सही साबित नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में ड्राइवर को ४५-२-६५-३-८० रु० का स्केल दिया जाता है और डेढ़ पाई फी मील उसको और मिलता है जितनी कि वह गाड़ी चलाता है। इसका औसत २० रुपये से २५ रुपये फी माह पड़ता है। बम्बई में ड्राइवर को ५० रु० से ८० रु० तक की तनख्वाह मिलती है और कोई माइलेज वगैरह उसको नहीं मिलता है। मैसूर में ४० रु० से ७५ रु० तक है, उड़ीसा में ६० रु० से ८० रु०, कोचिन में ३० रु० से ७५ रु० तक, हैदराबाद में ७५ रु० से १०५ रु० तक। सिर्फ पंजाब ऐसा इलाका है वहां हमारे यहां से ज्यादा है। वहां ८०-४-१२० रु० है। बाकी और जितने पांच सूबे हैं उनके मुकाबिले में उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिलता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--हैदराबाद में ?

श्री चरण सिंह--वहां ७५ से लेकर १०५ है लेकिन हमारे यहां का २०-२५ रुपये मिल कर उतना हो जाता है। हमारे यहां कंडक्टर्स को ४० से लेकर ७० रुपये तक और

७ रुपये गुड कांडक्ट एलावेंस मिलता है। इसलिये कंडक्टर को और कुछ नहीं मिलता, यह बात नहीं है। बम्बई में कंडक्टर को ४० से ७०, मैसूर में २५ से ७५, उड़ीसा में ४५ से ६५, कोचिन में ३० से ४५, हैदराबाद में ५५ से ८५ और पंजाब में ५० से १०० रुपये मिलते हैं। पंजाब में बेशक तनख्वाह ज्यादा है। हैदराबाद में करीब-करीब हमारे बराबर है। पंजाब की पर कैपिटा बजट इनकम हमारी से ठीक डयोढ़ी है। अगर हमारे यहां का एक रुपया है तो उनके यहां डेढ़ रुपया है। इसलिए वह ज्यादा दे सकते हैं। उनका बजट इस बात की इजाजत देता है। इसलिये यह कहना कि हमारे यहां लोगों को कम मिल रहा है ग़लत है। चार सूबों से ज्यादा, एक सूबे के बराबर और छठें सूबे के मुकाबले में बेशक कम मिल रहा है। एक बात यह कही गयी कि स्टाफ का कंफर्मेशन कम हो रहा है। ज्यादा होना चाहिये। चालीस ही फीसदी लोगों का हो रहा है। चालीस फीसदी का इस साल कर रहे हैं और फिर आइन्दा भी हमारा विचार कुछ लोगों को कंफर्म करने का है। धीरे-धीरे कंफर्म करना अच्छा होता है। बजाय एक दम सब लोगों को कंफर्म करने के। कंफर्मेशन के बाद किसी आदमी की कोई गलती पायी जाती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में कठिनाई होती है। इसलिए जिन लोगों को हम बिल्कुल तपा चुके, परख चुके, उनको हम एकदम कंफर्म कर रहे हैं। बाकी धीरे-धीरे ज्यादा से ज्यादा तादाद में कंफर्म करने की कोशिश करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या क्राइटेरियन है ?

श्री चरण सिंह--क्राइटेरियन यही है कि जिनका मेरीटोरियस कंडक्ट और काम है।

माननीय कुंवरकृष्ण वर्मा जी ने यह शिकायत की कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस सिलसिले में। चपरासियों को जो हेडक्वार्टर्स पर हैं उनको कंफर्म किया जा रहा है। आपके पास भी नक्शा होगा। उस नक्शे को अगर आप देखें तो उस नक्शे में तो साफ जाहिर है कि १५६ चपरासी कुल विभाग में हैं। उनमें ३३ कंफर्म किये जाने वाले हैं। उनमें से ६ इलाहाबाद रीजन में, सात आगरा रीजन में, पांच कानपुर रीजन में, चार लखनऊ में, चार गोरखपुर में, तीन बरेली में, और चार मेरठ में हैं। इसमें हेडक्वार्टर का एक भी नहीं है। अगर लखनऊ में हेडक्वार्टर शामिल है तो दूसरी बात है। उसमें भी केवल चार हैं। इसलिए यह कहना कि हेडक्वार्टर पर अफसरों का जिन चपरासियों से टच रहता है उन्हीं को कंफर्म किया जा रहा है यह बात इससे साबित नहीं होती। मैंने विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी से पूछा लिया है और उनका भी यही कहना है कि यह बात नहीं है। इसलिए वह बात गलत मालूम होती है।

एक बात यह कही गयी कि जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं, यह बहुत थोड़ी तादाद में कंफर्म किये जा रहे हैं। यह बात ठीक है। ग्यारह-बारह सौ कंडक्टरों में डेढ़ सौ के करीब कंफर्म किये जा रहे हैं। कारण यह है कि इन्हीं में कैजुअल्टीज ज्यादा होती है। ज्यादातर इत्तफाक से उन्हीं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चलायी जाती है। इसलिए उनको कंफर्म करने में फूंक-फूंक कर कदम रखते हैं। इसलिए अगर कंफर्म कम कर रहे हैं तो पब्लिक हित को ध्यान में रख कर ऐसा कर रहे हैं।

एक बहुत जोर की बात माननीय तिवारी जी ने कही और वह यह कि श्रीमान् राजा-साहब को आज मैं अपनी बात सुनाने को बहुत ही उत्सुक हूं। श्री नारायणदत्त तिवारी ने बजाए डिपार्टमेंटल डाइरेक्शन के कारपोरेशन बनाने के सम्बन्ध में ऐडहाक कमेटी की सिफारिश, गोरेवाला की सिफारिश, प्लानिंग कमीशन की सिफारिश और एक आध रिपोर्ट और सिफारिश की बात कही है।

श्रीमन्, कारपोरेशन के सुपुर्द कर देने से क्या ऐडवांटेज होगी ? ऐडवांटेज यह समझते हैं कि एक तो बहुत जल्दी-जल्दी फैसले हो सकेंगे रुपये के सिलसिले में। दूसरे

[श्री चरण सिंह]

शायद यह कि एफीशेंसी आ जायगी। हमारे यहां एक कमेटी बनी हुई है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं। एक बोर्ड बना हुआ है जिसके चेयरमैन पहले चीफ सेक्रेटरी थे और अब ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हैं। ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी तथा अन्डर सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट जो अब डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांस्पोर्ट हैं, इसके मेम्बर हैं। चीफ सेक्रेटरी जो पहिले चेयरमैन थे वे भी अब इसके मामूली मेम्बर हैं। इस बोर्ड में ऐसे मसले आते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जायं, वहां पर देर लगे तो इसी वजह से फाइनेंस सेक्रेटरी को इसका मेम्बर बनाया हुआ है और रुपये-पैसे के सम्बन्ध में फैसले यहां पर ही ले लिये जाते हैं जिसमें कार्य करने में देर नहीं होती है। और बावजूद कारपोरेशन यहां पर न होने के किस एफिशियेन्सी से यहां पर काम हो रहा है, वह आंकड़े मैं आपकी इजाजत से सदन के सामने पढ़ना चाहता हूं। जहां पर कारपोरेशन है उनके मुकाबले में हमारे यहां आया बेहतर काम हो रहा है या नहीं और यही नहीं, बल्कि देश में और जितने प्रदेश हैं उनसे भी यहां पर बेहतर काम हो रहा है या नहीं, इस बात का आपको पता इन आंकड़ों से लग जायगा। यू० पी० में १० हजार मील पीछे जो ब्रेक डाउन होता है वह ०.९३ है, हैदराबाद में २.१५, मैसूर में १.५९, बम्बई में जहां पर कारपोरेशन है २.१४ है, मध्य प्रदेश में १.८ और ट्रावंकोर में ३.९ और हमारे यहां जो ब्रेक डाउन होता है वह मैं ऊपर बतला चुका हूं कि वह ०.९३ है।

अब और जगह कितना फी मील गैलन पेट्रोल और डीजिल खर्च होता है उसके आंकड़े भी मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे यहां यू० पी० में पेट्रोल फी गैलन का एवरेज ११.४ है और डिजील १५.७५ है। हैदराबाद में पेट्रोल का तो नहीं दिया लेकिन डीजेल पर १३.६८ मील चलती है। मैसूर में पेट्रोल पर ९.६४ मील चलती हैं और डीजेल से १२.६३ मील चलती हैं। बम्बई में प्रेट्रोल पर ७.७६ मील चलती है और डीजेल से १२.२२। मध्य प्रदेश में पेट्रोल से ८.९ का हिसाब फी गैलन आता है और डीजेल का १३.७ आता है। ट्रावनकोर में पेट्रोल का ८.४ और डीजेल का हिसाब १४.० फी गैलन आता है। हमारे यहां गाड़ियों पर पेट्रोल और डीजेल फी गैलन चलने का एवरेज हर स्टेट से ज्यादा आता है और हमारे यहां गाड़ियां ज्यादा माइलेज देती हैं। तो इससे यह मालूम होगा कि कितनी एफिशियेन्सी के साथ हमारे यहां काम हो रहा है। मैं इन आंकड़ों को फिर दोहरा सकता हूं। अब आप लुबरिकेटिंग आयल का हिसाब मीलों पर देखें कि हमारे यहां पेट्रोल की विहिकिल्स पर तो ७०८ मील आता है और डीजेल पर ८२६ मील तक चलने का हिसाब आता है। हैदराबाद में डीजेल वाले विहिकिल्स पर ६३६ मील तक आता है जब कि हमारे यहां वह ८२६ मील तक काम देता है। मैसूर में ११७८ मील यह लुबरिकेटिंग आयल चलता है। अलबत्ता इसमें यह दिया हुआ है यह जरूर ज्यादा है लेकिन मुझे इसमें कुछ गलती मालूम होती है शायद यह दोनों के लिये दिया हुआ है और दोनों का जोड़ यह दिया गया है। बम्बई में पेट्रोल वाली गाड़ियों का एवरेज ३७२ मील और डीजेल का ५७५ मील है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की गाड़ियों का ३३५ और डीजेल वाली का ६१६ मील है और ट्रावनकोर का अभी प्राप्त नहीं है। अब आप देखें कि हमारे यहां गाड़ियां करीब सभी जगह से कम लुबरिकेटिंग आयल इस्तेमाल करती हैं और फी गैलन सब जगह से अधिक मील चलती हैं।

अब आप विहिकिल्स पर कितना स्टाफ रहता है उसका भी हिसाब देखें कि यहां पर कितना रखा जाता है और दूसरी स्टेट में कितना स्टाफ रखा जाता है। हमारे यहां ५.७७ परसेंट का एवरेज आता है। हैदराबाद में ७.१७, मैसूर में ६.४५, बम्बई में ८.२३, मध्य भारत में ८.५३ और ट्रावंकोर में ९.३ परसेंट का हिसाब है। हमारे यहां से उनके यहां करीब डयोढ़ा स्टाफ रहता है। इतने ज्यादा मुलाजिम वहां पर रहते हैं, इसलिए उनको गालिबन तनख्वाह पर भी अधिक पैसा खर्च करना पड़ता

होगा। एवरेज माइल आफ न्यू टायर्स इस प्रकार से हैं—— हमारे यहां ३४,५१८ मील, हैदरबाद में १६,८२५ मील, यानी ५० प्रतिशत, मैसूर में २२,४६५ मील यानी ६५ प्रतिशत, बाम्बे में १५,३९० मील यानी ५० प्रतिशत मध्य प्रदेश में, १७,१२३ मील यानी ५० प्रतिशत। इस प्रकार हमारे यहां सब से करीब-करीब दूना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी——और किराया भी तो बताइये ?

श्री चरण सिंह——पहले एफीशियेंसी की बात तो सुन लीजिये। कुछ लोगों को दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और अपनी चीज में अवगुण ही अवगुण नजर आते हैं। एक बात और है कि वहां बाम्बे में कारपोरेशन है वहां पर हेडक्वार्टर ऐक्सपेंडीचर १०.४२ पाईज फी मील है लेकिन हमारे यहां १.३७ है यानी उनका केवल साढ़े १२ प्रतिशत है। तो इससे यह जाहिर होता है कि कारपोरेशन की वजह से ही एफीशियेंसी नहीं बढ़ती बल्कि जहां पर स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट है वहां की हालत ज्यादा अच्छी है।

एक बात यह भी कही गयी कि पैसेंजर्स की तादाद कम हो रही है। मेरे पास एक छोटी सी पुस्तिका थी, मैं उसमें से पढ़ रहा था लेकिन उसमें तो ऐसी बात नहीं थी, मैंने अपने सहयोगी राजकर्मचारियों से पूछा कि वह कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं तो मुझे बताया गया कि वे पढ़ तो उसी किताब से रहे हैं लेकिन दो साल पहले के आंकड़े पढ़ रहे हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें जो संख्या दी गयी है वह इस प्रकार है। शुरू में उनकी तादाद ५६ लाख थी फिर उसकी प्रगति इस प्रकार से रही—— १२१ लाख, २६५ लाख, ३८१ लाख, ४२५ लाख, ३९७ लाख, ४४४ लाख, और इस साल में ६ महीनों का २६२ लाख होता है यानी पूरे साल का करीब सवा पांच करोड़ होगा। आपने जो फिगर पढ़ी वह ३ करोड़ ९७ लाख सन् ५२–५३ की पढ़ दी। अब मैं क्या कहूं। मेरे पास शब्द नहीं हैं कि उनकी काबिलियत बयान करूं। इसी प्रकार से इनकम और एक्सपेंडीचर के आंकड़े दो साल पहले के पढ़ दिये। हमारे यहां जो इनकम कम हुई है उस साल कुछ ऐसा स्लम्प आया था कि वैसी कमी हर सूबे में हुई, मालूम यह भी हुआ कि ५२–५३ में जो कमी हुई है वह दुनिया भर में हुई है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि एक साल कमी क्यों हुई और फिर क्यों बढ़ती गयी। इसलिये उन्होंने जो कुछ कहा वह फेअर क्रिटिसिज्म नहीं कहा जा सकता। रेल रोड कोओर्डिनेशन के बारे में माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में अपने सुझावों से हमें मुस्तफीद करें।

राजा साहब ने करप्शन की बात कही। करप्शन, करप्शन, करप्शन, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, आखिर मेरी समझ में नहीं आता कि यह कहते-कहते उनकी जबान कड़वी क्यों नहीं हो जाती।

राजा वीरेन्द्र शाह--और कोई नाम बताइये।

श्री चरण सिंह——बहुतों के दिमाग में यह करप्शन की बात घुसी हुई है। करप्शन कुछ थोड़ा सा है और उसका दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी बात अफसरों के इनसिविलिटी की कही गयी कि इन अफसरों की इतनी हिम्मत कि दूसरा आदमी जो गाड़ी में जा रहा है उसको अपनी गाड़ी में बैठे-बैठे ही रोक लेवे और कहे कि लाइसेंस दिखाओ। क्यों साहब उसने कौन सा जुर्म किया अगर उसने अपनी गाड़ी से उतरने के बजाय गाड़ी में बैठे-बैठे ही गाड़ी को रोक लेने के लिये कहा। क्या वह अफसर सिटिजन नहीं है, क्या वह सेवक नहीं है ? क्योंकि वह राजकर्मचारी है इसलिये उसको कोई डिगनिटी ही नहीं है और वह कीड़ा हो गया मिट्टी का ? जब जैसी जरूरत होती है उसी के अनुसार वह देखने की कोशिश करता है। यह तो मौके-मौके की बात होती है। अब आप उसके लिये कहें कि हर दफा अपनी गाड़ी से उतर कर ही हमारा गजटेड अफसर हाथ जोड़ कर खड़ा हो

[श्री चरण सिंह]

कि साहब मेहरबानी करके दिखलाइये, तो यह भला कैसे हो सकता है ? आखिर गवर्नमेंट आफिसर भी इंसान होता है और इंसान होने की वजह से उसकी भी कुछ डिगनिटी होती है। हां, इस बात को मैं मानता हूं कि जो सेवक होता है चाहे वह नानआफिशियल हो या पब्लिक सर्विस में राजकर्मचारी की हैसियत से हो उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है और उसको सिविल होना चाहिये। लेकिन अब उसके लिये यह कि कोई रूल ले डाउन कर दिया जाय कि वह हमेशा अपनी गाड़ी से उतर कर ही चेक करे नामुमकिन सा है। हां, जनरल इस तरह का आर्डर देने पर विचार किया जा रहा है कि जब जहां जैसी जरूरत हो उसके अनुसार ही काम किया जाय।

रिटर्न आफ टिकट के संबंध में श्री रामहेत सिंह जी ने जो कहा उसका मैं निहायत समर्थन करता हूं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात करके इस पर विचार किया जायगा कि जिस तरह से रेलवे में एक आना काट कर टिकट वापस कर दिया जाता है उसी तरह से इसमें भी प्रबन्ध कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान की फिर ताईद करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष--क्या आप अधिक समय लेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय मंत्री जी ने जितना समय लिया है उसी के अनुपात से मैं भी समय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने पहले ही आपको बतला दिया था, इसलिये आपको अधिक समय नहीं मिलेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हैदराबाद बम्बई, मैसूर के बड़े काफी एक्जास्टिव और ब्योरे के आंकड़े यहां प्रस्तुत किये कि यहां ड्राइवर्स को तनख्वाह भी ज्यादा है, कंडक्टर्स की तनख्वाह भी ज्यादा है। यहां कारपोरेशन भी नहीं बना है क्योंकि डिपार्टमेंट का इतना अच्छा इन्तजाम है कि सारे हिन्दुस्तान के मुकाबिले में सबसे कम खर्च पड़ता है और सबसे ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। उन्होंने एवरेज माइलेज आफ न्यू टायर का बतलाया, पर गैलन कितने मील गाड़ी चलती है यह बतलाया, १०,००० माइल्स में कितनी गाड़ियां ब्रेकडाउन होती हैं, यह भी बतलाया। यह भी बतलाया कि यहां एक गाड़ी पर कितने आदमी इम्पलाईज हैं। अब इसके लिये श्रीमन्, मैं क्या कहूं कि यहां कोई खास किस्म का इंजन आता हो, यहां कोई खास किस्म की सेवरली गाड़ी आती हो और खास किस्म के टायर आते हों, तो श्रीमन्, मैं नहीं जानता। माननीय मंत्री जी ही इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन यह बिलकुल टेक्निकल मामला है कि एक गैलन तेल से गाड़ी कितने मील चली या इंजन कितने दिन चला, इसका डिपार्टमेंट से बहुत कम संबंध है और इसके लिये अगर किसी की तारीफ की जा सकती है तो वह ड्राइवर्स की ही की जा सकती है कि उसने इतनी अच्छी तरह से गाड़ी को मेंटेन किया कि गाड़ी ज्यादा दिन तक चली। यह नहीं कहा जा सकता कि इसका डिपार्टमेंट से कोई बहु बड़ा सम्बन्ध है।

दूसरी चीज आप यह देखें कि कितने व्यक्ति यहां एक गाड़ी पर इम्प्लाईज हैं और कितने दूसरी जगह हैं। यू० पी० में एक गाड़ी पर ५ आदमी काम करते हैं जब कि बम्बई में ८ या कहीं ७ या कहीं १० आदमी काम करते हैं। एक गाड़ी पर ५ आदमी के काम करने का मतलब यही है कि हमारे यहां अंडर इम्पलायमेंट है। इसी तरह से आप देखेंगे कि ओवर टाइम की समस्या है जो बार-बार उठायी जाती है। माननीय मंत्री जी ने सब कुछ तो बतलाया लेकिन क्लीनर्स के बारे में जो कहा गया था कि उनको एक पैसा भी इनक्रीमेंट नहीं मिलता है उस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर उनको खामोशी अख्तियार करनी पड़ी। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि और जगह के क्लीनर्स को कितनी तनख्वाह मिलती है और उनको कितना इनक्रीमेंट मिलता है। यह भी कहा गया कि आंकड़े गलत बतलाये गये हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट छपती है वह हर साल रिवाइज करने के बाद फाइनल रिपोर्ट छपती है। एक एडहाक यानी कामचलाऊ कमेटी होती है जिसकी रिपोर्ट हमारी मेज पर रख दी जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, आप को याद होगा कि कि मेज पर जो रिपोर्ट रखी गई थी उस के आंकड़े मैंने पढ़ दिये जो रिवाइज हो गये, मैंने गलती की कि उन को पढ़ दिया, वह तो एक साल पहले के थे। इस साल के आंकड़े सही नहीं है, सही तो फाइनल रिपोर्ट के माने जाते हैं, ऐसा मंत्री जी कई बार कह चुके हैं। पिछले साल फारेस्ट विभाग की रिपोर्ट से मैंने आंकड़े पेश किये तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यह फिगर फाइनल नही हैं यह तो वह रिपोर्ट है जो विभाग पहिले से तैयार कर देता है और बाद में दूसरे रिवाइज्ड आकड़े तैयार होंगे वह फाइनल होंगे और उन को गलत बताया जो पहली रिपोर्ट में दिये थे। अगर आप बजट मेमोरेंडम के पेज १०८ पर देखें तो उस में बस सर्विसेज का प्रोफारमा एकाउन्ट दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि उस के गलत होने का सवाल नहीं उठता।

अन्त में मैं कहूंगा कि उन्होंने जो बताया कि हम क्लीनर और ड्राइवर को ज्यादा वेतन दे रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वह इस का पता लगावें और इस काम के लिये एक कमेटी बनावें जो देखे कि दूसरे प्रांतों के मुकाबिले में आप के यहां की दरें कितनी कम या ज्यादा हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक यहां सहूलियतें और वेतन की दरें और जगह से कम हैं। अच्छा है कि आप मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट में भी संशोधन करावें और केन्द्रीय सरकार को प्रेरित करें कि वह अपने मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट को बदले। जिस तरह से उस ऐक्ट में संयुक्त जिम्मेदारी दिखलायी गई है, इस तरह का नियम न होना चाहिये बल्कि जिस तरह से रेल में पैसेंजर की जिम्मेदारी बिना टिकट होने पर ठहराई जाती है उसी प्रकार यदि बसेज में भी ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी न रख कर जिम्मेदारी पैसेंजर की रखी जाय तो अच्छा है। इस से मैं समझता हूं बहुत हद तक करप्शन दूर हो जायगा। इस तरह की ज्वाइन्ट रेसपान्सिबिलिटी को खत्म करना चाहिये। इसके अलावा एक पे कमेटी के भी मुकर्रर होने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आजकल परमानेंट करने का जो उन का क्राइटेरियन मेरिटोरियस कंडक्ट का है वह भी गलत है, मैं चाहता हूं मंत्री जी इस पर फिर विचार करें और जो लोग मेरिटोरियस कंडक्ट की बिना पर परमानेंट होने पर रह जायं उनके बारे में भी वह फिर विचार करें।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में केवल एक बात कहूंगा। उन्होंने अभी कहा कि "व्हाट एबाउट रेट्स?" तो मैं उनको बता दूं कि बम्बई मे रेट हैं ९ पाई पर माइल, हैदराबाद में साढ़े दस पाई पर माइल और हमारे प्रदेश में वह है नीचे दरजे के लिए ७ १।२ पाई पर माइल और अपर क्लास के लिये ९ पाई पर माइल।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९-परिवहन विभाग (लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग और ४४-उड्डयन) के अन्तगत ४,७९,५०,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४---लेखा शीषक---५४---दुर्भिक्ष सहायता

मालमंत्री (श्री चरण सिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं अनुदान संख्या ३४-दुर्भिक्ष सहायता (लेखा शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रामित धनराशि) के अन्तर्गत १७,८१,९०० रुपये की मांग पेश करता हूं।

[श्री चरण सिंह]

इस ग्रांट में कहत या अभाव को रोकने के लिये अगर कोई पड़ ही जाय और उससे जो लोगों को कष्ट होता है उसको कुछ कम करने के लिये जो खर्च किये जाते हैं वह होते हैं। इसमें जिस रुपये की जरूरत होती है वह इसमें फेमिन रिलीफ के नाम पर रखी जाती है। यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड है उसमें से रकम निकाली जाती है और अगर उसमें कमी हो जाती है तो उसमें जोड़ दी जाती है। वह रकम भी इसी ग्रांट के जरिये से ली जाती है। यू० पी० रिलीफ फंड सन् १९३६ में कायम हुआ जिसमें ५५ लाख रुपये थे जिसमें से गवर्नमेंट आफ इंडिया की सिक्योरिटीज ५३ लाख ५६ हजार तीन सौ रुपये थी। अब इन ५५ लाख में से जितनी रकम जिस साल निकाल लेते हैं अगले वर्ष के बजट से उतनी रकम उसमें जोड़ देते हैं ताकि ५५ लाख का आंकड़ा बना रहे और उससे कम न हो। इस साल हम १६ लाख ले रहे हैं और आगामी वर्ष के बजट से उसमें रख रहे हैं क्योंकि ३१ मार्च, ५५ को हमारा अनुमान है कि यह रकम इसमें ३९ लाख रुपये रहेगी। इसलिये १६ लाख रुपये विधान मंडल से स्वीकृत हो जाने पर उसमें रख दिये जायेंगे। मौजूदा साल में बहुत बाढ़ आने के कारण हमको टेस्टवर्क्स जारी करने पड़े। टेस्ट वर्क्स जो फ्लड्स की वजह से जारी किये गये थे उनमें २० लाख ३८ हजार रुपये वर्तमान चालू वर्ष में खर्च हुये। और वैसे सूखी वगैरह की वजह से ३ लाख ९४ हजार रुपये टेस्टवर्क्स पर खर्च हुये। ग्रेचुटस रिलीफ जिसको अहैतुकी सहायता कह सकते हैं उसमें सवा सात लाख रुपये इस वर्ष खर्च हुये। फ्लड के कारण ४ लाख ९६ हजार ३५१ रुपये, ड्राउट के कारण १ लाख ९ हजार २ सौ रुपये, ओले के कारण ३० हजार ५०० रुपये और आग लग जाने के कारण ९० हजार ७७० रुपये तकावी जो दी गई इस फ्लड वगैरह के कारण कल ४८ लाख ९३ हजार ८ सौ रुपये खर्च हुये और जो रेमिशंस मालगुजारी में होने वाले हैं चाहे सूखा के कारण चाहे फ्लड के कारण इस के जो प्रपोजल्स हमारे पास आये हुये थे जिनमें रेमिशंस के आर्डर्स नहीं हुये और जिनकी वसूलयाबी स्थगित कर दी गई जिसको करने का अधिकार जिलाधीशों को होता है वही स्थगित कर सकते हैं लेकिन उसके लिये प्रेलीमिनरी रिपोर्ट आयी है वह ५३ १/२ लाख रुपये रेमिट करने के हैं। इस प्रकार हमारे माननीय मित्र देखेंगे कि यह सब १ करोड़ २४ लाख के करीब हुये जो इस फ्लड के मामले में खर्च होते हैं। फिर फ्लड के इलाके में स्थित स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी फीस माफ की गयी और उन स्कूलों को गवर्नमेंट की तरफ से वह रकम दी गई। ऐसी रकम भी एक लाख से ऊपर है। श्रीमन्, इस मौजूदा साल में नावों के लिये ५० हजार रुपये बनारस, देवरिया, बस्ती, हमीरपुर, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, सीतापुर और गाजीपुर के लिये मंजूर किये गये थे। स्कीम यह थी कि गांव सभा निस्फ खर्चा जिसका अनुमान चार सौ रुपये का है दे दे और बाकी ४००० रु० गवर्नमेंट इस ५० हजार में से देगी। ८०० रुपये में एक नाव तैयार हो जायगी तो उस नाव की मालिक गांव सभा हो जायगी, उसके डिस्पोजल पर होगी। अभी मेरे पास पूरी इत्तिला नहीं आई है, कुछ जिलों से आ गई है, कुछ से नहीं। जाहिर यह होता है कि दो-तीन जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में इस स्कीम से फायदा नहीं उठाया जा रहा है। गांव सभाओं ने कोई दिलचस्पी इस मामले में नहीं ली। कारण यह होता है कि हर एक चाहता है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करे और गांव वाले क्यों कांट्रिब्यूट करें? देवरिया में एक भी गांव सभा ने बोट तैयार नहीं की। देवरिया का काफी जिक्र किया गया परन्तु इस समय इतना ही कह कर उसे छोड़े देता हूं।

गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस और इलाहाबाद के जिलों को एक एक पेटरोल मोटर भेज भी दिया गया है और ७ लाइट मोटर बोट्स और ३ हेवी मोटर बोट्स को खरीदने के लिये आर्डर दिया जा चुका है और आशा यह की जाती है कि आगामी वर्षा ऋतु आरम्भ होने के ही पहले ये दसों मोटर बोट्स इन जिलों को दे दिये जायेंगे। इसके अलावा बजट इयर में ४० हजार रुपया नावों के लिये रक्खा गया है। १७,८१,९०० रु० का आगामी साल का अनुमानित व्यय है। टेस्ट वर्क में ६ लाख, ग्रेचुइटीस रिलीफ में ६ लाख और मिसलेनियस में ५,८१,९०० रु० रक्खे गये हैं। यह मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है उसमें २५ हजार से गांव वालों को बसाने के लिये जमीन हस्तगत की जायगी जिसकी जमीन बाढ़ में बह गई

है। १ लाख रुपया फ्लड रिलीफ पर खर्च किया जायगा। १ लाख १५ हजार एंटी लोकस्ट आपरेशंस पर खर्च किया जायगा। गवर्नमेंट हिन्द एंटी लोकस्ट आपरेशंस में जो टिड्डी, ईरान सहारा डेजर्ट, बिलोचिस्तान से आती है उसको रोकने में खर्च करती है और जिस जिस स्टेट में उनका आक्रमण होता है उसमें जो खर्च होता है उसका कांट्रिब्यूशन उन स्टेट्स को करना होता है। इसमें २ लाख ६० हजार रुपया हमको देना होगा। हमने बहुत कोशिश की कि कम हो लेकिन उनका व्हिप हम पर है और उन्होंने इससे कम के लिये नहीं माना। ४०,७०० रु० फाडर स्केयरसिटी आपरेशंस पर खर्च होंगे। जिन जिलों में बाढ़ के कारण भूसा या घास वगैरह भेजी जाती है उसे भेजने में इतना खर्च पड़ेगा। ३३,१०० रु० सेलरी पर खर्च होंगे जो स्टाफ टेस्ट वर्क और एंटी लोकस्ट के आपरेशन्स के लिये रक्खे जायेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो परमानेंट स्टाफ है उसकी तनख्वाहों से इससे कोई मतलब नहीं। ८,१०० रु० टूल्स, प्लान्ट पर खर्च होंगे। इस तरह से यह ५,८१,९०० रुपये की मिसलेनियस रकम हुई। यह छोटा सा अनुदान है और उम्मीद है कि बिना झंझट के पास हो जायगा लेकिन झंझट की आशंका जरूर है। एक बात साफ कह दूं। हो सकता है कि कुछ दोस्तों का यह ख्याल हो कि यह रकम बहुत कम है। मैं परमात्मा से दुआ यह कर रहा हूं कि बाढ़ न आये मुमकिन है दुआ मंजूर हो जाय इसलिये यह कम है। अगर मंजूर न हो तो ५५ लाख जो फेमिन रिलीफ फंड के लिये रकम है उसमें से ड्रा कर लेंगे। इसलिये ज्यादा रुपया नहीं रक्खा है। कटौती का प्रस्ताव इसीलिये पेश किया है कि रुपये की कमी है। इसीलिये इसका जवाब दे रहा हूं। और यह मांग सदन की स्वीकृति के लिये रख रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान ऐसा नहीं है कि जिसमें कटौती का प्रस्ताव पेश किया जाय। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री ने इसको स्वीकार किया है कि हमने इसमें रुपया कम मांगा है और राजस्व मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और रुपया ले लिया जायगा। मैं इसको गलत समझता हूं। घर का मालिक ठीक वक्त पर नाकामयाब हो जाता है, तब आपत्तिकाल में वह इधर उधर साधन जुटाने के लिये भटकने लगता है और यही कारण है कि हमारे प्रदेश के बजट के मौके पर जब अनुदान आते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि ज्यादा पैसा इसमें होना चाहिये तो उस समय इधर उधर की बातें करके इस अनुदान को स्वीकार करा लिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी हमें तकलीफ हुई कि पारसाल जो अनुदान इसके लिये स्वीकार कराया गया था उससे कम अनुदान की इस साल मांग की गई। आप देखेंगे कि दुर्भिक्ष सहायता कार्य में १९५४-५५ में १४ लाख रुपया खर्च किया गया और १९५५--५६ में केवल ६ लाख रुपये की मांग की गई है। ८ लाख रुपया इस काम में कम मांगा जा रहा है। निर्मूल्य सहायता में १९५४-५५ में १० लाख रुपया खर्च किया गया और १९५५-५६ में ६ लाख की मांग की जा रही है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस मद में क्यों कमी की जा रही है? इसके अतिरिक्त मैं आपके द्वारा उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि जरा वह बिहार प्रांत की बजट स्पीच १९५२-५३ की माननीय अनुग्रह नारायण सिंह की देखें। १९५२-५३ में उस प्रदेश में कुल २८, ३० करोड़ रुपये का व्यय रहा है उस में से आप देखेंगे कि ७ करोड़ ९५ लाख रुपया केवल दुर्भिक्ष विभाग के लिये खर्च किया गया है जो इस प्रकार है? मुफ्तसहायता ६० लाख रुपया, सरल शारीरिक श्रम के कार्य में ४२ लाख रुपया, कठिन शारीरिक श्रम के कार्य में १८८ लाख रुपया, कृषक ऋण में ४४७ लाख रुपया? भूमि सुधार ऋण में ४८ लाख रूपया और प्राकृतिक संकट ऋण में १० लाख रूपया। ७ करोड़ ९५ लाख रुपया बिहार की छोटी सी सरकार ने इसके लिये खर्च किया है। इसके अतिरिक्त १९५२-५३ में सब खर्च ले करके वहां कुल २७८५ लाख रुपया खर्च हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है?

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इस वर्ष बिहार प्रांत में १९ करोड़ रुपया खर्च हुआ है जब कि तकावी बिहार प्रांत में ८ करोड़ ३२ लाख रुपये की बांटी गई है और हमारे प्रदेश में कुल ४८ लाख रुपया बांटा गया । इसके अतिरिक्त जो रिपोर्ट हमें माल विभाग की १९५४ के कार्य की दी गई है उसमें लिखा गया है कि पूर्वी क्षेत्रों में बीज के निमित्त १ सितम्बर से ३० नवम्बर, १९५० तक तकावी के रूप में दी गई धनराशि की एक चौथाई धनराशि राज-सहायता के रूप में मानी जायेगी। तो मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि १ सितम्बर से ३० नवम्बर तक कितनी तकावी दी गई और उसमें से कितनी माफ कर दी गई।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि १९५१, ५२, ५३ और १९५४ में कितनी तकावी दी गई और कितनी तकावी की छूट दी गई । मैं तो वहीं का निवासी हूं और जानता हूं कि १९५१, १९५२, १९५३ और १९५४ की तकावी बकाया चली आ रही है और उसका कारण एक ही है कि बाढ़, सूखा और ओला से हर साल वहां के किसान पीड़ित रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि जिस प्रदेश के या जिले या गांव के किसान लगातार ३ साल से अकाल और ओले से पीड़ित रहे हों और माननीय राजस्व मंत्री जी खुद उसे स्वीकार करते हों और इस स्वीकृति का सबूत है कि वहां टेस्ट वर्क चालू रहे, तकावी में छूट दी गई लेकिन आज इसके बावजूद भी कैसे वहां तकावी वसूल की जा रही है? और बड़ी सख्ती के साथ बड़ी बेरहमी के साथ वसूल की जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां इस तरह का अकाल, बाढ़, सूखा और ओला पड़ा हो और लगातार तीन तीन साल जहां का यह हाल हो वहां तकावी नहीं वसूल की जानी चाहिये और उसे माफ होना चाहिये। गांवों में एक बात की बड़ी चर्चा है। माननीय उपमंत्री जी, श्री शर्मा जी ने एक बात कही थी एक सवाल के उत्तर में हमारे कुछ मित्रों की वजह से मजदूरी ठीक समय से नहीं दी जाती। मैं चकित हूं कि एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे प्रदेश में बड़ी शांति है और एक तरफ यह बहाना किया जाय मजदूरी ठीक से न मिलने का कि साहब पुलिस का इंतजाम नहीं हो पाता है । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की गलत बातें सदन में सरकार के मंत्रियों द्वारा नहीं होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, २२ हजार मजदूर केवल देवरिया जिले में काम करते रहे, आजमगढ़ में जहां जहां टेस्ट वर्क जारी रहे वहां पर भी हजारों मजदूर काम करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार प्रदेश में ५० हजार से ज्यादा मजदूर काम करते रहे हैं । सारे प्रदेश में एका एक टेस्ट वर्क बन्द कर दिये गये और सरकार के हुक्म से बन्द किये गये। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि इस जमाने में जब चैत में कटिया होती है, ४ आने, ५ आने, ६ आने, ७ आने पर मजदूर काम कर रहे हैं हजारों की तादाद में, तो इसको क्या क्या कहा जाय। इसको यह कह दें कि सब लोगों को रोजी मिली हुयी है तो यह अनुपयुक्त होगा राजस्व मंत्री यह भी कहते हैं कि हमने बहुत मजदूरी बढ़ा दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा में आर० एन० सिंह जी ने एक सवाल किया था। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जरा उसको पढ़ें। विंध्य प्रदेश में टेस्ट वर्क में १२ आना मजदूरी आदमी को दी जाती है और औरत को ८ आना; राजस्थान में १२ आना मर्द, औरत १० आना, बच्चे को ८ आना; मध्य प्रदेश में ९ आना से १२ आना मर्द और ६ आने से साढ़े नौ आने औरत। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में ४ आना बच्चे को, देवरिया में ५ आना, आजमगढ़ में ४ आना और गोंडा में ६ आना। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मजदूरी में अन्तर क्यों है ? आप यह कहते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत उन्नतिशील है तो क्या बात है वही गरीबी यहां भी वही वहां भी। इस तरह से मजदूरी में अन्तर क्यों है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि मजदूरी की दर बढ़ाई जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि गांवों को ऊपर बसाने के लिये २५ हजार रुपया रखा गया है। लेकिन पारसाल जो रुपया स्वीकार किया गया था उस रुपये में से कितना रुपया इस काम के लिये खर्च किया गया है ? और यह कहा गया कि ५० हजार

रुपया पारसाल नावों के लिये स्वीकार किया गया था लेकिन ग्रामीणों ने उत्साह नहीं दिखाया। मैं राजस्व मंत्री से जानना चाहूंगा बहुत से जिले हैं, खुद हमने आजमगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा लेकिन पैसा नहीं मिला। सरकार की तरफ से उत्साह नहीं दिलाया जाता। इसके अतिरिक्त कहा गया कि तीन मोटर बोट तीन जिलों को गोंडा, फैजाबाद, देवरिया को दी जायगी जबकि कितने ही जिले ऐसे हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं, सरकार मंजूर करती है और तीन ही जिलों को मोटर बोट दी जाय, यह ठीक नहीं है।

निर्मूल्य सहायता के सम्बन्ध में ऐसी ही बदइन्तजामी है। तकावी बांटने का तरीका बहुत गलत है। देहातों में तहसीलदार मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार लोग जाते हैं जंजीरा बनाते हैं। इसमें जहां ५, ६, आदमी से कम आये तो तकावी नहीं दी जाती और मैं यह भी समझता हूं कि तकावी जिस रूप से लोगों को मिलनी चाहिये उस रूप में नहीं मिलती है। मुफ्त सहायता, तकावी दी जाती है खाने के लिये, बीज के लिये, बाढ़ आये, सूखा आये और बीज अगर नुकसान हो जाता है तो सरकार का बकाया उन किसानों पर रहता है, वह कैसे देगा? इस सम्बन्ध में सरकार को बहुत संजीदगी के साथ विचार करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त केवल देवरिया जिले में २० लाख रुपया माल विभाग की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कों को बनाने के लिये दिया है। मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि देवरिया जिले के अलावा और भी जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाने के लिये सड़कों की सुविधा नहीं है और मैं निवेदन करूंगा कि बड़ी संजीदगी के साथ ऐसे जितने बाढ़ पीड़ित जिले हैं और जो जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, उन सब स्थानों में आने जाने का मार्ग सरकार को बनाना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक बात और मैं कहना चाहूंगा। मालगुजारी के सम्बन्ध में जो छूट किसानों को दी जाती है, उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह छूट नहीं के बराबर दी जाती है। अस्सी अस्सी गांव और सौ सौ गांव जहां बाढ़ पीड़ित हैं और आठ आने से ज्यादा जहां की फसल को नुकसान होता है और जो सूखा ओला पीड़ित हैं, उनको मालगुजारी में छूट देने के लिये ऐसे तरीके बना दिये गये हैं कि जिससे सही मानों में किसान को कोई छूट नहीं मिलती। आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर और सहारनपुर तथा और कुछ जिलों में इसी तीन मार्च को भीषण ओला पड़ा। आजमगढ़ की बात को मैं जानता हूं। आजमगढ़ जिले में ५६ मील की लम्बाई तथा तीन चार मील की चौड़ाई में ५०० गांवों में भीषण ओला पड़ा है। मैंने कई गांवों को स्वयं देखा फसल कई जगहों पर बिलकुल धराशायी हो गयी है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि, जहां तक मेरी जानकारी है ऐसे गांवों को सहायता अब तक नहीं के बराबर दी गयी है और फिर वहां पर एक तरफ तो सारी फसल बरबाद पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ कुर्कअमीन लोग वसूली कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था इस सरकार के राज्य में है। इसके अतिरिक्त रोजी की बात कही गयी है। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि घरेलू उद्योगधंधे खोले गये हैं और खोले जायंगे। घरेलू उद्योग धंधे किन बाढ़ पीड़ित जिलों में खोले गये हैं, मैं नहीं जानता लेकिन अपने जिले आजमगढ़ में कुछ चरखे जरूर बांटे गये हैं। लेकिन किसके द्वारा वह बांटे गये हैं? मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों के हाथ में वह चरखे दिये गये और वही लोग उन चरखों को बांट रहे हैं और ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उन्हीं के द्वारा यह कार्य हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चरखा संघ पड़ा हुआ है, गांधी आश्रम पड़ा हुआ है। ऐसी संस्थाओं के जरिये इस काम को कराना चाहिये। इसमें पार्टीबन्दी और सत्ताधारी दल की ओर से यह काम नहीं होना चाहिये जिससे कि जनता में भ्रम फैले।

(लाल बत्ती जलने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय तो जरा बड़ा है। दस मिनट का समय बहुत कम है इसके लिये। अगर आप समय और दे दें.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि दस मिनट से अधिक समय आपको दे दिया गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे प्रदेश के दुर्भाग्य की बात होगी यदि बाढ़, दुर्भिक्ष आदि से हम लोगों को बराबर कष्ट मिलता रहे। लेकिन जो कारण प्राकृतिक इसके हैं उन पर तो किसी का कब्जा है नहीं। फिर भी पिछले पांच छः सालों में जिस प्रकार सरकार ने उस विपत्ति में यहां के किसानों की सहायता की है, वह सराहनीय है। यह तो सर्वमान्य और सर्वविदित बात है कि जितना नुकसान किसान का सूखे से, ओले से, बाढ़ से हो सकता है, वह लगान में छूट देने से या कुछ तकावी बांटने से पूरा कभी भी नहीं हो सकता और मैं समझता हूं कि इस बात को माननीय रामसुन्दर पांडेय जी भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि सरकार ने ऐसा दावा कभी भी नहीं किया कि जितना नुकसान किसान का इन कारणों से होगा, उसको हम पूरा कर देंगे। बिहार का उदाहरण लेकर उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि हमारे प्रदेश की सरकार ने उस दिशा में नगण्य काम किया है। लेकिन मैं श्रीमन्, उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी यह खुशकिस्मती रही है कि बिहार के बराबर दैवी आपत्तियों को हमारे प्रदेश को देखना नहीं पड़ा है। पिछले पांच छः वर्षों में एक भी बार वैसी दैवी आपत्तियों को देखने का मौका हमको नहीं मिला है। कोसी नदी ने बिहार प्रांत को जिस लम्बे चौड़े पैमाने पर बाढ़ग्रस्त किया उस तरह की बात हमारे प्रदेश में नहीं हुयी। वैसी बड़ी विपत्तियां हमारे यहां नहीं आयी। इसलिये बिहार की आवश्यकता और हमारी व्यवस्था में अन्तर है। लेकिन यदि सम्पूर्ण आवश्यकताओं के पैमाने को देखते हुये आर्थिक तथा अन्य प्रकार जो सहायता हमारे प्रदेश की सरकार ने हमारे प्रदेश के रहने वाले बाढ़ से पीड़ित किसानों की है उसका मुकाबिला बिहार के किसानों की मुसीबत, कष्ट और वहां की सरकार की सहायता से किया जाय तो निश्चित ही हमारे प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदत्त किसानों की सहायता निरंतर पूरी पूरी उतरेगी।

श्रीमन्, मुझे आपके द्वारा एक बात माननीय मंत्री जी से कहना है कि उनको देवरिया जिले की बहुत ज्यादा याद आती है, वह शायद इसीलिये कि उसका ज्यादा नाम सदन में लिया जाता है और उसकी चर्चा भी ज्यादा होती है। इसलिये मुझे अपने यहां का नाम लेने की और अपने क्षेत्र की चर्चा करने की हिम्मत हुयी है कि शायद इसी तरह से उनको हमारे यहां की भी याद रहे। मैं बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से ऐसे जिले से नहीं आया हूं जहां बाढ़ और सूखा अत्याधिक हो। लेकिन मैं इलाहाबाद जिले की ओर आप सब लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां गंगा जी ने बड़ी मुश्किल उपस्थित कर दी है। मेरे ही एक क्षेत्र में छः मील लम्बान में गंगा जी ने कटाव की और कई सालों से अपनी धारा का रुख कर लिया है। यद्यपि देवरिया की तरह यहां के लोग बाढ़ से पीड़ित नहीं हैं फिर भी तहसील करछना में लकटहा खजरुअल, गढैला और सिमराहा आदि गांव के निवासियों की स्थिति बिल्कुल ऐसी है जिससे दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्र और उनमें कोई अन्तर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि सरकार के सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं और गंगा जी को ट्रेन करना कोई मामूली काम नहीं है। फिर भी हम सरकार के सामने अपनी बात हमेशा से रखते आये हैं और मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने उतनी जमीन के लगान आदि के छोड़ने की व्यवस्था की है जितना कट कर धारा में मिले गयी है लेकिन वहां के किसानों की दयनीय दशा है। वह ५,६ बार अपने घर बना चुके हैं लेकिन गंगा जी बढ़कर आगे आती हैं और बार बार उनको काटकर अपने उदर में ले जाती हैं। वहां पीने के पानी की उचित और आवश्यकतानुसार व्यवस्था तक नहीं है और जानवरों से बदतर जीवन वहां किसान व्यतीत कर रहे हैं। उनके रहने के लिये ठीक मकान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि उनकी ओर सरकार अपना पूरा ध्यान लगाकर उनकी हालत ठीक करने की व्यवस्था करे। मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं जो मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में वहां के संबंध में रखूंगा। मुझे आशा है कि वहां के रहनेवाले के प्रति भी सरकार का ध्यान पूर्णरूपेण आकर्षित होगा और इन समस्याओं का हल निकालने की योजना बन सकेगी। श्रीमन्, हमारे यहां ससुरखदेड़ी नदी के दोनों किनारों के ग्रामों में जैसे करेंदा आदि ग्रामों में तथा दुआबा की तहसीलों में बड़ी परेशानी होती है और वहां भी बहुत ज्यादा कटाव हो रहा है जिसके कारण काफी मात्रा में मुश्किलात का सामना किसानों को करना पड़ता है। मुझे आशा है कि इन गांवों में विशेष ध्यान देकर जो

ऐसी कोशिश करेंगे कि आयन्दा इन इलाकों में दिक्कत न होने पाये। यदि थोड़ी सी सिंचाई की व्यवस्था आदि के दूसरे तरीके काम में लाये जायें और करछना के लोगों को मकान बनाने तथा कुवें बनाने के लिये धन की सहायता दी जाय तो यह कठिनाइयां कुछ हद तक दूर हो सकेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को दुर्भिक्ष सहायता के लिये किये हुये कार्यों के लिये मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर उसी तरह से लगा रहेगा जिससे कि अब तक उन्होंने इस प्रांत की सेवा की है। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो इस वर्ष टेस्ट वर्क का कार्य किया है, खास कर देवरिया जिले में, मैं कह सकता हूं कि वह बहुत संतोष-प्रद रहा है। लेकिन उसमें एक बात अवश्य देखने की है कि जो मजदूरी यहां दी जा रही है, तथा प्रान्त के और जिलों के लिये जो निर्धारित की गयी है, उसके अनुपात में देवरिया जिले की मजदूरी कम है और इस तरह से जैसा कि मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं कि आबादी का घनत्व इतना अधिक है कि वहां बराबर के लिये परेशानी हो गयी है कि क्या किया जाय। वहां की जनता ने भी मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित किया था कि जो दो, ढाई सौ गांव एक जगह बाढ़ क्षेत्र के पड़ते हैं अगर उनको रेल से मिला दिया जाय तो बाढ़ क्षेत्र में जो सब से अच्छी फसल हो सकती है वह गन्ने की है, साधारण बाढ़ से गन्ना जाता नहीं है और किसानों की हालत बहुत हद तक सुधर सकती है। मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिया था। हम नहीं जानते कि आगे क्या कार्यवाही हो रही है। उस क्षेत्र में एक बांध के बारे में भी सरकार ने एक घोषणा पिछली दफा की थी और इंजीनियरों ने वहां दिलचस्पी भी दिखलायी है, कई तरह के विचार थे लेकिन अन्त में २० हजार जनता की भी लगभग सर्वसम्मति से यह मांग रही कि वहां से मीरावां बांध बना दिया जाय जिससे कि उधर का जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है उसकी समस्यायें सदा के लिये हल हो जायं। इसके लिये अब समय इतना कम रह गया है कि अगर सरकार ने तुरन्त काम नहीं शुरू किया तो अगले दो, तीन महीने के बाद फिर वर्षा शुरू हो जायगी और वह कार्य हो नहीं पायेगा। जनता ने इस बात की मांग की थी कि कार्य मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रारम्भ कर दिया जाय। हम समझते हैं कि सरकार अवश्य इधर ध्यान देगी।

जैसा कि हमारे अन्य मित्रों ने कहा, देवरिया जिले की तरफ सरकार की ओर से अधिक ध्यान दिया गया तो यह सही है चूंकि उसकी ऐसी आवश्यकतायें थीं लेकिन हमें एक सूचना और मिली और मैं समझता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में जांच करायेगी कि उस टेस्ट वर्क का कुछ पैसा वहां की नुमायश में भी शायद खर्च हुआ है और अगर यह चीज है तो यह बड़ा संगीन आरोप है कि गरीबों के, भुखमरों के पेट से छीन कर आमोद-प्रमोद में इस तरह से उसे नष्ट किया जाय। जितने भी कार्य वहां हो रहे हैं, वहां के जो साधारण अमला हैं, उन्होंने मैंने देखा कि ९८ हजार में अच्छी से अच्छी सड़क बना दी है। मंत्री जी भी उधर गये हैं, उन्होंने देखा है कि थोड़े से पैसों में इतना बड़ा काम हो गया है कि वह सदा के लिये उस पीड़ित क्षेत्र की जनता का हर तरह से सहायक सिद्ध होगा और मैं आशा करूंगा कि जो बांध का सवाल है राप्ती नदी पर बनने का वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यद्यपि उसका सम्बन्ध सिंचाई विभाग से होगा लेकिन समुचित पैसा इसी विभाग से दिया जायगा और इस सम्बन्ध में सरकार अविलम्ब कार्य करने की कृपा करेगी जिससे कि सरकार को जो हर वर्ष हजारों, लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं वे बच सकें।

इसी तरह किश्तियों का सवाल है। इस सम्बन्ध में पर्याप्त धन नहीं दिया गया है। देवरिया जिले का करीब १० हजार रुपया कलेक्टिव फाइन का किश्तियों के लिए पहले से ही जमा था। उसका आज तक हिसाब नहीं दिया जा रहा है। वह पैसा हुआ क्या? यद्यपि वहां प्रस्ताव किया गया था कि उसका सदुपयोग किश्तियों के रूप में बाढ़ में किसान करें लेकिन उसका पता नहीं चला। यद्यपि सरकार ने कुछ किश्तियां उस क्षेत्र में भेजी हैं लेकिन यदि समय से सरकार ने उस पैसे

[श्री रामजी सहाय]

से किश्तियों का प्रबन्ध कर दिया तो काफी सहायता उस अवसर पर मिलेगी। इस तरह से मेरा अपना विचार है कि सदा के लिये बाढ़ के ये दो तीन सवाल हल करने के बाद किन्हीं अंशों में समस्या हल हो जायगी। अन्त में जो कार्य वहां किये गये हैं उनके लिये सरकार के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

श्री राजकमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो प्रस्तुत है दुर्भिक्ष अनुदान है और उस दुर्भिक्ष से हमारा जिला मिर्जापुर भी पीड़ित रहा है और इस साल भी है। मंत्री जी को इस अनुदान के सम्बन्ध में धन्यवाद दिये बिना मैं नहीं रह सकता। आपने दुर्भिक्ष काल में प्रान्त में और विशेषतया हमारे जिले में बहुत बड़ी सहायता की है।

गत वर्ष ओला से हमारा जिला पीड़ित रहा है, उसमें चुनार तहसील का परगना मूली विशेषतया पीड़ित रहा है। उससे पहले बाढ़ से बहुत पीड़ित रहा है। सूखे का शिकार भी बहुत काफी हुआ है और इसके लिये जो सहायता सरकार ने दी है संतोषप्रद है। परन्तु जो आपत्तियां हैं वह भी मैं सरकार के सामने रखना आवश्यक समझता हूं। तकावी के वितरण का भी प्रबन्ध सरकार की ओर से है। खाने के लिए भी है, बीज के लिए भी है, बैलों के लिए भी और यों खैरात भी दी जा रही है। परन्तु उसमें मैंने यह देखा कि थोड़ी सी तकावी, जो पांच रुपये, दो रुपये, २० रुपये खाने या खैरात में दी जाय वह क्षेत्र से, जो १४ मील, २० मील पर बुलाये जायं और दो तीन दिन तक लोगों को लेने में लगे हैं ऐसी दिक्कत और परेशानी हुई। मैंने सुझाव दिया था कि उस क्षेत्र को कई खंडों में जाकर बांटें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हो कैसे? खास तौर से, मैं कहता आया हूं, हमारा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां कोई भी सरकारी अफसर जाने में दिक्कत महसूस करता है, जा नहीं पाता। वह चाहता है कि सड़क पर ही या आफिस में बैठे बैठे कोई काम हो। मानव स्वभाव है कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता। यह भी एक कारण है। यह क्षेत्र शासन से इतनी दूर है, या यों कहा जाय कि वह शासन से अलग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने पारसाल भी कहा था कि ऐसा क्षेत्र जहां, सूखा भी है, ओले से भी लोग पीड़ित हैं और बाढ़ से भी पीड़ित हैं उस क्षेत्र में कुछ तो आपकी वह कानून बाधा डालता है तकावी का जिसमें आपने रखा है कि जिनके यहां बकाया है उनको तकावी न दी जाय।

मैं आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि तकावी तो बकाया नहीं है। उसे आपने बाढ़ और ओले से पीड़ित समझ कर मुल्तवी कर दिया है। अब यह देखा जाय कि आपकी तकावी बांटने की व्यवस्था के बावजूद भी उनको तकावी नहीं मिल पाती क्योंकि आपका वह कानून बाधा डालता है। आपको यह करना चाहिये कि जिनको आपने जानबूझकर, असमर्थ जानकर, मुल्तवी कर दिया है, जो आज सूखा से असहाय हो रहे हैं उन्हें भी तकावी दी जाय। विशेषतया हमारे यहां मजदूरों की हालत बड़ी दयनीय हो रही है, उनके लिये कोई काम नहीं है, उनके लिए आज तक हमारे क्षेत्र में कोई काम की व्यवस्था नहीं की गयी। जो क्षेत्र बाढ़, सूखा और ओला से पीड़ित हों, उसमें लगान, नहर रेट और अन्य-अन्य वसूलियां की जायं और दूसरी तरफ घोषणा की जाय कि लगान में छूट है और सहायता दी जा रही है वह अच्छा सा नहीं मालूम होता। खैर, जो भी हो मैं चाहूंगा कि सरकार शीघ्र से शीघ्र तकावी की व्यवस्था का जो विधान है कि जहां बकाया हो उनको दिया ही न जाय, जब कि वह मरते हों, खाने बिना, कोई उनको सहारा न हो, और सारा क्षेत्र तीन आपत्तियों में—बाढ़, ओला और सूखा में फंसा हुआ हो उस समय अगर तकावी से महरूम किया जाय तो तकावी का अनुदान बेकार सा साबित होता है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र उस हमारे क्षेत्र में जहां कि तीन आपत्तियां आ चुकी हैं लगातार, बराबर उस क्षेत्र में अब तक टेस्ट वर्क का काम नहीं हुआ। अब तक

कोई ऐसा काम नहीं खोला गया कि मजदूरों को काम दिया जाय। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार और मंत्री जी इस का ख्याल रखेंगे। अब तक जो मैंने कहा वह पूरा हुआ है और जो थोड़ी सी देरी का कारण है उसे दूर करें। मंत्री जी में तो दया बहुत विशाल है लेकिन उनका अगर वह बटवारा कर दें अपने कर्मचारियों में तो मैं समझता हूं कि शायद वह काम ठीक हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हुआ मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं।

*श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत दुर्भिक्ष के लिये इस अनुदान का मैं स्वागत करने के लिये उपस्थित हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो प्रस्तुत है उसमें खास तरीके से हमारे जिले का बहुत बड़ा अंश है और यह सरकार प्रति वर्ष ऐसी कृपा करती है जिससे हमारे जिले को काफी लाभ हो सकता है परन्तु बदकिस्मती से स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के रवैये के नाते और उनकी इच्छा के फलस्वरूप यह होता है कि वह रुपया वापस प्रान्त को लौटा दिया जाता है। मैं उस जिले का प्रतिनिधि हूं जहां पर दरिद्र भगवान् अपने पूरे रूप में बसते हैं और हर एक समय में प्राकृतिक आपत्ति खड़ी रहती है। साल में कोई मौसम ऐसा नहीं गुजरता है जिसमें किसी न किसी प्रकार से दैविक आपत्ति न आया करती हो। सूखा, घोर वृष्टि और भयंकर बाढ़ यह सब हमारे जिले की प्रतिवर्ष की आम देन है। उसी मुसीबत को दूर करने के लिये सरकार हजारों रूपया सहायता देती है लेकिन हमारे स्थानीय सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण और काम न करने की मनोवृत्ति के फलस्वरूप उसी तरीके से उस धन को वापस प्रान्त को लौटा दिया जाता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष जिस टेस्ट वर्क को चलाने के लिये यहां से रुपया भेजा गया था वह स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट ने यह कह कर सारा रुपया लौटा दिया कि यहां पर टेस्टवर्क करने के लिये कोई तैयार नहीं है जब कि हमारे तमाम प्रतिनिधि भाइयों ने उनसे स्वयं निवेदन किया था लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई उन्होंने नहीं की। जहां तक मेरा अनुमान है उस रुपये का बहुत बड़ा अंश प्रान्त को उसी तरीके से वापस कर दिया गया होगा और वह वहां पर उससे कोई काम नहीं लिया गया। हमारा जिला सरकारी कर्मचारियों का ऐसा ठिकाना सा बना हुआ है जहां पर प्रान्त के कोने कोने से कर्मचारियों को इसलिये भेज दिया जाता है कि जैसे उनको कोई सजा दी गयी हो और जैसे किसी को कालापानी भेज दिया गया हो। इस प्रकार की मनोवृत्ति उन कर्मचारियों की हो जाती है कि सरकार जो सहायता उन लोगों को करना चाहती है उससे वह अछूत रह जाते हैं। इसलिये हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि कालापानी का रूप माने जाने वाले हमारे जिले में कम से कम ऐसे कर्मचारी भेजे जायं, ऐसे कर्मचारियों से सेवा कराई जाय जो आपके द्वारा भेजे गये रुपये का सदुपयोग कर सकें।

मैं इस प्रदेश के गोरखपुर जिले का रहने वाला हूं जिससे यहां के सब भाई परिचित हैं। मेरे इस शब्द को इलाहाबाद के रहने वाले भाई यह समझते हैं कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं जिससे मेरी तौहीन है। अगर ऐसी बात है तो वह यह समझते रहें मगर जो वास्तविक स्थिति है मैं उसको ही सरकार के सम्मुख रखना चाहता हूं। वहां पर मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का रहने वाला हूं जो बिल्कुल हिमालय के नीचे है। वहां पर भुखमरी, कठिन सूखा से तथा बरसात न होने के कारण वहां के लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। वहां पर केवल धान की खेती ही होती है लेकिन लेखपाल और कलेक्टर की रिपोर्ट करने के नाते जो सरकार अपनी उदारता का परिचय देना चाहती है उससे वह अछूत रह जाते हैं और दो साल से वहां सूखा रहने के कारण उन लोगों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामअवध सिंह]

छूट नहीं मिल पाती है बल्कि उल्टी मालगुजारी और तरह-तरह के जो ड्यूज हैं उनसे उनको परेशान किया जाता है। अगर सरकारी कर्मचारी अपनी वास्तविक नीयत का परिचय देते तो सरकार प्रति वर्ष जो उनको सहायता पहुंचाना चाहती थी वह उनको पहुंच जाती लेकिन वह लाभ यह नहीं कर पाये हैं। इस दुर्भिक्ष और सूखे के अलावा वहां पर बाढ़ की समस्या है जो कि उस जिले के कई ऐसे गांवों में प्रति वर्ष आया करती है जहां पर नाव की व्यवस्था के लिये सरकार की तरफ से काफी पैसा खर्च होता है। अगर उस तरफ ध्यान दिया जाय तो उन बनायी जाने वाली नावों की संख्या इतनी कम है कि जो उन गांवों की बाढ़ की समस्या को हल नहीं कर सकती है। मैं सरकार का ध्यान खरीदे गये क्रूजरों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन पर हजारों रूपया खर्च किया गया लेकिन अगर उनका सेवा काल देखा जाय तो २-४ घंटे का ही होगा और वह दोहरीघाट और गोरखपुर में बेकार रक्खे हुए हैं और उनके रखरखाव तथा ड्राइवरों और नौकरों के ऊपर हजारों रुपया खर्च किया जा रहा है। अगर आप इसी तरह की और भी नावें वहां के लिये रखने जा रहे हैं तो मेरा सरकार से यह निवेदन होगा कि ऐसा न किया जाय और उसके बजाय वह रुपया किसी अच्छे काम में लगा दिया जाय। उसके बदले में अगर काठ की नावें ही बनवा दी जायं, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी धन सरकार इस फंड में स्वीकार करे उसको सुन्दर ढंग से खर्च करने की व्यवस्था करे और सरकारी कर्मचारियों को इस विषय में कस कर आदेश दिये जायं। हमारा जिला हर प्रकार की मुसीबतों का अड्डा बना हुआ है। जो सहायता दी जाती है उसको अच्छी प्रकार से खर्च भी नहीं किया जाता। अनेक सड़कें देवरिया जिले में बाढ़ फंड से बनायी जा रही हैं, हमारे जिले में भी ऐसी सड़कें बनायी जायं, लेकिन हमारे जिले को जो रुपया टेस्ट वर्क के लिये दिया जाता है उसका उचित उपयोग नहीं किया जाता। इसलिये हमारा निवेदन है कि जिला अधिकारियों को कस कर तम्बीह इस बारे में दी जाय कि जो रुपया वहां के लोगों को दिया जाता है उसका वह उचित रूप से उपयोग करें। इन शब्दों के साथ जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामसुन्दर जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे टेस्ट तो बहुत हुए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्ष से हमारा टेस्ट हो रहा है लेकिन मालूम नहीं टेस्ट में खरे उतरे या नहीं, अभी और कुछ भी बाकी मालूम पड़ता है। असल में जहां दुर्भिक्ष की अवस्था होती है तो सरकार के ऐसे कार्य शुरू होते हैं और सरकार कम से कम मजदूरी देकर कार्य कराती है और फिर कुछ कराने के बाद फैसला करती है कि वहां पर दुर्भिक्ष की अवस्था नहीं है। पिछले ढाई या तीन वर्षों से थोड़े थोड़े दिनों का अन्तर देकर हमारे यहां टेक्स वर्क्स होते रहे हैं और ऐसा टेस्ट वर्क पिछले ५-६ दिन पहले तक होता रहा। जैसा राम सुन्दर जी ने कहा वहां पर २२ हजार आदमी के लगभग आकर काम करते थे। यह २२ हजार भी तब जब कि रोज़ हज़ारों आदमी लौट जाते थे। अगर वे सभी आदमी रख लिये जाते तो कम से कम उनकी संख्या ५० हजार हो सकती थी और जब कि मजदूरी ५ आना, ६ आना और सवा सात आने अधिक से अधिक थी। इस पर भी मजदूरों की तादाद ५० हजार थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में क्या कहूं, उन्होंने देवरिया की चर्चा कर दी। माननीय सदस्यों ने कहा कि देवरिया में काफी रुपया खर्च किया जाता है। सौभाग्य है हमारा, इसको मैं मानता हूं और देवरिया के पास संपत्ति पैदा करने वाली सब से बड़ी शक्ति है, सब से बड़ी तादाद में लोग वहां बसते हैं। एक हजार से ज्यादा एक वर्गमील में लोग वहां रहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं विश्वास करता हूं कि अगर यह हाथ न हो तो संसार में कोई सम्पत्ति पैदा नहीं हो सकती है। यह तो है हमारे पास लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि न भूमि है, न ऐसे साधन हैं जिनको लेकर उनकी जीवन वृत्ति का उपाय किया जाय। माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि तुम बड़ी नालायकी की बात करते हो, लोगों को समझाते नहीं कि वे बाहर जायं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं और मैं कहता हूं कि देवरिया के लोग बाहर जायं लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि आप उनको ऐसी सुविधायें दें जिससे वे बाहर जा सकें। आज भी जब हम गांवों में जाते हैं तो मैं देखता हूं कि गांव में जो काम करने लायक लोग हृष्ट-पुष्ट हैं वे बंगाल, आसाम, किछा, बम्बई, कलकत्ता आदि स्थानों में काफी तादाद में, बड़ी भारी संख्या में गये हैं। घरों में ऐसे ही लोग रहते हैं, जैसे औरतें हैं, बच्चे हैं या कमजोर हैं लेकिन जब बाढ़ आती है, कोई तबाही आती है तो वे कहां चले जायं, वे तो आखिर वहीं रहेंगे। फिर ऐसे लोगों के लिये जीवन वृत्ति का कोई सहारा नहीं है, उनके जीवन को चलाने के लिये सरकार कोई मदद नहीं करती, तो फिर उनकी क्या अवस्था होगी? मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं और फिर कहता हूं कि अगर सरकार यह मेहरबानी करती कि जब हमारा टेस्ट हो चुका, वहां की जनता का टेस्ट हो चुका तो छोड़ दें और लोगों की बात, दो तीन या चार आदमियों को वे नियुक्त करें जिनके ऊपर कि उनका विश्वास हो। विधान सभा के माननीय सदस्यों को मैं ज्यादा पसन्द करूंगा और मैं आग्रह करूंगा कि इन्हीं लोगों की तीन या पांच आदमियों की एक कमेटी बनायी जाय जो कमेटी कि वहां जाकर वहां की अवस्था को देखे और अवस्था को देखने के बाद फिर फैसला करे कि उनके लिये कुछ करना चाहिये या नहीं करना चाहिये। अगर वह फैसला करदे कि यहां के लोगों को सिखलाया जाता है और डिमोरेलाइज किया जाता है और उनको अपने पैरों पर खड़े न होने का सबक सिखलाया जाता है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहला आदमी हूंगा जो कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि सरकार कोई टेस्ट वर्क या कोई चीज करे। मैं समझता हूं कि इस टेस्ट वर्क से क्राइम सिचुएशन में काफी सुधार हुआ है देवरिया जिले में, और ला एंड आर्डर का जहां तक सवाल है, कानून और व्यवस्था का जहां तक सम्बन्ध है उसमें काफी सुधार हुआ है और अगर टेस्ट वर्क न चलता होता तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कागज में चाहे पुलिस लिखती या नहीं लिखती, लेकिन हजारों चोरियों और बटमारियों की तरह की कार्यवाही हुई होती और उसको हम यहां पर कह भी नहीं पाते क्योंकि वह कागज में नहीं लिखा होता। लेकिन ऐसी चीज वहां नहीं है।

जैसा कि श्री रामजी सहाय ने कहा मुझे भी सरकार को बधाई देने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने इस बात को माना और वहां उसने टेस्ट वर्क किया। लेकिन इस वक्त जो टेस्ट वर्क वहां बन्द कर दिया गया है वह ठीक नहीं है। किसी ने यह कहा कि तुमको चिढ़ाने के लिये वहां काम बन्द कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि मुझे चिढ़ाने से उनका क्या लाभ होगा। जो कि ५० हजार आदमी काम में लगे हुए थे, आखिर उनका इसमें क्या कुसूर है? और अब तो मैं जान गया कि मुझे चिढ़ाने के लिये ही काम बन्द किया गया है तब तो मैं और भी नहीं चिढ़ूंगा। मैं तो सिर्फ दरख्वास्त करूंगा, आरजू करूंगा और मिन्नतें करूंगा कि उन बेचारे गरीब ५० हजार आदमियों का ख्याल किया जाय क्योंकि इसमें उनका कोई कुसूर नहीं है। जैसे और जगह के लोग प्रजा हैं उसी तरह से वे लोग भी उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रजा हैं। अगर उनको ५ आने से ज्यादा काम करने की मजदूरी मिल सकती है तो वे दूसरी जगह काम करने के लिये नहीं जा सकते। कहीं कहीं पर ५ आने, ६ आने, ७ आने तक भी काम करने की मजदूरी मिलती है लेकिन हमारे प्रदेश में यह ऐसा स्थान है जहां आबादी अधिक है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, ओले पड़ते हैं और दुनिया की सारी मुसीबतें वहां इकट्ठी होकर

[श्री गेंदा सिंह]

आती हैं और इसलिये उनकी शक्ति का ह्रास करती हैं। उनके कमाने के साधन नहीं होते जिसकी वजह से वे हजारों की तादाद में ५ आने और ६ आने की मजदूरी पर काम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वे जो काम करते हैं वह राष्ट्र निर्माण का ही काम करते हैं। वे सड़कें बनाते हैं, बांध बनाते हैं, और दूसरे अनेक तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य करते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक कमेटी एप्वायंट की जाय जो वहां की अवस्था देख कर बतलाये कि आखिर क्या किया जाय कि वहां की अवस्था सुधारी जाय ताकि वहां के लोग ५, ६ आने मजदूरी अपनी जीवनवृत्ति के लिये कमा सकें।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे आज यहां बोलने की जरूरत न पड़ती अगर वे मेरे क्षेत्र में गये होते। पिछली २६ को जाने वाले थे, मीटिंग की तैयारी हो चुकी थी लेकिन यकायक प्रोग्राम बदल गया और वह नहीं पहुंच सके। अगर वह तशरीफ ले गये होते तो मुझे आज बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि आप गये नहीं है इसलिये आपने अपनी आंखों से देखा नहीं। मैं सरकार को धन्य ाद इसलिये दे रहा हूं कि वह काफी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को हम दुर्भिक्ष के जमाने में बचा सकें। इसमें दो रायें नहीं हैं, लेकिन हुजूरवाला मैं क्या बतलाऊं :

"परेशानियां मेरी उनसे न कहना,
सुनेगा तो वह भी परेशान होगा।"

तबियत डरती है कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी परेशान होंगे और अगर न बतलाऊं तो मेरे क्षेत्र के लोगों को शिकायत होगी कि मैं क्यों उनकी बात नहीं कहता। बस्ती जिला सरजू के किनारे है, अयोध्या से मिला हुआ है। पिछले साल वहां बाढ़ जोरों से आयी थी। माननीय सूचना तथा सिंचाई मंत्री जी ने जहांतक हो सका सहायता भी की। लेकिन एक बदकिस्मती है हम समझते थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब पूरे जिले का नकशा देख लेंगे और जहां जो जरूरी होगा उसके लिये हेल्प करेंगे। इसलिये नहीं कहा। फिर अपनों से क्या कहना, गैरों से कहा जाता है, अपनी सरकार है, अपने अफसर हैं और अपनी पब्लिक है तो कहूं तो क्यों कहूं? लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब से अर्ज किया कि एक रोड भी अगर बन जाय तो काफी काम लोगों को मिल जाय। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बनेगी। इसलिये मैंने आपसे अर्ज नहीं किया और मेरा ख्याल था कि वह काम हो जायेगा। लेकिन मैं आज आप से अर्ज करता हूं कि छावनी से एक सड़क कलवारी तक गई है। उसके बनने की बहुत सख्त जरूरत है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया और अब आप से अर्ज करता हूं कि टेस्ट वर्क से ही बनवा दें।

नि ा दिन बरसत नैन हमारे,
सदा रहत पावस ऋतु हमपै, जब ते सखि श्याम सिधारे।

तो हमारे लोग इस तरह से बाट जोहते हैं। हमारे यहां टेस्ट वर्क्स पर आदमी मिल सकते हैं। आप अगर टेस्ट वर्क्स से इसको बनवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी और उस क्षेत्र के लोग भी समझेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी हमारी बात कुछ कहता है और कुछ प्रार्थना करता है। अब इससे ज्यादा अपनी गवर्नमेंट से क्या कहूं? मैं देखता हूं काम वहां हो जाता है जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं। जहां सबसे ज्यादा शोर मचता है वहां काम हो जाता है, लेकिन जो आप पर छोड़ देते हैं उनका काम नहीं होता। तो जो आप पर छोड़ देते हैं उनका काम पहले होना चाहिये और जो ज्यादा शोर मचाते हैं उनका काम बाद में होना चाहिये।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत उचित मांग रखी गयी है कि स्थायी कमीशन इस संबंध में बनाया जाय। जहां तक दुर्भिक्ष और बाढ़ की समस्या है इसके दो पहलू है। एक तो ऐसी चीज है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिनके ऊपर हमारा हाथ नहीं है। दैवी आपत्तियां आती हैं और जब आपत्ति पड़ी तो उसकी रोक-थाम की जाती है लेकिन एक यह भी पहलू हो सकता है कि उसकी पहले से हम कहां तक रोकथाम कर सकते हैं। यह ठीक है कि हमारे प्रांत में बिहार की तरह से आपत्तियां उतनी हद तक नहीं आतीं। लेकिन फिर भी अक्सर और करीब करीब हर साल कुछ जिले तो ऐसे हैं कि जहां पर बारिश कम होती है और कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां बाढ़ आती है और वहां की जनता को तकलीफ होती है। अब करीब करीब हर जिले में कमेटियां बन गई हैं और जहां तक बाढ़ और दुर्भिक्ष का संबंध है उसके लिये वहां के अधिकारियों के पास पहले से स्कीम रहती है और उन स्कीम्स के अनुसार समय आने पर काम करने की ऐसे वक्त में कोशिश होती है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस समस्या का एक दूसरा पहलू भी है और यह एक प्रकार की बुनियादी आवश्यकता है कि अगर इस काम के लिये एक हाई कमीशन हमारे सूबे में बनाया जाय तो वह देख सकता है कि इस समस्या का समाधान किस तरह से सुव्यवस्थित रूप से हो सकता है। अक्सर कहीं कहीं पानी नहीं बरसता है और उसका कारण यह होता है कि पिछले कई साल से हमारे जंगल कट गये हैं, हालांकि अब पेड़ लगाये जा रहे हैं और संभवतः इन वृक्षों के लगने से यहां की बारिश पर असर पड़ सकता है और आशा है कि मथुरा और यमुना के किनारे रेगिस्तान के बढ़ने की रोकथाम पर असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात होती है तो उसके लिये जरूरी है कि इस प्रकार का एक हाई कमीशन बने और पहले से व्यवस्था हो जाय कि जहां जहां आपत्ति आये तो उसके लिये टेस्ट वर्क, निर्माण कार्य आरम्भ किये जायं जिस से लोगों को काम मिले, गल्ला पहुंचे। यह सब प्रान्तीय संगठन के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाय तो इन आपत्तियों का समाधान अच्छी तरह से हो सकता है।

मेरा निवेदन है कि जहां तक टेस्ट वर्क्स का संबध है, होता यह है कि जब कहीं आपत्ति आती है तब उसके बाद वहां काम शुरू करने पर विचार होता है लेकिन अगर बजट में पहले से इस की व्यवस्था की जाय कि जिन जिलों में इस तरह की आपत्ति आये वहां फौरन ही टेस्ट वर्क के रूप में अगर काम आरम्भ कर दिया जाय तो तकलीफ समय से दूर हो सकती है, वह टेस्ट वर्क दूसरे जिले के बजाय उस जिले में ही शुरू किया जाय। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से कि आज कल की कार्यशैली है उस में सुधार की आवश्यकता है। अभी पिछले साल इलाहाबाद में भीषण साइक्लोन आया और उस में वहां हजारों पेड़ गिर गये और वह नाले जिन में कभी पानी नहीं आता था उन्होंने भी भीषण नदी का रूप धारण किया, बहुत से गांव बह गये, जिले की तरफ से लोगों को कुछ मदद दी गई लेकिन जब मैंने निवेदन किया, जिस समय आपत्ति आती है उसी समय यदि औषधि की तरह तत्काल उपचार हो जाय तो वह ठीक है, और अगर पहले से ही स्कीम बन जाय तो उसके समाधान की सुविधा हो जायगी और काम सुचारू रूप से हो सकेगा और उसके लिये अधिकारियों को भी कोई घबराहट नहीं होगी। टेस्ट वर्क्स का जहां तक संबंध है वह कोई नई बात नहीं है। लखनऊ में ही बड़ी-बड़ी जो नवाबों के वक्त की इमारतें हैं वह ऐसी हैं जो अकाल के वक्त ही बनी थीं और जहां पर उस जमाने में दुर्भिक्ष पड़ा था और लोगों में बेकारी बढ़ी तो उस समय के शासन ने यह सोचा कि एक पथ दो काज, बड़ी बड़ी इमारतें भी बन जायगी और साथ में लोगों की ऐसे वक्त में सहायता भी हो जायगी। इसी तरह से आज हमारे यहां फाइव ईयर प्लान की योजनायें हैं उन के अन्दर कुछ कार्य यदि शार्ट नोटिस पर जल्दी के समय में लागू कर दिया जाय जहां पर लोगों को कष्ट हो तो विकास का काम भी होगा और तत्काल उससे लोगों का कष्ट भी दूर हो जायगा। मैं मंत्री जी को और शासन को बधाई देता हूं कि जहां तक इस कार्य का संबंध है पहले के देखते हुये, वह काफी अच्छी तरह से हो रहा है और इससे लोगों को मदद मिली है लेकिन जाहिर है कि इस कार्य के लिये जो १७ लाख ८१ हजार रुपया रखा गया है वह अगर फी जिले के हिसाब से देखा जाय तो ३३ हजार के करीब ही पड़ता है .....

श्री चरण सिंह--अगर फी आदमी तकसीम करने लगें तो?

श्री शिवनाथ काटजू--और अगर कहीं तकलीफ ज्यादा आ जाय तो माननीय सदस्य उसे स्वयं समझ सकते हैं कि इससे कोई खास तकलीफ

[श्री शिवनाथ काटजू]

दूर नहीं होती लेकिन फिर भी किसानों को आज यह मालूम है कि शासन की ओर से सहानुभूति है और शासन की ओर से चेष्टा की जाती है कि जनता के कष्ट को दूर किया जाय लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि इस कार्य को अभी संगठित रूप से करने की आवश्यकता है और पहले से ही इसके बारे में स्कीम्स बनाई जायं तो कोई वजह नहीं है कि जिस प्रकार से आज कल काम चल रहा है उससे और अच्छे रूप से काम न हो सके जिससे लोगों को ज्यादा फायदा हो। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामसुन्दर पांडेय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की कि देवरिया जिले को काफी रुपया मिला है और दूसरे जिलों को नहीं मिला। तो मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें रुपया बिल्कुल नहीं चाहिये लेकिन हमारे यहां की जितनी भुखमरी, जितनी बाढ़ और अकाल रूपी आपदायें हैं उन सबको वे ले लें और जितना रुपया मिलता है उसे भी ले लें। हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम करें तो क्या करें ? मैं आपको बतलाऊं कि जब पश्चिमी जिले के आफिसर लोग जाते हैं तो वे ताज्जुब करते हैं कि यहां की हालत ऐसी कैसे है। हमारे जिले में दो-दो ऐसी नदियां हैं घाघरा और गंडक और भी छोटी-मोटी नदियां है लेकिन इन दोनों नदियों ने तो हमारे जिले को तबाह कर रक्खा है। वैसे ही बड़ी गंडक का पाट काफी लम्बा चौड़ा आज कल रहता है लेकिन बरसात के दिनों में २५ मील की लम्बाई तक पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। इस साल भी बाढ़ आई और हम लोग गये तो मैं आपको सही बतलाऊं कि मुझे सात रोज तक नाव पर ही रह जाना पड़ा, कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां ठहरा जा सकता। आदमी छप्परों पर बैठे थे, कहीं पशु बह रहे थे, कहीं आदमी मरे हुये बह रहे थे और सरकारी जो सहायता दी गई वह नहीं के बराबर थी। कुछ नमक और तेल पहुंचाया गया जो बिल्कुल नाकाफी था। हमारे यहां की जनता ने ही मदद की जिससे काफी सहायता उन क्षेत्रों में हमने पहुंचाई। मैंने मंत्री जी के पास खत भी लिखे कि वहां कोई भी आफिसर देखने तक नहीं गया कि बाढ़ आई है या नहीं और वहां के आदमियों की क्या हालत है। जिलाधीश ने पडरौना सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को जिस दिन बाढ़ आई किसी दूसरी जगह भेज दिया। मंत्री जी एंक्वायरी करायें। कमलापति त्रिपाठी जी जो बाढ़ के बाद हमारे यहां आये तो उनसे निवेदन किया था कि बाढ़ का जो असर है उसे आप देख लें और खुद ही एंक्वायरी कर लें कि बाढ़ क्षेत्र में आफिसर्स गये हैं या नहीं गये हैं। उसके बाद भी जो सहायता की गई वह नाकाफी थी। टेस्ट वर्क थोड़े दिन चला और बार-बार निवेदन करने पर भी बन्द कर दिया गया। रुपया भी उनको ठीक समय से नहीं मिलता रहा यह तो आम शिकायत थी। बहुत बातें कही जा चुकी हैं उनको फिर मैं नहीं दोहराना चाहता। लेकिन एक बात की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गांव को ऊंचा करने के लिये कुछ कार्य वहां हो रहा है। वैसे ही गड्ढा ऐसी जमीन है लेकिन जो मिट्टी भरने के लिये निकाली जा रही है वह गांव के पास से ही निकाली जा रही है। हालांकि और जगह है जहां से मिट्टी ली जा सकती है और बहुत दूर नहीं नजदीक में ही है लेकिन वह मिट्टी गांव के पास से ही निकाली जा रही है। वैसे ही जब बाढ़ आती है तो बिना नाव के कोई चल नहीं सकता तो अगर गांव के चारों तरफ खाई खोद दी जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, आप ही सोचिये कि वहां के लोगों की बाढ़ के दिनों में क्या हालत होगी। यह ठीक है कि आप गांव को ऊंचा करना चाहते हैं और ऊंचा कर रहे हैं और इसके लिये आपको धन्यवाद है लेकिन इसके साथ अफसरों को यह हिदायत करने की कृपा करें कि जिन गांवों को वह ऊंचा करने की सोच रहे हैं और अगर उनके पास में ही कोई नाला है है तो उसे ऊंचा करने के लिये मिट्टी उससे ली जाये ताकि वह भी गहरा हो और वहीं से मिट्टी ले कर गांव को ऊंचा उठाया जा सके। अगर ऐसा हो तो बहुत उत्तम होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरण सिंह--कितने गज की दूरी पर मिट्टी काटी जाय यह भी असेम्बली में तय कर लीजिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल--वहां पर जगह है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर उसके पास में ही नदी हो तो इधर उधर से मिट्टी न ला कर उस नदी से ही मिट्टी लाई जाय ताकि नदी गहरी हो जाय और पानी की निकासी अच्छी तरह पर हो सके। जैसी नाव वगैरह की बात कही गई उस संबंध में तो मैं यह कहूंगा कि गांव सभा ने कहा अफसरों से नाव के लिये, लेकिन उनकी बात को किनारे कर दिया गया। हम तो खुद ही परेशान हैं और चाहते हैं कि इन कामों में सरकार को सहयोग करें ताकि हमारी यह परेशानी दूर हो लेकिन अफसरान हम से सहयोग नहीं लेना चाहते। कभी हम से कोई राय इस बारे में नहीं पूछते कि हम इस मामले में क्या करें। आकर बड़े-बड़े लोगों के यहां बैठेंगे, चाय पियेंगे और चले जायेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो चन्द सुझाव मैंने दिये हैं उन पर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, पेश्तर इसके कि और जो सुझाव दिये गये हैं उनका मैं जिक्र करूं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी जिनकी तकरीर अभी हुई है उनसे कुछ अर्ज करना मैं मुनासिब समझता हूं। उन्होंने कहा कि साहब जो मिट्टी ली जा रही है गांवों को ऊंचा करने के लिये वह न मालूम कहां से ली जा रही है। वह न मालूम कहां से चाहते हैं कि मिट्टी ली जाय। श्रीमन्, जरा ख्याल तो फरमाइये कि सड़कों का काम और मिट्टी उठाने का काम हो रहा है, सड़कें बनाने, बांध बनाने और पुल बनाने का काम हो रहा है तो क्या हाउस यह बात जानना चाहेगा कि मिट्टी कहां से उठा कर कहां लगाई जायेगी, ईंट जिस पर नाम छपा हुआ है मन्यूफैक्चरर का वह अन्दर की तरफ होना चाहिये, बाहर की तरफ क्यों हो गया? यह क्या बहस है? क्या यह कोई आलोचना की बात है। यह तो इंजीनियर और ओवरसियर तय करेंगे कि मिट्टी कहां से उठाई जाय। अगर मान भी लिया जाय कि मिट्टी यहां से उठाई जायगी तो क्या इसकी बाबत आदेश जारी किये जायेंगे? और कुछ नहीं मिला तो मिट्टी से ही शुरू कर दिया। यह तो कीचड़ उछालना है। और लीजिये, यह कहा गया कि टेस्ट वर्क थोड़े दिन रहा और खत्म कर दिया गया। किसी को यकीन आया? अभी तो माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था कि टेस्ट वर्क अभी थोड़े दिन हुये बन्द हुआ है जब से शुरू हुआ है गालिबन सितम्बर से और इस बीच बराबर जारी रहा और जगन्नाथ मल्ल जी यह कहते हैं कि थोड़े दिन ही चला है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--बिल्कुल हमारे यहां ऐसा ही हुआ है।

श्री चरण सिंह--हमारे यहां से क्या मतलब? मैं देवरिया को एक मानता हूं। २१ हजार मजदूर काम करते रहे हैं और जब मैं रकम बताने पर आऊंगा तो मालूम होगा कि सारे सूबे में कितना खर्च हुआ है और देवरिया में कितना खर्च हुआ है। ७ मई, १९५४ से टेस्ट वर्क शुरू हुआ और १ मार्च, १९५५ तक बन्द नहीं हुआ है। पांच छः जगह बराबर चलता रहा है। कहा यह जाता है कि टेस्ट वर्क बहुत थोड़े दिन हुआ।

श्रीमन्, बात ऐसी कही जाय जो वाजिब हो, लेकिन बेकार की नुक्ता चीनी करने से कोई असर नहीं होता। तीसरी बात यह कही गयी कि हमारे यहां फ्लड के वक्त कोई अफसर ही नहीं था। अब सोचिये कि राप्ती और गंडक कई मील लम्बी है तो अब कितने मील पर एक-एक अफसर होता इसके लिये भी कानून बनना चाहिये इस सिलसिले में कि जब फ्लड आये प्रांत में उस वक्त हर डेढ़ मील पर एक एस० डी० ओ० मिलना चाहिये। यह कोई दलील हुई? फ्लड पर जब पिछली दफा बहस हुई थी तब मैंने कहा था और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि छितौनी में दिन रात अफसरों ने काम किया है, बारिश होती रही है, बिजली चमकती रही है और बाढ़ से वे लड़ते रहे अंधेरे में, बिना खाना खाये कहीं चाय बनाने की जगह मिल गई हो तो शायद बना ली हो, बिला छाता, इस तरह से काम किया और तफ़सील में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट

[श्री चरण सिंह]

आयी कि फलां तारीख को फ़लां अफ़सर फ़लां वक्त उधर गया, इधर गया। उसका एक पैर रकाब में ही रहा। कमिश्नर को हमने भेजा, उसने भी उस बात की ताईद की। अब श्रीमान्, एस० डी० ओ० की ब बत पहले भी शिकायत की गई है कि हमारा एस० डी० ओ० दूसरी जगह भेज दिया गया, हो सकता है कि दूसरी जगह सख्त जरूरत रही हो। आपके जरिये मैं जगन्नाथ मल्ल जी से पूछ सकता हूं कि जहां-जहां बाढ़ आयी थी, वहां-वहां देवरिया में हर जगह हर वक्त वे मौजूद थे तो क्या....

श्री गेंदा सिंह—(माल मंत्री को संबोधित करते हुये) उस अध्याय को न उखाड़ते तो अच्छा था।

श्री चरण सिंह—जी आप ही ने उखाड़ा है। अफ़सर की यह ड्यूटी नहीं है कि हर जगह पहुंचे, यह उसके लिये नामुमकिन है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आप कबूल लीजिये कि कोई नहीं गया।

श्री चरण सिंह—गया। लेकिन यह दलील ठीक नहीं है कि फलां जगह फलां आदमी नहीं गया। यह बिलकुल नामुमकिन बात है और जो नामुमकिन बात है उसकी नुक्ताचीनी क्यों की जाय?

श्री गेंदा सिंह—सिर्फ इतना ही नहीं कि नहीं गया, आपको गलत खबर भी दी गई।

श्री चरण सिंह—माननीय काटजू साहब ने एक कमीशन का सुझाव दिया।

(इस समय साढ़े चार बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कमीशन बहुत मुफीद भी होता है और कभी कभी बहुत गैर जरूरी भी है।

जहां तक फ्लड कंट्रोल का संबंध है वह एक लांग टर्म प्लानिंग की बात है। फ्लड कंट्रोल बोर्ड कायम हो गया है, बांध वगैरह बनाने का, मकानों की सतह उठाने का, नदी के तल को जरूरत हो तो ऊंचा करने का, पुल को ऊंचा करने के लिये और इसी तरह की जरूरी बातों के लिये बोर्ड कायम हो चुका है। बहुत से मुल्कों में जहां बाढ़ आती है वहां फ्लड कंट्रोल बोर्ड हुए होते हैं। हमारे यहां भी कई महीने हुए ऐसा बोर्ड कायम हो चुका है और उसके मातहत कई जगह काम शुरू हो गये, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और उसकी हर महीने मीटिंग होती है और हमारे आफिसरान तथा मिनिस्टर साहब भी जाते हैं। अब माननीय काटजू साहब का सुझाव यह मालूम होता है कि फ्लड रिलीफ के लिये, तकावी बांटने के लिये शायद और टैस्ट वर्क खोलने के लिये इस तरह के लिये कमीशन कायम किया जाय।

श्री शिवनाथ काटजू—फेमिन के बारे में भी।

श्री चरण सिंह—फेमिन कहां हुआ। फेमिन के लिये कमीशन नहीं होता। पहले जो फ़ेमिन हुआ था कमीशन उसकी इंक्वायरी के लिये बना था। रिलीफ का जो सवाल होता है यह तो रेगुलर ऐडमिनिस्ट्रेशन जो है वही कर सकता है। कमीशन से तो कोई सहूलियत नहीं होगी। हमारे अफसरान का जाल बिछा हुआ है गांव-गांव में। उनका तजुर्बा है। उसी से तो वह लोग उस काम को कर रहे हैं। उनसे बेहतर कमीशन कैसे कर लेगा? कमीशन में कोई स्टैंडिंग इम्पलायीज होंगे क्या? तब तो वह डिपार्टमेंट हो गया और अगर इन्हीं से वह भी काम करायेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? इसलिए कमीशन से वाकई कोई फायदा नहीं होने वाला है।

अब मिर्जापुर में माननीय राजकुमार जी ने कहा कि तकावी की तकसीम मौके पर नहीं हुई। हमारे अहकाम ये हैं कि तकावी हस्बुल इमकान तहसील में न तकसीम करके, जहां लोग पीड़ित हैं, मौके पर, वहां जाकर वह तकसीम की जाय। वहां के लिये भी

यही अहकाम होंगे। माननीय राजकुमार जी ने भी कुछ-कुछ इस बात को माना। लेकिन वहां मजबूरी है जैसा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि बड़े-बड़े लम्बे-लम्बे रास्ते हैं। फासला बड़ा लम्बा-लम्बा है और आबादी है कम। तो वहां हर दस-मील पर जाकर तकसीम करना नामुमकिन है। फिर उसके लिए न मालूम कितने तो नायब तहसीलदारों की जरूरत पड़ेगी। टेम्पोरेरी नायब तहसीलदार ठीक नहीं होते। रेगुलर नायब तहसीलदार चाहिए। प्रैक्टिकली यह कहां तक मुमकिन हो सकता है, जरा इसको भी तो वह सोचें। जिस बात को कहें उसमें सोचें भी तो कि आखिर वह कहां तक मुमकिन है। आरजी काम के लिए जो रेगुलर आदमी होते हैं उन्हीं से काम लेना मुनासिब होता है क्योंकि आरजी काम के लिये और खासकर तकावी जैसे काम के लिये अगर स्पेशल स्टाफ रखा जाय तो इसमें बड़ा रिस्क होगा। इसलिए अगर रेगुलर से ही काम लेना है तो एक तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार दो ही तो आदमी होंगे। उनको और भी तो काम होते हैं तहसील में। तो दो में से एक ही तो जायगा। अब आपकी तहसील है २०० मील लम्बी। तो उसमें अगर वह बजाय दस-दस मील के चौदह चौदह मील पर जाकर तकसीम करता है तो कोई बड़ी आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई कठिनाई है तो आप कलेक्टर से मिल कर उस कठिनाई को दूर करा लें। मैं समझता हूं कि कलेक्टर जरूर आपकी बात को मानेगा और अगर न दूर हो तो आप फिर मुझसे कहियेगा।

अब राजनारायण जी की पहली बात में तो कुछ वजन भी था; लेकिन उनकी दूसरी बात बिल्कुल बेवजन है। वह इस तरह से है कि जितना काम गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट का, रुपया खर्च करने का, मिर्जापुर में हो रहा है, उतना सूबे के और किसी जिले में नहीं हो रहा है। केन्द्रीय गवर्नमेंट की तरफ से लम्बी सड़क रेलवे की, हमारी तरफ से पुख्ता रेलवे सड़क, बांध, सीमेंट फैक्टरी, दर्जनों डैम्स, दर्जनों बांध वहां बन रहे हैं और मैं तो कहता हूं कि सब से ज्यादा इम्प्लायमेंट जिन कामों में मिलता है और सबसे ज्यादा रुपया जिसमें खर्च होता है, वह सब इतने बड़े-बड़े काम अकेले मिर्जापुर जिले में हो रहे हैं, जो कि कई जिले मिला लीजिये तो भी उनसे ज्यादा ही हैं। इतने मजदूरों की वहां जरूरत है। मेरा चूंकि ख्याल था कि यह प्रश्न उठाया जा सकता है इसलिए आज मैंने सुबह टेलीफोन से मिर्जापुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछा कि वहां कितने मजदूर आज काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि २० हजार मजदूर आज काम कर रहे हैं जिनमें से आधे से ज्यादा बाहर के हैं और कुछ बिहार तक के हैं। तो आधे से ज्यादा मजदूर वहां बाहर के हैं और लोकल मजदूर वहां काम नहीं कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—लोकल मजदूरों को वह पसन्द नहीं करते होंगे।

श्री चरण सिंह—लोकल मजदूरों को पसन्द क्यों नहीं करेंगे? या तो लोकल मजदूर आते नहीं या उतना काम नहीं करते जितना कि बाहर का मजदूर करता है। बाहर का मजदूर अगर १० घंटे काम करता है और हमारे यहां का ६ घंटे ही काम करता है तो फिर उसको ठेकेदार क्यों लेगा? या अगर यह फावड़ा छोटा उठा सकता है, बड़ा नहीं उठा सकता तो फिर उसको क्यों लेगा? तो यह बात नहीं कि उनको मौका नहीं मिल रहा है। बहुत जगह ट्रेडीशंस हो जाते हैं कम काम करने के और ज्यादा काम करने के। इसलिए अगर वाकई जरूरत है रोजगार की और बाहर के आदमी आवें और अपने यहां के आदमी काम न करें, तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनके लिए क्या किया जाय। उनके मुंह में ग्रास दिया जाय या उनके घर पर पैसा भेजा जाय? इस तरह हो सकता है साल भर, दो साल, दस साल भी हो सकता है लेकिन इससे उन लोगों के साथ अन्याय ही होगा, उन लोगों के साथ हम बुराई ही करेंगे जो अपने पैरों पर खड़े न हों। बाहर से आदमी आयें और वहां के आदमी न करें। टेस्ट वर्क

[श्री चरण सिंह]

के माने लोगों ने यही समझ लिये हैं कि ५ मील के अन्दर सब को काम मिल जाय और हमेशा चलता रहे। यही बात श्रीमन्, देवरिया में बराबर जारी है कि टेस्ट वर्क बारहों महीने रहे। श्रीमन् यह तो स्पेशल कंटिजेंसी के लिये है विशेष परिस्थिति के लिये है और साधारण परिस्थिति में नहीं होना चाहिये और नारमल इवेंट में नहीं होना चाहिये। टेस्ट वर्क बराबर साल की साल चलता रहे जैसे कि देवरिया में चला है ७ मई से लेकर १ मार्च तक यह टेस्ट वर्क नहीं हुआ बल्कि यह तो लोगों को डिमोरेलाइज करना है। मैं इसको फिर दोहराता हूं क्योंकि आदमी यह समझता है कि यदि आठ आने का काम घर पर मिल जाता है तो डेढ़ रुपये रोज के लिये वह डेढ़ सौ कोस जाने के लिये तैयार नहीं होता है। अगर चला जाय तो उसकी इकोनोमिक कंडीशन अच्छी हो जायगी। उसमें हिम्मत पैदा होगी और सेल्फ कांफिडेंस पैदा होगा। अगर इस तरह से आठ आने रोज के काम पर ही पड़ा रहा तो वह हमेशा गरीब ही रहेगा। लेकिन बराबर जोर दिया जाता है कि लोग भूखों मर रहे हैं, बड़ी परेशानी है, इस डर की वजह से इसको कायम रखना पड़ता है।

श्रीमन्, २५ हजार या शायद २१ हजार मजदूर काम कर रहे हैं। जब हारवेस्टिंग हो रही है, फसल कट रही है जिसमें बहुत से मजदूरों की जरूरत होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा था ५-६ फरवरी को बन्द करने के लिये लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी चलने दो और पहली मार्च को या ११ मार्च को होली के बाद बन्द कर दो। मैंने एक एम० एल० ए० से भी पूछा था कि आपकी क्या राय है तो उन्होंने भी राय दे दी थी। मैं जानता था कि पहली मार्च और ११ मार्च बजट से पहले पड़ रही है। लेकिन फिर भी इसलिये कि इससे स्थिति साफ हो जायगी मैंने यही तिथि निश्चित की। जब कि मजदूर खेतों में काम कर सकते हैं तो इस बात को ऐप्रीशियेट किया जाना चाहिये था और गेंदासिंह जी को स्वयं सुझाव देना चाहिये था कि इसको बन्द कर दिया जाय। लेकिन कोई सुझाव नहीं दिया गया और अब मैंने बन्द कर दिया तो नुक्ताचीनी की गई। आज उन्होंने भी माना कि मर्द तो बाहर जाते हैं लेकिन औरतों के लिये और बच्चों के लिये वहीं चाहिये। यह खूब रहा, यह तो टेस्ट वर्क का हमारा कंसेप्शन नहीं है।

इलाहाबाद के सिलसिले में माननीय बहुगुणा जी ने कहा। वह मुझसे मिल चुके हैं। मैंने उनसे कहा है कि वह मुझसे फिर मिल लें और हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। रामजी सहाय जी ने तीन बातें कहीं। एक तो यह कि मजदूरी कम है, कहीं ज्यादा है और कहीं कम है...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपको एक बार जवाब देने का और मौका मिलेगा। ऐसा मालूम होता है कि कुछ लोग और कहना चाहते हैं।

श्री राजनारायण—२५ मिनट माननीय मंत्री जी बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—क्या आप बोलना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान पर इस समय हम विचार-विनिमय कर रहे हैं और जब महत्वपूर्ण अनुदान पर विचार-विनिमय हो तो सारा समय इस पर नहीं लगाया जाना चाहिये कि किस जिले में....

श्री अध्यक्ष—मैं एक चीज जरूर पूछ लूंगा कि अगर ५ बजे खत्म करना है तो ७-८ मिनट आप लेंगे, फिर भी रामसुन्दर पांडेय बोलेंगे और इसके बाद मंत्री जी बोलेंगे। नहीं तो इस अनुदान को कल भी १०-१५ मिनट और ले लें और कल के लिये यह जारी रहेगा। आप क्या चाहते हैं ? कल ही इस पर वोटिंग हो ?

श्री राजनारायण—जी हां, श्रीमन्, कल ही वोटिंग ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष--तो दस मिनट आप ले लें।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आप उचित समझें कि दो-चार मिनट और दे देना चाहिये तो दे दीजियेगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब इतना महत्वपूर्ण प्रश्न विचाराधीन प्रस्तुत हो तो सदन में सारा समय इसी पर व्यतीत हो जाय कि किस जिले में हमने कितना पैसा दुर्भिक्ष की सहायता के लिये दिया और कितने मजदूर कितने समय तक काम में लगे यह बहुत अच्छी बात नहीं है। और श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह पहले ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि स्वतः मैं किसी भी व्यक्ति के ईमान पर आक्रमण नहीं करता और मैं किसी को बेईमान नहीं मानता। मैं तो जो कार्य का नतीजा निकलता है उसको देखता हूं और मैं यहां तक आपको बता दूं कि अगर कोई हमारा जेबा भी काट ले सड़क पर चलते हुये तो मैं उसको भी बेईमान नहीं समझता। मैं तो उन तमाम कारणों में जाता हूं कि आखिर उस बेचारे ने क्यों हमारी जेब को काटा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि दुर्भिक्ष है या नहीं, आज लोगों को खाने के लिये अन्न मिल पा रहा है या नहीं और अगर दुर्भिक्ष है तो क्यों है और उसको मिटाने के लिये क्या समुचित साधन हम मुहय्या कर पा रहे हैं या नहीं, इन प्रश्नों पर विचार होना चाहिये। जब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो हम अपने समर्थन में गांधी जी के एक वाक्य का भी वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं। गांधी जी ने अपने 'हरिजन' में बराबर इस बात को स्पष्ट किया है कि फेमिन के बारे में सर्वदा यह कहना कि दैवी प्रकोप के कारण ही फेमिन हुआ ऐसी बात नहीं है। गांधी जी ने इसको भी साफ किया कि यह तो मानवी शक्ति के अन्दर है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटा पाता है या नहीं। इसलिये सदन में इस बात पर भी बहुत चर्चा नहीं होनी चाहिये कि यह तो दैवी प्रकोप है, बाढ़ आ गयी तो हम क्या करें, सूखा पड़ गया तो हम क्या करें, फस्ल को टिड्डियों ने खा डाला तो हम क्या करें? सबका निराकरण हो सकता है और यदि कहीं पर बाढ़ आ गयी तो बाढ़ आ जाना स्वतः दुर्भिक्ष का कारण नहीं हो सकता जब कि हम दूसरे साधनों से वहां पर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटायें। इसलिये मैं यह आपसे और आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि जब मतभेद होगा और माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय राजस्व मंत्री जी में यह मतभेद पुराना है, एक दिन, दो दिन, चार दिन का नहीं, कम से कम देवरिया की ही बात को लेकर तीन साल के करीब पुराना मतभेद चलता चला आ रहा है, हमारी तरफ के लोग कहते हैं कि दुर्भिक्ष है, हमारी तरफ के लोग कहते हैं कि भूखों मरने की परिस्थिति पैदा है, सरकार की ओर से कहा जाता है कि नहीं और अपने तर्क के समर्थन में वह स्थानीय जिलाधीश और कमिश्नर का भी हवाला देती है और कहती है कि कमिश्नर की रिपोर्ट ऐसी है। एक बात तो यहां पर यह भी कह दी है कि कमिश्नर ने सरकार को यह खबर कर दी कि माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी सम्भवतः कमिश्नर के जाने की सूचना पाने पर और आग्रह करने पर भी, उनके साथ नहीं गये जिसके बारे में, श्रीमन् स्पष्ट तरीके से माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने खंडन किया कि जब कमिश्नर वहां गये थे तो मैं वहां था ही नहीं। लेकिन जहां तक मेरा तर्क है, मेरे तर्क की परिधि के बाहर हैं यह सब बातें। मेरा तर्क तो यहां खड़ा हुआ है कि आज सारे प्रान्त में दुर्भिक्ष है और दुर्भिक्ष के कारण जहां तक दैवी प्रकोप की बात कही जाती है उससे ज्यादा आज दुर्भिक्ष का कारण यह सरकार बनी हुई है।

मान लीजिये, श्रीमन्, कहीं सूखा न पड़े, कहीं बाढ़ न आये लेकिन मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के जो साधन हैं वे साधन सरकार के द्वारा छीन लिये जायं तो वहां क्या परिस्थिति पैदा होगी? दुर्भिक्ष आये या नहीं? लोग भूखों मरेंगे या नहीं? मरणासन्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

होंगे या नहीं ? यह प्रश्न है जो मूल प्रश्न है। और उस मूल प्रश्न की बराबर उपेक्षा किया करते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी कोई कमेटी बनाएं, फिर वही सवाल आ जाता है, श्रीमन् अब आप हमको कोई ऐसा शब्द बता दें जिसके द्वारा हम अपने भाव को व्यक्त करते रहें। कहीं माननीय मंत्री जी न समझ लें कि उनके मोटिव पर अटैक हो रहा है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि मैं कभी किसी के मोटिव पर अटैक नहीं करना चाहता। मगर यह परिस्थिति है तो क्यों है ? इन कारणों की अनालिसिस होनी चाहिये। बराबर जिलाधीश, कलेक्टर, परगना हाकिम, पटवारी, कानूनगो, उन्हीं की रिपोर्ट को सरकार सामने रख कर अपने तर्क को सदन में खड़ा करके हमारे तर्कों का उत्तर देगी तो यह सरकार के लिए बहुत पुरानी परिपाटी जो अंग्रेजों की, ब्रिटिश सरकार की परिपाटी है, उसी परिपाटी पर चलने की बात मानी जायगी। दूरी बात नहीं होगी। मैं, श्रीमन् आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जब कि सरकार में आप भी एक मंत्री के पद पर सुशोभित थे, देवरिया में सत्याग्रह चला। १९४९ की बात है। वहां का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट देता है, जिस रिपोर्ट की डेटवाइज हमने कापी लेकर यहां प्रस्तुत किया, सरकार के सामने लेकर भेजा। बड़ी कंट्रोवर्सी चली। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने डेटवाइज दिया कि यहां पर इतना पानी पड़ा जिसमें १४ आना, १२ आना और १० आना फसल मारी गयी। वहां के पटवारी और कानूनगो ने रिपोर्ट दी कि चार आने, तीन आने और दो आने फसल मारी गयी। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो जिले का अफसर था उसने यहां तक लिख दिया था कि कुछ क्षेत्रों में सारी की सारी फसल बरबाद हो गयी है। मगर क्या उसका नतीजा हुआ ? मुझे याद है वहां का अफिसर इसलिए कि वह रिपोर्ट राजनारायण को, गेंदा सिंह जी को कैसे मिल गयी, इस अपराध में दोषी बना कर देवरिया से ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे जिले में। यह उसको दंड मिला। यह उसका समाधान किया। उसकी रिपोर्ट ऐसी क्यों हुई ? पटवारी और कानूनगो की रिपोर्टें ऐसी क्यों हुई ? दोनों परस्पर विरोधी हो गयीं। दोनों ही सरकार के विभाग हैं। तो सरकार कहे कि हम कानूनगो और पटवारी की रिपोर्ट मानेंगे। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्टें नहीं मानेंगे।

अब हमारे पास क्या रास्ता है ? अब आप श्रीमन्, कोई शब्द बता दें, हम अपने भावों को कैसे व्यक्त करें। जब हम कहेंगे कि सरकार जानबूझ कर उपेक्षा कर रही है तब हमसे कहा जायगा कि आपने तो इंटेंशन पर मोटिव पर, अटैक कर दिया और हमारा मोटिव ऐसा नहीं है। बड़ा अच्छा मोटिव है। सरकार की आत्मा शुद्ध है। मैं मानता हूं सरकार के भाव इतने पवित्र हैं कि शायद उस उच्चकोटि के भावों तक हमारी कल्पना की उड़ान भी नहीं हो सकती है। मगर हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि जो आज दुर्भिक्ष की हालत है, आप छोड़ दीजिये देवरिया को, छोड़ दीजिये आजमगढ़ को, छोड़ दीजिये बलिया और गाजीपुर को, आप बनारस को ही ले लीजिये जहां के दो दो मंत्री हैं। वहां पर ३ वर्षों से लगातार ओला पड़ा, सूखा आया फिर ओला पड़ा और फिर सूखा आया। वहां पर माननीय मंत्री सिंचाई जाकर एलान करते हैं कि नलकूप का जो रेट है वह इस समय का नहीं लेंगे। अभी जब मैं डाक खोल रहा था तो वहां से एक चिट्ठी आयी उसमें यह लिखा है कि साहब इतनी जबरदस्ती नलकूप के रेट की वसूली, अभी जो तकावी बांटी गयी है उसकी वसूली और जो अभी गन्ने के लिये तकावी दी गयी है उसकी वसूली और दूसरे सरकारी करों की वसूली, सारी की सारी वसूली एक साथ हो रही है जो कि किसान की क्षमता के देने के बाहर की बात है। किसानों की इस साल ज्यादा फसल मारी गयी है। ४, ५ एकड़ के जो चक के खेत हैं उनमें आपईख का एक पौधा भी खड़ा नहीं पायेंगे क्योंकि इतनी जबरदस्त दीमक लग गयी हैं कि वह उनको खा गयी है। सरकार कहती है कि वहां पर दुर्भिक्ष नहीं है। जिला मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि वहां पर दुर्भिक्ष नहीं है, परन्तु हम क्या करें ? हम अपनी आंखों को धोखा दें या अपने अस्तित्व को

ही भूल जायं। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। हमारे यहां शंकराचार्य जी जिस मत का प्रतिपादन करते हैं उसी मत की परिस्थिति सी पैदा हो गयी है। इस लौकिक बात को मानें या पारलौकिक बात को मानें। "अहं सत्यं जगन्मिथ्या" की बात को माना जाय तो क्या हम लोग अपने को मिथ्या समझ लें कि हम जितने यहां पर बैठे हैं वह हैं या नहीं हैं? किन्तु यदि राजनारायण के अस्तित्व को सत्य माना जा सकता है तो जो उसने अपने आंखों से देखा है उसको भी धोखा नहीं दिया जा सकता है कि आज कुछ क्षेत्रों में भीषण अकाल है और आज लोग भूख से मर रहे हैं।

हमारे यहां अन्न की कमी है और उस खाने की पूर्ति सरकार की तरफ से होनी चाहिये। जब सरकार नाना प्रकार के कर लगाती है और सरकार उन करों को बराबर बढ़ाती चली जाती है, हम यहां पर तीन साल से देख रहे हैं कि पहले ५२-५३ में हमारे यहां का मूल बजट ६५ करोड़ का था। ५३-५४ में बजट ७८ करोड़ का हो गया। ५४-५५ में फिर वह ८१ करोड़ का हो गया और इस साल ५५-५६ के लिये ९१ करोड़ का बजट हो गया है। अब इस ९१ करोड़ के बजट में से दुर्भिक्ष सहायता के लिये कितना रुपया रखा गया है? पिछले बजट का दोहराया तखमीना जो था उसकी रकम ३० लाख २४ हजार ९०० रुपये है और अब की बार १७ लाख ८१ हजार ९०० रुपया रखा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? यह ९१ करोड़ रुपया राजनारायण के किसी क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर आ जाने से तो सरकार के खजाने में नहीं आ गया या राजनारायण के मंत्री पद पर आसीन हो जाने से सरकारी खजाने में नहीं बढ़ गया। तो अगर यह ९१ करोड़ रुपया वसूल होगा वह जनता से वसूल किया जायगा और जनता से टैक्स के रूप में यह रुपया आयेगा। यह सारा रुपया जनता से टैक्स के रूप में ही तो आता है। मैं तो आप अपने मित्र काटजू साहब को धन्यवाद देता हूं कि आज इस सदन में हमने जो उनका भाषण सुना उससे हमारी समझ के मुताबिक हमको ऐसा लगा कि अब उनके विचारों में भी परिवर्तन हो रहा है। मैं इस पर विवाद नहीं करना चाहता हूं। यह तो इसी प्रकार से है जैसे कि फ्रान्स की पार्लियामेंट में एक बार इस तरह का विवाद चला कि जो वहां की वर्तमान सरकार थी उसके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि यह सरकार बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े साइनबोर्ड बनाने में बहुत पटु है। वही आरोप हम इस सरकार पर लगाना चाहते हैं कि यह सही है कि यह सरकार उसी तरह से चल रही है कि साइन बोर्ड बहुत सुन्दर होने चाहिये। ग्रान्ड ट्रन्क रोड पेशावर से कलकत्ता जाती है तो उस पर विदेशी लोगों की कार इस प्रकार से दौड़ती चली जाय कि जिससे कोई कठिनाई न हो और वह लोग यह भी समझें कि बड़े भारी तरक्की के रास्ते पर यह सरकार चली जा रही है। एक उनको टेस्टीमोनियल भी देंगे, मगर नलकूप से पानी निकल रहा है या नहीं, हमारा नलकूप काम कर रहा है या नहीं इसको वह नहीं देखेंगे।

हमारा आप से इतना ही निवेदन है कि माननीय राजस्व मंत्री जी जो तर्क प्रस्तुत करते हैं उस तर्क को किसी तरीके से भी, चाहते हुए भी, मानने में असमर्थ हैं। जब हमारे और माननीय राजस्व मंत्री जी के दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर है और बार बार राजस्व मंत्री जी यह कहते हैं कि वे सही हैं और हम कहते हैं कि हम सही हैं तो इन दोनों बातों के बीच में कोई बात अवश्य होनी चाहिये। इसके लिये एक समिति चाहे वह इस सदन के माननीय सदस्यों की ही क्यों न हो, बनायी जानी चाहिये, हम उस पर विश्वास करते हैं। हम यह नहीं समझते कि उनका मोटिव ग़लत होगा क्योंकि माननीय विधान सभा के सदस्य जब घटनास्थल पर जायेंगे और वहां की परिस्थिति का निरीक्षण करेंगे और फिर भी अगर ग़लत रिपोर्ट देंगे तो उसका असर जनता के मत पर पड़ेगा और इस भय से वे झूठी रिपोर्ट न दे सकेंगे। सरकारी कर्मचारी तो अबला हैं, वे तो अपने मालिक की भृकुटी पर नाचते हैं। हमें मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता नहीं तो विवाद बढ़ जायगा। हमने जो कुछ देखा है उसका नतीजा यही निकलता है कि अगर सरकार डी० एम० से चाहे तो डी० एम० यही रिपोर्ट देगा कि वहां की जनता को पैसे की अब

[श्री राजनारायण]

जरूरत नहीं है। आखिर हम भी तो इधर उधर घूमते हैं, घटनास्थल पर जाते रहते हैं, हम उनसे कहते हैं कि वहां अकाल है, वहां की फसल मारी गयी है, वहां सूखा पड़ गया है, लेकिन वे लोग कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम फ्री नहीं हैं, फ्रीडम के साथ अपनी ओपीनियम नहीं दे सकते। मैं ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी हमारे, अपने और इस प्रदेश की जनता के ऊपर कृपा करें और इसके सम्बन्ध में एक निष्पक्ष, कुशल और प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों की समिति बना दें जो जाकर अपनी आंखों से वस्तु स्थिति का निरीक्षण कर ले कि वहां टेस्ट वर्क्स की आवश्यकता है या नहीं, वह चलने चाहिये या नहीं, वहां अकाल की स्थिति है या नहीं, दुर्भिक्ष वहां है या नहीं। क्योंकि इसमें हमारा और माननीय राजस्व मंत्री का मौलिक मतभेद है, हम कहते हैं कि वहां पर दुर्भिक्ष है और जो रिपोर्ट सरकारी कर्मचारी वहां से भेजते हैं वह ग़लत है, निराधार है और जितना रुपया दुर्भिक्ष के लिये मांगा जाना चाहिये वह भी उन्होंने नहीं मांगा है।

श्री अध्यक्ष—श्री राम सुन्दर पांडेय अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

*उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युऐंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युऐंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है और अधिक विवादास्पद भी नहीं है। यह विधेयक १९४७ में बना था और उसके बाद सन् ५३ में पुनर्विहित हुआ। इसकी मियाद २५ जनवरी, सन् ५५ को समाप्त होने को थी लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय ने उसको जारी रखने के लिये अध्यादेश जारी किया। आज भी ऐसी स्थिति है कि फायर ब्रिक्स से भिन्न तथा वन में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर नियंत्रण जारी रखना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। सन् १९४७ में जब पहली बार यह निवेदन सदन में प्रस्तुत हुआ था उस समय हमारे प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव था और उस समय सब का ध्यान कंट्रोल की तरफ था और सब उसे विवादात्मक विषय समझते थे। आज उससे भिन्न परिस्थिति है। इस बीच में हमारे प्रदेश में धीरे धीरे कंट्रोल समाप्त होता जा रहा है और जिन वस्तुओं का उस समय अभाव था वे वस्तुयें अब धीरे धीरे हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पैदा होती जा रही हैं, इसलिये कंट्रोल भी उनका धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लेकिन जिन वस्तुओं का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, फायर ब्रिक्स से भिन्न और दूसरे बन में उत्पन्न होने वाली वस्तुयें.....

श्री अध्यक्ष—फायर ब्रिक्स से भिन्न क्या चीज ? फायर ब्रिक्स से भिन्न ब्रिक्स ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, फायर ब्रिक्स से भिन्न ब्रिक्स। पहले सन् १९५१ में कंट्रोल पहली बार हटाया गया था। उस समय सरकार का यह विश्वास हो चला था कि अब काफी मात्रा में कोल डस्ट मिल रहा है और काम अच्छी तरह चल रहा है लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलती गयी और कोल की सप्लाई कम होती गयी। इस तरह से जो ब्रिक्स बनाये गये उनकी कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ। सन् १९५३ के प्रारम्भ में सरकार

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक। २८ फरवरी, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

ने इस विषय पर विचार किया। केंद्र के उत्पादन मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री में विचार विनिमय हुआ और उसके बाद एक कानफ्रेंस बुलायी गयी जिसका सभापतित्व हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने किया। उसमें रेलवे के जनरल मैनेजर्स तथा कोल कमिश्नर भी शामिल थे और इस विषय पर विचार विमर्श हुआ और उसके पश्चात् स्थिति में सुधार करने की कोशिश की गयी। फिर सन् ५३ के सितम्बर में यह नियंत्रण लागू किया गया, क्योंकि यह समझा गया कि बगैर नियंत्रण के हम इस उद्योग को भली प्रकार अपने प्रदेश में नहीं चला सकते हैं और लोगों को ब्रिक्स आसानी से प्राप्त नहीं हो सकेंगे। सन् ५३ से अब तक हमारे प्रदेश में ब्रिक्स के ऊपर नियंत्रण है और वह काफी सफलता के साथ चल रहा है और मैं कह सकता हूं कि इस संबंध में कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी है। आज भी आवश्यकता है कि इसको आगे कायम रखा जाय। इसके ऊपर नियंत्रण रखना इसलिये भी आवश्यक है कि हमारे प्रदेश तथा देश में जो पंचवर्षीय योजना चल रही है उसमें अनेक निर्माण के कार्य हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। सड़कों का निर्माण है, कुओं का निर्माण है, पंचायत घरों का निर्माण है, स्कूलों का निर्माण है और इन सब चीजों के लिये ईंटों की आवश्यकता होती है। इसलिये अगर इस पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो ये निर्माण के काम आसानी से नहीं चल सकते हैं। इसलिये आवश्यक है कि अभी ब्रिक्स पर नियंत्रण जारी रखा जाय।

इसके साथ ही साथ जो फारेस्ट प्रोड्यूस का मैंने उल्लेख किया, बन से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक है। हमारे प्रदेश में फारेस्ट प्रोड्यूस इतना कम है कि उससे हम सारे प्रदेश के नगरों को ईंधन नहीं सप्लाई कर पाते। उत्पादन कम है और जनता की मांग बहुत अधिक है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि अभी ईंधन पर भी नियंत्रण रखा जाय। सरकार का इरादा है कि लखनऊ, कानपुर, बनारस, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, इलाहाबाद और फैजाबाद जिले में लकड़ी की सप्लाई के ऊपर कंट्रोल रखा जाय; इसके अतिरिक्त इन शहरों में लकड़ी सप्लाई करने की व्यवस्था सरकार की ओर से होगी। इस तरह से जिन फारेस्ट डिवीजन्स से यह लकड़ी आयेगी उन जंगलों पर भी यह सरकारी कंट्रोल लागू रहेगा, लेकिन सरकार का इरादा है कि बुन्देलखंड फारेस्ट डिवीजन और बांदा फारेस्ट डिवीजन से यह नियंत्रण हटा दिया जाय और जैसे जैसे ईंधन काफी मिलने लगेगा उसी तरह से यह नियंत्रण भी ढीले होते रहेंगे। इस तरह से मैंने इन दोनों वस्तुओं के विषय में प्रकाश डाल दिया है और मुझे आशा है कि इस छोटे से विधेयक को सदन स्वीकार करेगा और जल्द पारित कर देगा।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इस विधेयक के जो उद्देश्य और कारण सरकार की ओर से प्रस्तुत किये जा रहे हैं वह यह हैं कि "अब भी ऐसी परिस्थिति वर्तमान है जिसके कारण फायर ब्रिक्स से भिन्न और बन में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर नियंत्रण जारी रखना आवश्यक है, तदनुसार उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाई (कंटीन्युऐंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है"। इस बिल को प्रस्तुत करते समय अभी जो सरकार की ओर से प्रमुख तर्क प्रस्तुत किये गये उसमें ईंटों के बारे में कुछ कहा गया सरकार की ओर से कहा गया कि विकास की योजनायें कार्यान्वित हो रही हैं, भवन बनने हैं और ईंटों से कार्य सम्पन्न होना है इसलिये आवश्यकता है कि नियंत्रण जारी रहे। हम समझते हैं कि इस सदन में हम सब लोग एक मत पर हो चुके होंगे कि अब कंट्रोल का जारी रहना कोई अच्छी बात नहीं है। श्रीमन्, हमारे विषय में अक्सर सदस्य लोग कह दिया करते हैं कि जब भी कोई विषय होता है और राजनारायण खड़े होते हैं तो वह उसमें मौलिक और उसूल की बात ला देते हैं। मैं आपसे श्रीमन्, जरूर निवेदन करूंगा कि हमारे ऊपर जो इस तरह के आक्रमण हों तो आपको हमारी कुछ सहायता करनी चाहिये, क्योंकि बिना उसूल के न तो कोई बात कही जा सकती है और न ऐक्ट ही बन सकता है। हम इस दोष के भागी अवश्य हैं कि उसूल को ताक पर रखकर कोई बात नहीं कहते, यह तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

एक बड़ा छोटा सा, एक नन्हा सा बिल है । यह बिल हो या कोई मंत्री जी का बड़ा विशाल विधेयक हो लेकिन हम किसी उसूल को लेकर ही चलना चाहते हैं, उसूल से रहित बात करना हम गलत समझते हैं। हम एक सुन्दर समाज की रचना करना चाहते हैं और वही हमारा चरम लक्ष्य है और उधर ही हमारी प्रगति होगी। यह नहीं हो सकता कि हमारा चरम लक्ष्य दूसरा हो और उस तक पहुंचने के लिये हमारे कदम बिलकुल विपरीत दिशा में उठें। हम यह मान कर चलते हैं कि हमारा चरम लक्ष्य ऐसी व्यवस्था को बनाना है जो व्यवस्था हर इन्सान को समान अवसर प्रदान करे, हर इंसान के अन्दर जो विषमता के भाव है और उनको कायम करने की जो परिस्थितियां हैं उनको खतम करे ।

श्री अध्यक्ष—मैं यहां आप की सहायता नहीं कर सकता कि आप डिसकोर्स सोशलिज्म पर करने लगें ।

श्री राजनारायण—इस तरह से जब शोषण की प्रथा को खत्म करना हमारा उद्देश्य है तो हमें देखना चाहिए कि आज सरकार की इस मनोवृत्ति के कारण शोषण की प्रणाली कायम है या नहीं। हम तो श्रीमन्, जहां जहां जाते हैं देखते हैं कि कुछ सरकारी भट्ठे भी ईंटों के हैं। सरकार को बताना चाहिये था कि कितने ईंटों के सरकारी भट्ठे हैं, कोआपरेटिव रूप से भी कुछ भट्ठे हैं, वे कितने हैं और निजी तौर पर कितने भट्ठे हैं। सरकारी भट्ठों से कितनी ईंटें पैदा होती है, कितनी कोआपरेटिव जो अर्ध सरकारी है उनके भट्ठों के जरिये से ईंटों पैदा होती हैं और कितनी ईंटें निजी तौर पर चलने वाले भट्ठों से पैदा होती हैं। जो ईंटों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी उद्योग से कितनी दूर तक होती है। इसके कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं है और विधेयक आ गया है कि हम इसको मान्यता, प्रदान करें और इसको पास करें क्योंकि विकास की योजनायों को करना आवश्यक है और ईंटों की आवश्यकता है। यद्यपि आज ही प्रातः सुनाई पड़ा था कि सीमेंट से कंट्रोल हटाया जा रहा है? तो सीमेंट से तो कंट्रोल हटाया जा रहा है और आजकल सीमेंट और ईंटों का काफी संयोग रहता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—ईंट और सीमेंट का हमेशा से था।

श्री राजनारायण—अब मैं माननीय बहुगुणा जी के साथ तर्क में क्या पड़ूं लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि सीमेंट से ईंटों के साथ लगने लगी है। वे पुरानी बिल्डिंगों को देखेंगे तो सीमेंट की कमी पायेंगे लेकिन आजकल की बिल्डिगों का जहां तक संबंध है उनमें यह हो रहा है। तो सरकार को भाव भी बताना चाहिये कि सरकारी भट्ठों से जो ईंटें बिक रही है वे किस भाव पर, कोआपरेटिव द्वारा चलने वाले भट्ठों से जो ईंटें बिक रही है वह किस भाव पर और निजी ढंग पर चलने वाले भट्ठों की ईंटें किस भाव पर बिक रही हैं और कितनी सहूलियतें सरकारी भट्ठों को मिल रही हैं, कितनी कोआपरेटिव द्वारा चलने वाले भट्ठों को मिल रही हैं और कितनी निजी ढंग पर चलने वाले भट्ठों को मिल रही हैं। मैं अपनी जानकारी से आज सदन में यह कहने के लिये तैयार हूं कि आज भी जो व्यक्तिगत ढंग से भट्ठे चलते हैं वे बनिस्बत सरकारी और कोआपरेटिव के भट्ठों के सस्ती ईंटें दे रहे हैं। मैं ऐसे स्थानों पर भ्रमण करता हूं जहां पर निजी भट्ठे भी चलते हैं और जहां कोआपरेटिव के भट्ठे भी चलते हैं। क्या कोई प्रमाण इस सदन में प्रस्तुत किया गया है कि कोआपरेटिव के भट्ठों की ईंटें सस्ती और अच्छी होती हैं? हर्गिज नहीं। फिर सरकार सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले। कोयला अगर मिले तो पहले सरकारी भट्ठे को मिले, कोआपरेटिव के भट्ठे को मिले और निजी कारबार चलाने वाले को बाद में मिले। मैं कितने लोगों को जानता हूं कि कोयला समय से न मिलने के कारण उनका सारा कच्चा ईंटा नष्ट हो गया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आपको निजी सम्पत्ति से क्या प्रेम हो गया?

श्री राजन राय्यण—अब श्रीमन्, आप मुझे अवसर दीजिये। अब मुझे पर्सनल और प्राइवेट के बारे में कहना पड़ेगा। प्राइवेट सम्पत्ति और परसनल सम्पत्ति ये दो शब्द होते हैं। इन दोनों को समझना चाहिये। निजी और व्यक्तिगत दोनों में फर्क माना गया है और जो समाजवादी शास्त्र के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वे इस फर्क को अवश्य समझते होंगे। निजी क्या है, यह मेरा कुर्ता है, यह मेरी घड़ी है, मेरी छड़ी है, इसको तो हम निजी सम्पत्ति कह सकते हैं। मगर खेद है, उद्योग है तो उसे हम निजी सम्पत्ति नहीं कह सकते। यह व्यक्तिगत प्रापर्टी कही जाती है जिस पर शोषण का महल खड़ा होता है। इसीलिये कहा जाता है मीन्स आफ प्रोडक्शन, उत्पादन का साधन, मीन्स आफ डिस्ट्रिब्यूशन (बटवारे का साधन) मीन्स आफ एक्सचेंज (वितरण का साधन) समाज के हाथ में होना चाहिये। इतना ही कह कर मैं बन्द कर देता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—ईटों का भट्ठा क्या है?

श्री राजन राय्यण—उस पर ही आ रहा हूं। जब तक हम लोगों के दिमाग में सफाई नहीं होगी हम सही रूप से ऐक्ट नहीं बना सकते। उदाहरण के लिये मैं रूस को लेता हूं। रूस में स्टेट प्रोटेक्शनिज्म थ्योरी, राष्ट्र संरक्षण की थ्योरी चली है। उसमें यह तर्क दिया गया है कि रूस के पास कोई उपनिवेश नहीं है। अगर रूस में उद्योग धंधों को विकसित कराना है जबकि चारों तरफ से पूंजीवादी मुल्क घेरे हुये है तो रूस के उद्योग धंधों को विकसित कराने के लिये वहां की खेती का शोषण करना पड़ेगा। इसलिये ऐग्रीकल्चर एक शोषण का साधन बन गई वहां के उद्योग धंधों को विकसित करने के लिये। श्रीमन्, हमारे इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिये रूस की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार दोनों ओर से इस बात को माना गया कि जो सेंट्रलाइजेशन खेती के उद्योग में हुआ है वह गलत है, उससे खेती तबाह हुई है, बरबाद हुई है और खेती का विकास रुका है। एक मुल्क जो सेंट्रलाइजेशन की स्कीम का अगुआ था, जो डिक्टेटरशिप का अगुआ था अब वह इस बात को मान चुका है कि नहीं डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये और व्यक्ति के हाथ में वे साधन जाने चाहिये। व्यक्तिगत प्रापर्टी का यह मतलब नहीं होता कि व्यक्ति का कंट्रोल ही बिल्कुल खत्म हो जाय, व्यक्ति का इनिशियेटिव बिल्कुल खत्म हो जाय, व्यक्ति की ओपीनियन बिल्कुल खत्म हो जाय। व्यक्ति के पास अगर शोषण का जरिया रहेगा तो वह दूसरी बात होगी। शोषण का जरिया समाप्त हो। अगर इस सिद्धांत को मान कर नहीं चलेंगे तो हमेशा गल्ती करते रहेंगे। हम लोग सेंट्रलाइजेशन की स्कीम और डेमोक्रेसी की स्कीम को एक साथ नहीं ले चल सकते। इसलिये मैं यह निवेदन कर दूं कि इन दोनों सिद्धांतों की अच्छी तरह से सफाई करके हमें अपने दिमाग को परिष्कृत करना पड़ेगा तभी डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन और गांधीवाद और गांधी जी का नाम लेने का हक हमें हो सकता है, वर्ना सेंट्रलाइजेशन की स्कीम चलायें, सरकारीकरण करते चले जायं और साथ ही डेमोक्रेसी का और गांधी जी का नाम लेते चले जायं यह दोनों बातें असंगत होंगी। मैं आज इस विधेयक के संबंध में केवल इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो कहा गया उसकी सफाई अच्छी तरह से नहीं हुई। अगर सरकार यह बताती कि ईंट की कमी है इसलिये उस कमी की पूर्ति के लिये हम नियंत्रण कर रहे हैं तो उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता। कभी कभी ऐसी परस्थितियां पैदा हो सकती हैं जब कि जीवन को नियंत्रित करने के लिये ताकि सबको सुविधा मिले, हम कंट्रोल की व्यवस्था चालू करें, लेकिन वह स्थायी रूप ग्रहण नहीं कर सकती, वह एक टेस्पोरेरी फेज होगा, सामयिक होगा और सामयिक के कुछ अर्थ माने गये हैं। सन् ४७ से ले कर सन् ५७ तक सामयिक नहीं कहा जा सकता। सन् १९४२ मैं लेता हूं। ४२ के पहले समय जिस गति से भागता था १९४२ के बाद का समय कम से कम उसका २० गुना तेज रफ्तार से भागने लगा है और उस २० गुना भागते हुए रफ्तार के समय में भी आठ साल का समय किसी भी वस्तु पर, किसी भी पण्य पर कंट्रोल कायम रखने के लिये सरकारी तर्क के समर्थन में खड़ा हो, मैं समझता हूं कि यह गलत है।

[श्री राजनारायण]

७ साल का समय काफी था और मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इन बातों को सदन में रखें कि कितनी ईंटों की जरूरत है, कितनी ईंटें इस समय बन रही हैं और क्या वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति इस समय पैदा होने वाली ईंटों से हो सकती है या नहीं और होती है पूर्ति यदि तो फिर निजी हाथ में जो उद्योग हैं वह उद्योग सरकारी हाथ में जा कर यदि जनता के लिये सहूलियत नहीं पैदा करता, यदि जनता के लिये सस्तई नहीं पैदा करता तो इसके क्या माने हैं। किसी भी योजना का अर्थ जनता को अलग करके नहीं होता। जनता के कल्याण के लिये, जनता के लाभ के लिये, जनता के उत्थान के लिये यदि कोई योजना है तब उस योजना का समर्थन हम हर समय करने को तैयार हैं। मगर जनता के ऊपर बोझ बढाने के लिये जनता पर मंहगाई लादने के लिये और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति न होने देने के लिये सरकारी हाथों में सारी ताकत चली जाय इसका सख्त विरोध मैं हर मौके पर करने के लिये अपने को उद्यत पाऊंगा। मैं इतने ही शब्दों के साथ यह सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार जितनी बातें हमने उनसे पूछी हैं उनको इस सदन में रखे और इसके बाद फिर जब हम इस विधेयक की धाराओं पर विचार करेंगे तो उस समय अपनी सम्मति व्यक्त करेंगे, मगर एक निवेदन के साथ कि हम से किसी बात का समर्थन कराया जाय तो तर्क के साथ कराया जाय, हठवादिता के साथ नहीं, बल के साथ नहीं। बल भी हो तो बुद्धि का बल हो और अगर वह बल बुद्धि के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज का होगा तो उसे मानने में श्रीमन्, हम असमर्थ होंगे। हां, हमारी शक्ति कम है, हम उसे शांति के साथ सह लेंगे, आप उपेक्षा करें, सरकारी पक्ष के लोग चाहे जो भी भाव व्यक्त करें लेकिन हम "टिट फार टैट" के सिद्धांत को मानने वाले नहीं है और हम तो इस सिद्धांत पर चलते हैं कि अगर दुष्ट आदमी अपनी दुष्टताई नहीं छोड़ता तो साधु को अपनी साधुताई नहीं छोड़नी चाहिये।

श्री दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैंने सभा सचिव जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना है। जहां तक इस सिद्धांत का प्रश्न है कि आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण बना रहे, मैं इससे सहमत हूं और इस दृष्टि से कोयले तथा ईंटों के नियंत्रण को मैं आवश्यक मानता हूं। किन्तु सभा सचिव ने लकड़ी के नियंत्रण के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें मुझे उनको कुछ निवेदन करना है। उन्होंने यह कहा कि आठ शहरों में लकड़ी नियंत्रण से बिकेगी और उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि बांदा और बुन्देलखंड की लकड़ी के जो डिवीजन फारेस्ट के हैं उन पर से नियंत्रण उठा लिया गया है। मैं इस प्रदेश के उस भाग से आता हूं कि जहां पर बहुत बड़ा जंगल है। सहारनपुर फारेस्ट डिवीजन में टिम्बर कम होता है लेकिन ईंधन ज्यादा होता है। इसी प्रकार इसके पड़ोस में लैंसडाउन में और दूसरे डिवीजनों में भी टिम्बर के साथ साथ ईंधन होता है। मेरा विचार यह है कि अब जब कि लकड़ी सस्ती हो चली है और बाजार में उसका भाव नियंत्रण के भाव से कम है तो अगर बांदा और बुंदेलखंड के डिवीजनों की भांति सहारनपुर की लकड़ी से भी कंट्रोल उठा लिया जाय तो जहां लकड़ी सस्ती मिलेगी वहां साथ ही साथ बाहर भेजने वाले व्यापारियों की परेशानी भी कम होगी। मैंने इस सदन में प्रश्न भी किया था लेकिन उसका उत्तर ठीक ढंग से नहीं मिला। मैं देखता हूं कि आज कल फरवरी मार्च में जो लकड़ी वहां आती है लैंसडाउन से या चाहे वह सहारनपुर से ही आती हो वह सब ज्वालापुर में ही इकट्ठा होती है। और वह सरकारी तौर पर कंट्रोल में ले ली जाती है क्योंकि भाव जो है वह सस्ता है और सरकारी नियंत्रण सख्त है इसलिये वह लकड़ी साल भर उस डिपो में पड़ी रहती है वह लकड़ी इस साल यानी सन् १९५५ के फरवरी मार्च के महीने में कंट्रोल में ज्वालापुर में ही ली गई तो अगले साल सन् १९५५ के आखिर में नवम्बर या दिसम्बर के महीने में वह लकड़ी बिना सरकार द्वारा खरीदे छोड़ दी जाती है और व्यापारियों से कह दिया जाता है कि तुम उसे बेच सकते हो। इस बीच में ९ महीने या १० महीने तक लकड़ी पड़ी रहती है बरसात में खराब हो जाती है उसका भाव सस्ता हो जाता है क्योंकि सूख करके वजन कम हो जाता है, दूसरे दीमक लग जाती है और अन्य दृष्टि से भी खराब हो जाती है। और इसके साथ यह भी होता है कि मेरठ में लकड़ी का नियंत्रण है जो वहां भाव है उससे हरद्वार, ज्वालापुर और लैंसडाउन में भाव बहुत

कम है। परिणाम यह है कि जो सस्ती होती है तो कंट्रोल की लकड़ी बिकती नहीं है और सस्ती लकड़ी मेरठ के बाजार में पहुंच जाती है। फ़ायदा मेरठ के व्यापारियों को हुआ। वे १४ आने मन लकड़ी ले करके एक रुपया ६ आने मन कंट्रोल के भाव पर बेचते हैं, उनको केवल लाइसेंस होने के वजह से ७, ८ आने मन घर बैठे मिल जाते हैं। वह व्यापारी जिसने जंगल खरीदा था वह व्यापारी क्योंकि साल भर उसकी लकड़ी पड़ी रहती है, घाटे में हो जाता है अगर मंत्री महोदय या सभासचिव इस मामले की जांच करें और सहारनपुर डिवीजन को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि जो मैं कह रहा हूं वह बिलकुल सत्य है। मैंने यह भी सुना है कि वहां के अधिकारी यह चाहते हैं कि सहारनपुर डिवीजन में लकड़ी पर कंट्रोल न रहे। लेकिन चूंकि प्रांत भर में कंट्रोल है इसलिये वहां पर लकड़ी पर कंट्रोल बना हुआ है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जिस प्रकार बांदा के डिवीजन और बुंदेलखंड के डिवीजन में लकड़ी पर से कंट्रोल हटा दिया गया उसी प्रकार सहारनपुर में हटाया जाय और अच्छा तो यह है कि उसके पास पड़ोस के डिवीजन से भी नियंत्रण उठा लिया जाय। इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक के सिद्धांत का और उस बात का आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण होना चाहिये समर्थन करता हूं।

श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन में इस समय उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुये मैं यह ऐहसास करता हूं कि इन दिनों जब कि ईधन की कमी है, कोयले की कमी है तो नियंत्रण रहना ही चाहिये। अगर यह नियंत्रण न रहे तो मेरा खयाल है कि वह स्थान जहां निर्माण का कार्य हो रहा है ईटा और ईधन मिलने में दुश्वारी हो जायगी और ईंटों की कीमत इतनी बढ़ जायगी कि छोटे मोटे जो विकास के काम चल रहे हैं उनमें रुकावट आयेगी। हमारा कानपुर ऐसा शहर जो ईटा भी चाहता है, ईधन भी चाहता है और बदकिस्मती यह है कि आसपास कोई जंगल नहीं है जहां लकड़ी मिल सके, उसे केवल कोयले पर निर्भर करना पड़ता है। और कानपुर के देहातों में इन दिनों जब कि अन्न की कमी थी देहात में जहां छोटे मोटे जंगल थे वे कट गये और जो थोड़ा ईधन ढाक का मिलता था वह भी नहीं मिल पाता क्योंकि वहां काश्त होने लगी। कानपुर जिले में कुछ ऐसे देहात हैं जिनमें हमारे बहुत से मकानों में सचमुच खाना ही नहीं पक सकता अगर वह गोबर न जलावें। अध्यक्ष महोदय, आप यह देखिये कि वह कीमती चीज को अन्न पैदा करने में मदद करती है ऐसे जलाने के काम में लाया जाता है इसकी पूर्ति एक ही प्रकार से हो सकती है अगर बाजारों में आने वाली लकड़ी गृहस्थों के लिये छोड़ दी जाय और कानपुर जिले में छोटी छोटी मंडियां हैं उनमें कोयले के डिपों हों। कानपुर जिले में कुछ ऐसे कस्बे हैं जैसे पुखरायां, झींझक, बिल्लौर, घाटमपुर और मूसानगर जहां कोयले के छोटे डिपो थे वे तोड़ गिये गये। अब यह होता है कि ईधन जो बाजार में आता है वह गृहस्थों को नहीं मिलता है। उसे दुकानदार लोग ले लिया करते हैं और गृहस्थ कोयला भी नहीं पाते हैं। तो होता यह है कि वह गोबर जलाया करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि कानपुर शहर और कानपुर जिले की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कानपुर के जिले के उन कस्बों में जहां पर कि लकड़ी खाना बनाने के लिये अपर्याप्त है, वहां कृपा करके खाद को जलाने से बचावें और कृपा करके थोड़ी सी ऐसी दुकानें उन कस्बों में जहां कि आबादी ३ हजार से ऊपर की है, कोयले के डिपो खुलवाने का कष्ट करें।

ईटों पर तो कंट्रोल रहना ही चाहिये। माननीय राजनारायण जी ने जो उसका विरोध किया वह मेरी समझ में नहीं आया। एक तरफ तो वह कहते हैं कि लोगों को साम्यवाद की तरफ ले जाने देने के लिये यह जरूरी है कि शोषण के जरिये खत्म किये जायं और दूसरी तरफ वह समर्थन करते हैं कि इंडिविजुअल भट्ठे रहें।

श्री राजनारायण—यह मैंने कब कहा ?

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--जब कोई राष्ट्रीयकरण किसी चीज का होता है तो वह कह दिया करते हैं कि सरकारी नियंत्रण हो रहा है । कोआपरेटिव भी पसन्द नहीं करते, सरकारी संचालन भी पसन्द नहीं करते। अब वह पसन्द करने लग गये इंडिविजुअल भट्ठों को । मुझे तो आज सचमुच बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि राजनारायण जी फिर फिर इस चीज को एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हों ने क्या कहा ?

श्री राजनारायण--आपने कंट्रोल और साम्यवाद दोनों एक कर दिया ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--कोशिश तो आपने की थी। मैंने तो आपकी बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कानपुर जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस संशोधित विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके विरोध में माननीय नेता विरोधी दल के मैंने जो विचार सुने, यदि मैंने उनके सुनने में कोई भूल नहीं की है तो मैं उनकी बात सुनकर एक आश्चर्य में पड़ गया और उन्होंने जो बातें कहीं वह कुछ इस ढंग से कहीं कि उनको सुनने के बाद और भी ज्यादा आश्चर्य होना ही चाहिये था उन्होंने कहा कि मैं जब जिलों में गया और जो मेरा वहां का अनुभव है वह यह है कि वह ईटों के नियंत्रण की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं कर रहे हैं अगर मैं कोई भूल नहीं कर रहा हूं तो उन्होंने यही कहा उन्हें नेता विरोधी दल होने के नाते तमाम सूबे में भ्रमण करने का अवसर मिलता है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मुझे उनके बराबर या उनसे थोड़ा बहुत कम सूबे में घूमने का अवसर होता है, मैं तो अपने जिले के अनुभव की बात कह सकता हूं। सन् १९५२-५३ में जब मुझे स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिये ईटों की आवश्यकता हुई तो उन निजी भट्ठे वालों ने जिनकी वकालत आज हमारे नेता विरोधी दल ने खड़े होकर की, ४५ रुपये के दाम पर भी ईटें नहीं दीं और वह भी विकास कार्यों के लिये इसका सबूत हमारे राज्य के कार्यालयों में मेरी बहुत सी चिट्ठियों से मिल सकता है जो मैंने सन् १९५३ में माननीय मंत्री महोदय को लिखा थीं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने सूबे के किस कोने के अनुभव के आधार पर आज ईटों के कंट्रोल का विरोध किया।

श्री राजनारायण--आज क्या भाव ईट का आपके जिले में है ?

श्री महीलाल--अब यह मैं नहीं जानता। मेरे एक मित्र फरमा रहे हैं कि माननीय नेता विरोधी दल का स्वयं का भट्ठा है। मुझे मालूम नहीं। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि उनकी यह बात कम से कम मेरे जिले के अनुभव पर तो निराधार है कि निजी भट्ठे वाले कम दामों पर ईट बेचते हैं उस क्षेत्र में ईटों के दाम निजी भट्ठे वालों ने गिराये हैं जहां पर कोआपरेटिव के भट्ठे खुल गये है और कोआपरेटिव के भट्ठे से नियंत्रित मूल्य पर किसानों को या दूसरे विकास कार्यों के लिये ईटें मिलनी आरम्भ हो गई हैं। वरना आज भी ईटों पर नियंत्रण होते हुये निजी भट्ठे वाले नियंत्रित भाव से ऊंचे दामों पर ईटें दे रहे हैं जहां कोआपरेटिव विभाग अपने भट्ठे खोलने में असमर्थ रहा है। जहां तक नियंत्रण की बात है वह मैंने अपने जिले की बात कही।

श्री राजनारायण--आपके जिले में ईटों का क्या भाव है ?

श्री महीलाल--शायद आपने सुना नहीं। १९५३ के शुरू में जब मुझे दिक्कत पेश आई तो उस समय निजी भट्ठे वाले ४५ रुपये हजार बेच रहे थे। जब कि किसानों को रेहट के कुओं के लिये और खरंजे वगैरा के लिये ईटों की जरूरत थी और नियंत्रित मूल्य उस समय २६ रुपये कुछ आने था और आज भी मैं उनको दावत देता हूं कि वह मेरे साथ चलें कि जहां पर कोआपरेटिव के भट्ठे नहीं खुले हैं वहां नियंत्रण से ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं।

श्री राजनारायण--इसके क्या माने हैं, क्या आप नियंत्रण ही इसका इलाज समझते हैं ? ४५ रुपये से कम कीमत करने के लिये क्या नियंत्रण ही इलाज है ?

श्री महीलाल—नियंत्रण ही कीमतों को कम करने का एक रास्ता है। जो लोग ज्यादा कीमत पर माल नहीं ले सकते हैं यह वही मूल्य पर पा जाते हैं। मैं ऐसे स्थान की बात कह रहा हूं जहां के किसान अनपढ़ हैं, जहां के किसान कानूनी तरीके पर उनसे यानी निजी भट्ठेवालों से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। नियंत्रण के सिलसिले में मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं इसकी वजह से सरकार के द्वारा इस बात पर काबू पा सका कि उसको ईंटें कंट्रोल रेट पर बिकवाई जिसका नतीजा यह हुआ कि उन का भट्ठा बन्द हो गया।

मैं मा० राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि वह थोड़ी सी गहराई में जाकर फिर कोई बात सदन में कहने की कृपा करें तो अच्छा है जिससे मुझ जैसे आदमी को उनका विरोध करने का मौका न मिले। उनकी निराधार बातों ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनको बतलाऊं कि मुझे लगातार एक साल तक लिखा पढ़ी करने के बाद मौका मिल सका कि मुझे सही दामों पर ईंटें मिलनी शुरू हुई। जहां तक निजी भट्ठे वालों की बात मैं नहीं जानता कि आज वह किस तरह से निजी उद्योगों की वकालत करने के लिये खड़े हुये हैं। क्या निजी भट्ठे वाले ईंटें पाथने वाले मजदूरों का शोषण नहीं करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह इन मजदूरों से बात करें कि यह भट्ठे वाले उनके साथ कैसा बरताव करते हैं, बेईमानी करते हैं और जो भाव तै होता है उससे कितने नीचे दाम उन मजदूरों को दिये जाते हैं और कैसे उनका शोषण किया जाता है इस प्रकार का मौका कोआपरेटिव के भट्ठों में नहीं मिल पाता है।

इसके साथ-साथ सिद्धांत की बात कही गई, नियंत्रण की बात कही गई और समाजवाद की परभाषा की गई। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनका समाजवाद इसी प्रकार से पनपेगा। निजी उद्योगों को बढ़ावा देकर जिससे मजदूरों और श्रमिकों का शोषण हो और धन एक जगह इकट्ठा होता रहे यदि यह उनकी परिभाषा है तो मैं समझता हूं कि उनको ही मुबारिक रहे। उनके समाजवाद में उत्पादकों का कितना हित छिपा हुआ है। (श्री राजनारायण जी के खड़े होने पर) अब आप फिर जवाब दे लें। इस समय मैं अपनी बात कह लूं।

ईंटों के नियंत्रण का एक लम्बा इतिहास है। जो युद्ध काल से आरम्भ हुआ है और सन् ५१ में आकर वह नियंत्रण समाप्त हुआ और सन् ५१ से ५२ तक जिस रेट पर किसानों को और दूसरे लोगों को ईंटें मिली जरा इसको वह फिर से तहकीकात कर लें और निजी भट्ठे वालों ने किस तरह से किसानों की जेबों की लूट की इसको भी जानकारी मा० नेता विरोधी दल कर लें। इसके बाद जब कोआपरेटिव के भट्टे हर जिले में शुरू हुये तब ईंटों का मूल्य गिरा। सन् ५३ में सरकार को दोबारा ईंटों के मूल्य पर नियंत्रण करने का मौका मिला। इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा न कह कर माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार प्रकट किये हैं मैं उनमें वास्तविकता नहीं पाता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदा से कंट्रोल का विरोधी रहा हूं। मैं इस बात को मानता रहा हूं कि चाहे हजारों और लाखों व्यक्ति मर जायं किसी चीज के न पाने से लेकिन नियंत्रण का बन्द होना आवश्यक है और उसका एक कारण यह रहा है नियंत्रण से अनैतिकता बढ़ती है। अगर नियंत्रण को रोकने की हममें शक्ति हो और अगर हम उसको इस हद तक रोक सकें जिससे उसका पूरा पालन करा सकें तो मैं समझता हूं कि वहां पर रूस की पद्धति आ जायगी। उसमें ढीलापन आ जाने के बाद फिर उसमें अनैतिकता का पदार्पण अवश्य होगा। मुझे इस बात का अनुभव है कि जहां-जहां नियंत्रण रहा है उस कायदे कानून के रहते हुये भी जिस भाव से जिसका बेचने को जो चाहा उसने बेचा बावजूद सरकार के प्रयत्न करने के कि वह नियंत्रण नियमों को न तोड़ सके। इसका कारण है और वह यह कि उसको ऐसे मौकें हैं और इस प्रकार का समाज है कि उसको सहयोग दे कर नियंत्रण के प्रयत्न को असफल करते हैं। नियंत्रण एक बुराई है और होता यह है कि जब नियंत्रण होता है तो ईंट के रोजगारी को यह कहने का मौका रहता है कि देखिये साहब, २५ रुपये

[श्री रामनरेश शुक्ल]

तो इसका कंट्रोल रेट है। तो इससे कभी-कभी मेरे दिमाग में यह बात पैदा होती है कि अगर कहीं कंट्रोल रेट न होता तो शायद वह सस्ती बेचने के लिये तैयार हो जाता एक लाइन खिंची हुई है जिस तक पहुंचने के लिये रोजगारी कोशिश करता है। मुमकिन है कि माननीय मंत्री जी यह समझते हों कि आज पंच वर्षीय योजना के कारण ईंटा वगैरह का कंट्रोल करने की आवश्यकता है लेकिन मैं तो आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि यह प्रथा जितनी जल्द से जल्द वह समाप्त कर सकें उतना ही समाज का कल्याण होगा। मैं इन शब्दों के साथ मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसे ही वह उस परिस्थिति को समझें, और मैं समझता हूं कि वह परिस्थिति आज भी है, इसको समाप्त करने का प्रयत्न करें। अन्त में मैं मौजूदा विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कंट्रोल से माननीय रामनरेश जी घबराते हैं वैसे ही कंट्रोल वाली व्यवस्था से कुछ घबराहट हम लोगों को भी होती है। "कंट्रोल" शब्द से तो कोई घबराहट नहीं है लेकिन कंट्रोल के साथ-साथ जो ब्लैकमार्केटिंग का शब्द आता है उससे घबराहट होती है। कई माननीय सदस्यों ने जिन्होंने भाषण दिये यह कहा कि कंट्रोल प्राइस से कम कीमत पर वही समान बिकता है हालांकि कंट्रोल प्राइस अपनी जगह पर है, जैसे कि सहारनपुर में लकड़ी की चर्चा हुई। तो अब आवश्यकता इस बात की माननीय मंत्री जी ने समझी कि ईंटों पर और ईंधन पर कंट्रोल रखा जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि कंट्रोल न रहे तो ज्यादा बेहतर है। जहां तक लकड़ी का सवाल है लकड़ी के सिलसिले में तो मैं यह निवेदन करूंगा कि लोगों को कुछ ले आने ले जाने की सुविधा अगर प्राप्त हो जाय तो शायद सरकार को अपना हाथ डालने की जरूरत न पड़े। कुछ सहयोगी समितियां हैं जो लकड़ी का व्यापार करती हैं। लेकिन सहयोगी समितियां जिन्हें हिसाब किताब में कुछ ऐसी रकमें दिखाने का कम मौका है वह नाजायज मान ली जाती है ऐसी रकम दिखाना जो हिसाब किताब में न दिखायी जा सकती हो, वह रकम वह दिखा नहीं सकते। इसलिये उनको ट्रांस्पोर्ट फैसिलिटीज नहीं मिल पातीं। इसलिए कंट्रोल की आवश्यकता पड़ जाती है चूंकि ट्रांस्पोर्ट की सुविधा नहीं मिल पाती इसलिए कमी पड़ जाती है। कमी पड़ जाने पर बड़ा शोरगुल मचता है। फिर मजबूरी होती है कि कंट्रोल लगाया जाय। तो लकड़ी के सिलसिले में इतना कहना चाहूंगा कि अगर सरकार इस बात को ध्यान रखे कि ऐसी सुविधाएं रेल द्वारा मिल जायं। रेल हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। क्योंकि ज्यादातर रेल से लाद कर लकड़ी जाती है, तो अगर हमारी सरकार राजी भी हो जाय कि यह सुविधाएं दे तो केन्द्रीय सरकार की अनुनय विनय करनी पड़ेगी। अगर उस सरकार को यह सरकार किसी तरह से राजी कर ले अपनी रेल में लोगों को कुछ सुविधा लकड़ी लाने के लिये दे दे तो फिर शायद कंट्रोल की आवश्यकता न पड़े।

दूसरी बात ईंट के सिलसिले में कहना चाहता हूं। मेरी भी ऐसी ही धारणा है कि ईंट के कंट्रोल की कतई जरूरत नहीं। इसलिए कि जहां कहीं भी उद्योग किया गया है कि ईंट की पैदावार बढ़े वहां ईंट की पैदावार बहुत बढ़ी है। मैं उदाहरण स्वरूप आजमगढ़ को सामने रखूंगा। आजमगढ़ जिले में कुछ भाइयों ने प्रचार करके कोआपरेटिव भट्टे चलाये हैं। और उससे मैं यह समझता हूं कि काफी तादाद में हर काम के लिए विकास के काम के लिए या कुआं बनाने के लिए हर तरह के काम के लिए काफी ईंटें तैयार करके रखी हैं। अगर आजमगढ़ में कंट्रोल उठाया और देखा जाय कि ईंट की कमी पड़ती है या नहीं तो सूबे भर में कंट्रोल उठाने के लिए एक उदाहरण हो सकता है। ईंट बनाने में कोयला की जरूरत होती है और जहां कोयला नहीं मिल पाता ईंट नहीं बन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पायी, और ईंट नहीं बन पायी तो कमी हो गयी और कमी से भाव ऊंचे चढ़ जाता है सप्लाई डिमांड का सम्बन्ध रहता ही है। तो मैं सरकर से कहूंगा कि ज्यादा बेहतर रास्ता यह होगा कि किसी तरह से वह दिल्ली की सरकार को राजी करे और कोयला पहुंचाने की कोशिश करे। अगर कोयला पहुंच सके तो ईंटों की कमी दूर हो जाय।

दूसरी चीज कोआपरेटिव भट्ठों की है। जहां तक यह कहा गया कि राजनारायण जी निजी भट्ठों की ताईद कर रहे हैं हमको बहुत संकोच की बात मालूम होती है। समाजवाद आज है भी नहीं और समाजवाद के मानी यह थोड़े ही होते हैं कि सारा इंडिविजुअल इनीशिएटिव खत्म हो जाय। फिर जिस तरह के समाजवाद की चर्चा कर रहे हैं उस समाजवाद में एक दम से सारे लोगों के ऊपर हावी हो जाना चाहिए सरकार को ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों की व्यक्तिगत काम करने की इच्छा भी बनी रहे और अगर उससे मुल्क को तरक्की हो तो होनी चाहिए। अगर साल भर किसी ने भट्ठे का काम करके चार छः आदमियों का खाना चला लिया, दस पांच ईंट बनाने वाले हों, एक मैनेजर हो, अगर उसने कुछ काम कर लिया तो मैं नहीं समझता कि समाजवाद की हत्या होगी। यों मैं पसन्द करूंगा कि इंडिविजुअल लोग न चलाएं कोआपरेटिव भट्ठे चलाये जायं जैसा कि आजमगढ़ में हो रहा है। उसको तरजीह देने की जरूरत है। सरकार से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ईंटों का प्रोडक्शन बढ़ाये। इत्तिफाक से हमारे बीच में ठाकुर फूल सिंह जी जो नियोजन उप मंत्री हैं वह भी आ गये हैं वह सारे सूबे में व्यवस्था करें कि जितनी अधिक से अधिक ईंटें बन सकें बनायी जायं। उसको सस्ती से सस्ती कीमत पर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि देवरिया जिले के या पूर्वी जिलों में जो सारे घर होते हैं वह टाट के बने होते हैं। ऊपर भी उसमें टाट लगता है तो इधर कुछ जमींदारों की जमींदारी खत्म हो गयी और जमींदारी खत्म होने के बाद जिस जमींन में बहुत फूस पैदा हुआ करता था उन सारी जमींनों के जमीदारों ने पट्टे कर दिये हैं। अभी होली की छुट्टी में मैं गया था तो वहां पर जाकर घरों को मैंने देखा तो हमने देखा कि वह घर अब बरबाद हो रहे हैं। जिनमें थूनी या खम्भा उस टिम्बर का लगता है वह उनको नहीं मिल रहा है वह यही कहते हैं कि हमको टिम्बर नहीं मिलता है और न टाट मिलता है जिससे वह अपने मकान को ठीक कर सकें। तो बिना इन चीजों के उनके मकान गिर रहे हैं तो फिर वह क्या करें? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उनकी इस तरह की हैसियत नहीं है कि ईंटों से अपना मकान बना सकें लेकिन फिर भी कच्ची ईंटों का बन सकता है लेकिन वह मिट्टी इस प्रकार की है कि वह उसका भी नहीं बना सकते हैं। अगर उनको कुछ कम कीमत पर पक्की ईंटें दिलवायी जायं तो उससे उनके काम हो सकते हैं। और मकान वन सकते हैं और उन लोगों की मुसीबत दूर हो सकती है। इस वास्ते मेरा यह निवेदन है कि अब ईंटों का प्रोडेक्शन बढ़ाने की कोशिश करने की आवश्यकता है।

सीमेन्ट और नमक पर भी कंट्रोल है लेकिन सीमेन्ट का इस वक्त अभाव है और वह अभाव इस वक्त सारे कामों को बन्द किये हुये है। कम से कम हमने अपने जिले में देखा कि सरकार ने विकास कार्यों के लिये रुपया दिया। रुपया मिला हुआ है किन्तु वहां पर सीमेंट नहीं है। इसलिये वह सारा रुपया सीमेंट के न होने से लैप्स हो रहा है। मैं सरकार से यह कहूंगा कि जिस चीज का सरकार कंट्रोल करे उसका बखूबी खूबसूरती से कंट्रोल चलाये और अगर वह खूबसूरती से नहीं चलाये तो फिर कंट्रोल को हटा सकती है। इसी तरह से नमक के बारे में भी कहा जाता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि नमक का कंट्रोल है और उसकी प्राइस का कंट्रोल है लेकिन मैं कहूंगा कि उस प्राइस पर नमक मिलने में दिक्कत है। इस बात को सरकार को सोचना चाहिये कि वह जिस चीज का कंट्रोल करे और उसके लिये जो कानून बनाये अच्छी तरह से उसको लागू करने का प्रयत्न करे तब उसकी इस बात में मयादा रह जाती है।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो मैंने भाषण सुना है और वैसे भी देश में नियन्त्रण के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियां रही हैं कुछ लोग समझते रहे हैं कि देश को समृद्ध बनाने के लिये कोई नियन्त्रण लगाना आवश्यक है और कुछ लोग यह समझते रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमको नियंत्रण नहीं लगाना चाहिये। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि नियंत्रण कठिन परिस्थिति में लगाना आवश्यक होता है। मैंने देखा कि महायुद्ध के बाद सारे इंगलैण्ड की आर्थिक परिस्थिति ऐसी हो गयी थी कि वहां पर नियंत्रण लगाया गया। मेरा खयाल यह है कि उन्होंने नियंत्रण को जिस सफलता के साथ चलाया उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गयी। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। हमारे देश में भी नियंत्रण लगा। जब चीजों की कमी होती है तो उत्पादन कम हो जाता है और मांग ज्यादा हो जाती है और कीमत ज्यादा बढ़ जाती है। उस हालत में कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये उसमें अधिक मुनाफाखोरी करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी परिस्थिति में नियन्त्रण का लगाना आवश्यक हुआ करता है लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि जब हम नियंत्रण के बग़ैर काम कर सकें तब भी नियंत्रण लगाना ही चाहिये।

जहां तक ईंटों का सवाल है, मेरा खयाल यह है कि आज सभी नगरों में ईंट नियंत्रण होने पर भी नियन्त्रण के भाव से कम मूल्य पर बिकती हैं तो फिर मैं पूछता हूं कि किस कारण से फिर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है? और मैं उसका क्यों समर्थन करता हूं उसका कारण यह है कि बीच बीच में यह हुआ करता है कि वैगन्स नहीं मिलते और वैगन्स न मिलने से भट्ठे वालों को कोयला नहीं मिल पाता और जब कोयला नहीं मिलता है तो वे इस बात की चेष्टा करते हैं कि उनके पास ईंटों का स्टाक रहे और वे अनुचित दाम उठायें। इसलिये इमर्जेन्सी के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि ब्रिक्स और सीमेंट सरीखी चीजों पर तथा और भी चीजें जो खास तौर से निर्माण के काम में आती हैं, उन पर कंट्रोल रक्खा जाय। इसलिये इस विधेयक की आवश्यकता है। साथ ही मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हमें इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिये कि जिन चीजों की कमी है उनके उत्पादन को बढ़ाया जाय। जहां तक ईंटों का सम्बन्ध है, मेरा खयाल यह है कि इसमें एक ही फैक्टर है जिससे कभी-कभी ईंटों की कमी हुआ करती है। और वह है वैगन्स का न मिलना। अगर वैगन्स पर्याप्त संख्या में मिलते रहें तो ईंटों की तकलीफ नहीं हो सकती। यह कहना ग़लत है कि भट्ठे वालों को ज्यादा फायदा होता है। मेरा खयाल यह है कि जिस हालत में भट्ठे वाले अपना व्यापार चला रहे हैं उसमें उनको ज्यादा लाभ नहीं होता है। आगरा में कितने ही भट्ठे, काम न होने की वजह से बन्द हो गये। इसलिये मैं समझता हूं कि एक ओर हमारा यह भी प्रयत्न होना चाहिये कि जिन चीजों की कमी है उनको अधिक संख्या में मुहैय्या करने की कोशिश की जाय और उत्पादन को बढ़ाया जाय। मैं सदैव से कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रोत्साह और विकास का हामी रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि जितने भी बड़े बड़े काम हैं नउनको धीरे-धीरे स्पिलट करके कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के हाथ में दे दिया जाय। लेकिन ब्रिक्स के मामले में गत दो वर्षों में ऐसा हुआ, आर्डर एक ऐसा हुआ कि कोयला सिर्फ कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को ही दिया जाय। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि कितनी ही जगह कोआपरेटिव सोसाइटीज़ काम नहीं कर सकीं और उनके पास कोयले का स्टाक पड़ा रहा और कहीं ऐसे केसेज़ भी आये कि वे कोयला उठाने के लिये भी तैयार नहीं हुईं और दूसरे भट्ठे वाले भी उससे वंचित रह गये। इसलिये ऐसे छोटे छोटे व्यापारों को जिनमें ज्यादा मुनाफा नहीं होता कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ-साथ व्यक्तियों को भी करने दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात और कहूंगा। माननीय नेता विरोधी दल ने केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीकरण की बात कही। यह बात इस सदन में कई बार कह चुके हैं लेकिन कभी-कभी वह बेमौजूं वक्त भी इसको उठा देते हैं जब कि यह प्रश्न भी पैदा नहीं होता। जहां तक केन्द्रीयकरण का सवाल है, रूस हो, चीन हो या अमेरिका हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिये केन्द्रीयकरण आवश्यक है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कम्युनिकेशन्स के मामले में विकेन्द्रीकरण सम्भव है, क्या रेलवेज के मामले में विकेन्द्रीकरण हो सकता है? और इसी प्रकार से रोडवेज के सिलसिले में भी माननीय विरोधी दल के मित्रों से प्राइवेट आपरेटर्स का समर्थन करते हुए सुनता हूं। तो मेरा खयाल है कि कुछ ऐसे काम हैं जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह, बेसिक इंडस्ट्रीज, जिनमें विकेन्द्रीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसमें केन्द्रीयकरण किसी भी दृष्टि से रखना आवश्यक होगा। दूसरे काम ऐसे हैं, जैसे कंज्यूमर्स गुड्स के जो मैनुफैक्चरर्स हैं और दूसरी चीजें ऐसी हैं जहां कि हमें विकेन्द्रीकरण की स्थिति को अपनाना चाहिये और वहां विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। इसलिये मेरा खयाल है कि चाहे कोई समाजवादी व्यवस्था हो चाहे मेरे समाजवादी मित्र कहें, पहले वे समझ लें कि केन्द्रीयकरण क्या है और विकेन्द्रीकरण क्या है। बिना समझे हुए न कहें कि सब जगह केन्द्रीयकरण होना चाहिये या विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां केन्द्रीयकरण की आवश्यकता है और कई ऐसी हैं जहां कि विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता हो सकती है। तो उसका जो उसूल है, जो सिद्धान्त है उसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा; इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और साथ ही माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि वे भी ऐसा प्रयत्न करेंगे कि जिन चीजों पर कंट्रोल रखा जा रहा है उनका उत्पादन बढ़े।

श्री रामनरेश शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

एक सदस्य—कोई बोलने वाला ही नहीं है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने कुछ चीजें ऐसी कही हैं जो इस विधेयक की सीमा से बाहर की हैं। उन चीजों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। मैं उन्हीं चीजों को यहां रखना चाहता हूं कि जो कि इस बिल की सीमा के अन्दर हैं। आपने इस बात का पक्ष लिया कि व्यक्तिगत भट्ठे वालों को अधिक सुविधा मिलनी चाहिये बजाय कोआपरेटिव के भट्ठों के। ऐसा मैं उनके कहने को समझा हूं। उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जो प्राइवेट भट्ठ वाले हैं उनके भट्ठों में जो ईंटें पकती हैं, उनकी कीमत कम होती है और कोआपरेटिव के भट्ठों की ईंटें महंगी मिलती हैं, यह भी उन्होंने कहा। लेकिन मैं उनको यह कह देना चाहता हूं और अपने पहले भाषण में अगर उनको याद होगा तो मैंने कह दिया था कि सन् ५१ में जब यह कंट्रोल हटाया गया था तो उसके बाद यह अनुभव हुआ कि कीमतें बहुत आगे बढ़ गयीं। आप इस बात का समर्थन करते हैं कि कंट्रोल नहीं रहना चाहिये। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बीच में जिस प्रकार से कीमतें बढ़ी हैं जिनसे सरकार को मजबूर होकर फिर नियंत्रण करना पड़ा। लखनऊ में जब कि नियंत्रण नहीं था तो ३३ रु० हजार ईंटें मिलती थीं। उसके बाद वह २५ रु० हजार हो गयीं। इस प्रकार से अनेक शहरों के उदाहरण यहां पर दिये जा सकते हैं। जैसा कि बुलन्दशहर में पहले ४५ रु० हजार ईंटों की कीमत रही लेकिन बाद में वह २५ रु० हजार हो गयी। तो इस प्रकार डिकंट्रोल होने से कीमतें बहुत बढ़ गयी थीं। इसके साथ में आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का जो नियंत्रण हुआ है, उससे ईंटों की कीमत निश्चित है, उसके अधिक कीमत कोई नहीं ले सकता है। इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता कि कोआपरेटिव के भट्ठे वालों से प्राइवेट भट्ठे वाले कम कीमत लेते हैं। क्योंकि ईंटों पर कंट्रोल है और कंट्रोल से ही सब ईंटें बिकती हैं। कोयले से

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

अव्वल दर्जे, दोयम दर्जे और तीसरे दर्जे की ईंटें पकती हैं। जैसे देहरादून में या सहारनपुर में अव्वल दर्जे की ईंटें २४ रु० हजार बिकती हैं, दोयम दर्जे की २२ रु० हजार बिकती हैं और तीसरे दर्जे की १५ रु० हजार बिकती हैं। आप जानते हैं कि फायर बुड यानी लकड़ी से जो ईंटें पकती हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन इस बात की कोशिश की गयी है कि हमारे प्रदेश में जितने भी भट्ठे चल रहे हैं और जो कंट्रोल आर्डर की उस परिधि के अन्दर हैं, जिनका कि उल्लेख कानून में है उन सभी को कोयला देने की व्यवस्था है। यहां पर यह भी पूछा गया कि इस प्रदेश में कितने प्राइवेट भट्ठे हैं, और कितने कोआपरेटिव के भट्ठे हैं। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में १८०० प्राइवेट या व्यक्तिगत भट्टे हैं और ५१७ कोआपरेटिव के भट्टे हैं। यह भट्टे सारे सूबे में फैले हुए हैं, जो ईंटें तैयार करते हैं। यहां यह भी कहा गया कि कोआपरेटिव के भट्ठों में दाम ज्यादा हैं, इस सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट हैं और जिस आधार पर हम चल रहे हैं उससे हम कह सकते हैं कि कोआपरेटिव भट्ठे जितनी ईंटें तैयार करते हैं वह सब लोग खरीद लेते हैं, अगर उसकी कीमत ज्यादा होती तो जाहिर है कि पब्लिक उसको न खरीदती और वह माल पड़ा रहता लेकिन पोजीशन यह है कि कोआपरेटिव के भट्ठों की ईंट फौरन बिक जाती है और कोई स्टाक शेष नहीं रहता। इसलिए यह कहना गलत है कि कोआपरेटिव भट्ठे ईंटों के अधिक दाम लेते हैं। यह बात समझ में नहीं आती।

एक बात यह भी कही गई कि प्राइवेट भट्ठे वालों को सुविधा नहीं दी जाती। मैं इतना यहां बताना आवश्यक समझता हूं कि प्राइवेट भट्ठे वालों को और कोआपरेटिव भट्ठे वालों को ऐक्ट के मातहत उसी अवधि के अन्दर जिसमें भट्ठे वालों को कोयला मिलना जरूरी होता है उसके अन्दर जरूर उन सब को नियमानुसार कोयला दिया जाता है और उसी तरह से कोआपरेटिव भट्ठों को भी मिलता रहता है। इसलिए कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि जिससे कहा जाय कि प्राइवेट भट्ठे वालों को कोयला नहीं मिलता।

मेरे पास एक बहुत लम्बी सूची है जिससे जाहिर होता है कि प्राइवेट और कोआपरेटिव भट्ठे वालों को कुल मिला कर ५,००० वैगन कोयला मिलता है। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता कि प्राइवेट भट्ठे वालों को किसी तरह से कोयले की असुविधा होती है और उनको कोयला नहीं मिलता। एक दिक्कत जरूर अक्सर हो जाती है और वह वैगन्स के विषय में है और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि सन् ५३ के शुरू में और समय समय पर प्रदेशीय सरकार की तरफ से कोशिश होती रही है कि वैगन्स की सुविधा मिलती रहे ताकि कोयला वक्त से मिलता रहे और यह कोशिश सरकार बराबर करती रहती है और उसकी कोशिश का ही नतीजा है कि प्रदेश में बराबर कोयला आता रहा है।

यह भी कहा गया कि नियंत्रण की अब क्या आवश्यकता है। मैंने शुरू ही में कहा था कि अभी हमारे सूबे में ईंटों की बड़ी जरूरत है और जितनी ईंटों की प्रदेश में जरूरत है उतनी अभी प्राप्त नहीं हैं और पैदा नहीं हो पा रही हैं इसलिये जरूरी है कि अभी उन पर नियंत्रण कायम रखा जाय।

श्री राजनारायण जी ने जो आपत्ति उठाई है, मैं समझता हूं वह निराधार है और उसमें कोई खास तथ्य नहीं मालूम पड़ता। हमारे कानपुर के साथी ने कहा है कि कानपुर में कोयले का डिपो खोला जाय, इस समय भी कानपुर में काफी कोयले के डिपो हैं और निकट भविष्य में अगर आवश्यकता समझी जायगी तो सरकार उनको बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। मैं बता दूं कि वहां पर लकड़ी का स्टाक भी ९० हजार टन मौजूद है और वहां से लकड़ी बराबर दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त जो पहले के डिपो हैं उनकी भी काफी बड़ी तादाद है और इस तरह से कानपुर के लोगों को कोयले और लकड़ी के मिलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती है माननीय दीनदयालु शास्त्री ने यह कहा कि सहारनपुर लैन्सडाउन डिवीजन में लकड़ी की काफी इफरात है और इसलिये वहां पर कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार पहली अप्रैल से वहां पर पार्सल डिकंट्रोल करने जा रही है इस तरह से धीरे धीरे जैसे स्थिति सुधरती जायगी वह कंट्रोल भी वहां से उठा दिया जायगा। इसके साथ ही साथ एक बात और है कि हलद्वानी लैंसडाउन डिवीजन से लकड़ी ले जाने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है और आसानी से ठेकेदार वहां से दिल्ली लकड़ी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ठेकेदारों को सुविधायें मिल रही हैं और एक बात का और ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह की जितनी लकड़ी का आप ख्याल करते हैं उतनी अभी हमारे प्रदेश में पैदा नहीं होती मैं आपको बताऊं कि वहां सहारनपुर में जो पुराना स्टाक था वह कुल १३ वैगन था और १-२-५५ को ११५ वैगन कुल स्टाक वहां पर मौजूद था। तो अभी भी वहां पर ईंधन की बहुत बड़ी कमी है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार है कि जो लकड़ी बाजार में बिक रही है वह काफी सस्ती है और कंट्रोल की लकड़ी महंगी है। तो उसका भी उल्लेख कर देना मैं आवश्यक समझता हूं। लखनऊ को ही लीजिये। यहां पर जो कंट्रोल की लकड़ी है उसका भाव एक रुपये छ आने मन है और ओपेन मारकेट या खुले बाजार में जो लकड़ी बिकती है वह २ रुपये मन है। इसी प्रकार कानपुर में हमारे कंट्रोल की लकड़ी का भाव १ रुपये ११ आने मन है और जो ओपेन मार्केट है, उसमें २ रुपये से लेकर २ रुपये १० आने मन के हिसाब से बिकती है। तो आप इसी से हिसाब लगा सकते हैं कि आज ईंधन पर कंट्रोल का रहना आवश्यक है या नहीं। इससे साफ जाहिर है कि हमारे प्रदेश में ईंधन पर और ईंटों पर अभी कंट्रोल का रहना आवश्यक है और उस आवश्यकता को सरकार ने अनुभव किया और इसीलिये यह संशोधन विधेयक आपके सामने पेश किया है। यह थोड़ी सी बातें थीं जिनकी ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया था और उनका मैंने स्पष्टीकरण कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जो विधेयक प्रस्तुत है, उसको माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २-४

२—उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ़ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में संख्या "१९५५" के स्थान पर "१९५६" रख दी जाय। — यू० पी० ऐक्ट २२, १९५३ का जारी रखा जाना।

३—मूल अधिनियम द्वारा पुनर्विहित यूनाइटेड प्रॉविंसेज कंट्रोल आफ़ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ की अनुसूची में—
(१) मद (१) निकाल दी जाय,
(२) मद (८) निकाल दी जाय।
(३) मद (१०) के सामने शब्द "Bricks" के स्थान पर शब्द "Bricks other than fire bricks" रख दिये जाँय, और
(४) मद (१३) निकाल दी जाय। — यू०पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ की अनुसूची का संशोधन।

४--उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ़ सप्लाईज (कंटीन्युऐंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया कोई विधायन (an enactment repealed by an U. P. Act) हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २, ३, और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युऐंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५

यूनाइटेड प्राविंसेज कंट्रोल आफ सप्लाई (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ को आगे जारी रखने का

विधेयक

यूनाइटेड प्राविंसेज कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ जिसकी अवधि २५ जनवरी १९५५ को समाप्त होने वाली थी, को जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ प्रचारित किया गया था

उक्त ऐक्ट को जारी रखने की व्यवस्था करना आवश्यक है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ। १--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ़ सप्लाईज (कंटीन्युऐंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह २६ जनवरी, १९५५ को और उससे प्रचलित हुआ समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युऐंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन् मैं न चाहते हुये भी माननीय मंत्री जी की .....

श्री अध्यक्ष--इसमें कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है।

श्री राजनारायण--इसलिये मैं आपसे पहले कह देना चाहता था कि मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के रूप में कुछ कह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो मुख्तसर में आप कह सकते हैं।

*श्री राजनारायण--मुख्तसर में ५ मिनट में कहना चाहता हूं। मैं अपने को उनके भावों के साथ ले चलने में असमर्थ हूं। उन्होंने मुझको बड़ा गलत समझा। श्रीमन्, कहीं भी इस विधेयक से यह ध्वनि नहीं निकलती कि इंडिविजुअल या व्यक्तिगत सम्पत्ति पैदा करने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साधन भी नष्ट किये जा रहे हैं। यह तो कंट्रोल का विधेयक है। मुझे साफ कहना पड़ता है कि बात मैं कुछ कहता हूं और सदन में सम्पादित सदस्य उसको दूसरी तरह से समझ लेते हैं। जब मैं यह कहूंगा कि कोआपरेटिव को सहूलियतें ज्यादा दी गई हैं और उसके बावजूद भी वे ईंटों के दाम इतना सस्ता नहीं कर पाये जो व्यक्तिगत भट्ठों से कम हों तब यह कहा जायगा कि राजनारायण जी व्यक्तिगत भट्ठों वालों के पक्ष में बात करते हैं। इससे यह ध्वनि कहां से आती है। यह तो अर्थ का अनर्थ करना है और शायद जागकर भी सोते हुए या जानबूझ कर सोते हुए ऐसा अर्थ लगाया जाता है इसे वही लोग समझ सकते हैं। जब मैं यह कहूंगा कि ईंटों की पैदावार बढ़ाई जाय और नियंत्रण क्यों किया जा रहा है तब यह कह दिया जायगा कि राजनारायण जी साम्यवाद की विरोधी बात करते हैं। साम्यवाद और नियंत्रण कोई पर्यायवाची शब्द नहीं माने जाते। जो साम्यवाद के जानने वाले हैं वे यह समझते हैं कि साम्यवाद में नियंत्रण रहेगा नहीं। There will be no difference between individual will and general will. मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हम लोग का अब कुछ स्तर इतना ऊंचा होना चाहिये कि एक सदस्य दूसरे के भावों को समझे। कहीं से एक बात निकल आई तो अर्थ का अनर्थ लगा कर अपने विधेयक के समर्थन में बात कह डाली। मैंने कहीं यह नहीं कहा कि सरकार निजी उद्योग के तौर पर ईंटों के उद्योग को चलाये। निज का उद्योग वह खतम करने नहीं जा रही है।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी के भाषण में यह चीजें नहीं थीं। आप दूसरों के भाषणों का जवाब दे रहे हैं खास कर महीलाल जी के भाषण का जवाब दे रहे हैं।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री जी हमारे तर्कों को समझें। यह विधेयक एक ही साल के लिये है। जहां ५५ है वहां कहते हैं कि ५६ रख दिया जाय तो फिर ५६ तक कोई अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। अगर ५५ के बजाय ५६ हो जायगा तो एक ही साल में क्या हो जायगा? हमारे सामने कोई आंकड़े नहीं रक्खे गये। सरकार यह बतलाती कि साल भर में कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायगी ताकि यह नियंत्रण नहीं रह पायेगा। सरकार की ओर से समुचित रूप से आंकड़े आने चाहिये थे क्योंकि साल भर का समय सरकार चाहती है कि सन् १९५५ के स्थान पर सन् ५६ कर दिया जाय। इसलिये श्रीमन्, मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि भ्रमवश यह विधेयक उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। उनका भ्रम मिट जाना चाहिये। अगर बिना नियंत्रण के सरकार सोच समझ से काम लेगी और सतर्कता से काम करेगी, दिमाग को संतुलित करके काम करेगी तो ईंटों की समस्या सुलझ सकती है। अगर सोच समझ कर काम नहीं करेगी तो ईंटों की समस्या और खराब हो सकती है। इसलिये भ्रमवश जो यह विधेयक उन्होंने पेश कर दिया है उसे वापस ले लें और हमसे पास करने की बात न कहें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिन चीजों की ओर माननीय राजनारायण जी ने संकेत किया है वे चीजें उन्होंने स्वयं पैदा कीं और स्वयं उन चीजों पर प्रकाश डाला और उनके कहने के मुताबिक मैंने उनका उत्तर दिया। मैं समझता हूं कि वह खुद अपने विचारों में स्पष्ट नहीं है। अगर उनके विचार साफ होते तो फिर ऐसी बात वह दुबारा नहीं करते। मुझे और अधिक बात नहीं करनी है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह बहुत छोटा सा विधेयक है और इसकी जरूरत यूं पड़ी कि जब से अधिवासियों को सीरदार बनाया गया तो यह एक ऐसी दिक्कत महसूस हुई कि पहले दफा ३३२ (अ) और (ब) में जमींदारी विनाश अधिनियम में यह दिया गया था कि जो कोई अधिवासी हो और उनके जो केसेज चल रहे हों उनमें अगर सवाल यह उठे या उठाया जाय कि आया यह अधिवासी है या नहीं तो ऐसे मामले रेवेन्यू कोर्टस में तय किये जायं। टाइटिल का क्वेश्चन इसमें नहीं माना जायगा। जहां यह क्वेश्चन उठाया जायगा। क्योंकि अगर टाइटिल का क्वेश्चन मान लिया जाता है तो केस सिविल कोर्ट में जाता है और सिविल कोर्ट में ज्यादा खर्चा होता है और चूंकि अधिकांश गरीब लोग हैं वह खर्च बरदाश्त नहीं कर सकते इसलिये यह ही उचित समझा गया कि यह मामले रेवेन्यू कोर्टस में ही तय कर दिये जाया करें। तो जब उनको सीरदार कर दिया गया तो यह शक हो सकता है कि अब आया वह सीरदार हो गये हैं इसलिये वह जो "इज़" का वर्ड इसमें आया था वह अधिवासी है पर अब चूंकि वह सीरदार हो गये हैं और अधिवासी नहीं रहे तो फिर यह टाइटिल का क्वेश्चन न मान लिया जाय इसके लिये यह छोटा सा विधेयक है और इसके जरिये से उसमें तरमीम की गई हैं। तरमीम सेक्शन्स ३३२ "ए" और ३३२ "बी" में की गई है कि जहां शब्द "है या नहीं" था वहां उसके स्थान पर "है या किसी विशिष्ट दिनांक को था" रख दिये जायं और इसी तरह से जहां शब्द "अधिवासी अथवा असामी है या नहीं" "के स्थान पर "अधिवासी अथवा असामी है या किसी प्रभावी दिनांक (material date) को था" रख दिये जायं। यह बहुत छोटा सा संशोधन है और अधिवासियों के फायदे के लिये हैं। उन्हें मुकदमेबाजी में ज्यादा न फंसना पड़े और उनको सहूलियत हो इसका विचार करते हुए रखा गया है। मेरे ख्याल में यह ऐसा विधेयक है जिसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है और यह माननीय सदन इस पर विचार करके इसको पारित करेगा।

†श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक जिस संशोधन के लिये आया है वह बहुत ही मुनासिब है लेकिन इस सम्बन्ध में दो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जुरिस्डिक्शन के मामले में कि किसानों के मामले कहां सुने जायं इसमें बहुत कंफ्यूज मालूम होता है। सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाती है कि आखिर इन मामलों में निर्णय कहां से कराया जाय। अभी जो माननीय चतुर्भुज जी ने कहा कि वह दीवानी में न ले जाकर मुकदमे माल में ही फैसल हो जाय, इसके लिये यह संशोधन आया है। मैं फिर उनसे कहूंगा कि इससे वह मामला हल होता नहीं। कोई माल की अदालतों में यह कह सकता है कि हम भूमिधर हैं इस जमींन के या सीरदार। फिर वैसी हालत में यह मुकदमे अगर दीवानी गये, फैसला नहीं होगा और दीवानी में दायर करने का जहां तक सवाल है, दीवानी में जहां टाइटिल का सवाल आवे दीवानी में दायर किया जाय तो दीवानी में जाने के बाद तंग करने के ख्याल से एक आदमी को

---

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक, २८ फरवरी, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकदमा लड़ना है वह माल में ले जाने की कोशिश करेगा और हर आदमी को दो जगह लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस संशोधन से भी वह परेशानी जो है उससे नहीं बचते। हर मुकदमा वह दीवानी और माल दोनों में लटकाती है तो मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार अपना माइन्ड मेक अप करे, कोई निर्णय करे निर्णय करके कम से कम चाहे वह सिविल कोर्ट में मुनासिब समझे वहां भेज दे चाहे माल की अदालतों में मुनासिब समझे वहां भेज दे। लेकिन वह एक ही मुकदमे को दो जगह लड़ने की गुंजायश न पैदा करें। माननीय शर्मा जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या कहीं इस बात की गुंजायश की गई है कि इस तरह के मुकदमे दोनों जगह न हों।

मैं तो सुझाव दूंगा कि आज जो मुकदमे अधिवासियों और सीरदारों के बीच में खड़े हों बजाय इस तरीके के संशोधन के कुछ ऐसा संशोधन अगर आता कि जिसमें एक समय मुकर्रर कर दिया जाता कि इतने दिन के अन्दर, इतनी तारीख में यह मुकदमा फैसल हो जायगा तो बहुत मुनासिब होता। माल की अदालत में वे मुकदमे जायं चाहे दीवानी में आज जो वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं और दीवानी की अदालतों में यह हो जाता है कि लम्बी-लम्बी तारीखें पड़ जाती हैं, माल की अदालतों में जरा जल्दी जल्दी तारीखें पड़ जाती हैं। माल की अदालतों में मुख्तार कुछ कम मेहनताना लेते हैं दीवानी में ज्यादा लेते हैं। लेकिन कुछ दीवानी अदालतें दूर हैं इसलिये किराया ज्यादा खर्च हो जाता है। माल की अदालतें सब डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर हैं। तो एक तो किराया में खर्च कम पड़ता है। लेकिन इन सब बातों के बाद खर्चे का जहां तक सवाल है किस्तें कुछ बढ़ा दी जायं। खर्चा करीब-करीब एक ही पड़ जाता है, दीवानी में शायद ज्यादा हो। तो इस परेशानी से अगर सरकार को बचाना है तो फिर इन मुकदमों का जो मौजूदा ढंग है वह छोड़ना पड़ेगा। पंचायतों को भी मुकदमे दिये गये उनसे वे वापस ले लिये गये। अच्छा वह भी हम मान लेते हैं कि पंचायतों में हम नाकामयाब हो गये। तो अगर पंचायतों में कामयाब न हो सके हम दीवानी में बहुत खर्चे की वजह से डरते हैं। किसान को दीवानी में न जाने दें, कहीं आधे एकड़ का फैसला कराना है तो फिर वह दीवानी में जाकर १८ रु० १२ आना जो पहली फीस है देनी पड़ेगी वह कम पड़ेगी ही नहीं तो इसलिये हम उसको चाहते हैं दीवानी में न भेज करके माल में आ जाय और जल्दी फैसला हो जाय। तो मैं कहूंगा कि माल में जल्दी फैसला होने वाला नहीं है। मैं माल का विरोधी नहीं हूं, जो शर्मा जी ने संशोधन रखा है उसका मैं विरोध नहीं करता हूं लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि यह संशोधन सिर्फ एक शाब्दिक संशोधन है इससे किसान को ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। कुछ सोचा जाय कि इन अदालतों से हम किस तरह से किसानों को छुड़ा सकें और अगर अदालतों में जाना ही लाजिमी है तो जल्दी से जल्दी किस तरह फैसला हो यह सोचना है। आज कल सब डिवीजनल आफिसर जो हैं उनको विकास के कार्यों से फुर्सत नहीं है। जुडीशियल आफिसर्स की कमी है, जुडीशियल आफिसर्स हमारे सूबे में इतने नहीं हैं जिनके पास सारे मुकदमे जा सकें। मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मौर्य जी जब पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे तो उन्होंने कुछ अदालतों में जा करके मुआयना किया, उससे परेशानी लोगों को कुछ बढ़ी थी लेकिन कम से कम देखने से यह मालूम होता था कि मुकदमे काफी पुराने पड़े हुए हैं। और उन पुराने मुकदमों पर जल्दी से कार्यवाही करने की आवश्यकता थी। तो यह जल्दी अगर फैसला हो सके माल की ही अदालतों में जाकर के तो मैं समझता हूं कि जो इस बिल का उद्देश्य है वह सफल हो जाय। लेकिन अगर जल्दी फैसला नहीं होता है तो दीवानी या माल कहीं से भी किसान की कोई मदद नहीं होती है और उसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर कोई विधेयक लाया जाय और इस पर सोचा जाय। काफी कानून पेशा लोग उधर बैठे हुए हैं। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। हम इसको उतना कहां समझ सकते हैं। लेकिन हां, इतना जरूर है कि जब कभी मुसीबत हमारे

[श्री गेंदा सिंह]

ऊपर आती है तो इन्हीं कानूनपेशा लोगों से उसको समझते जरूर हैं। इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि इन्हीं कानूनपेशा लोगों से सलाह लेकर कोई ऐसा बिल लाया जाय जिससे कि सस्ता और शीघ्र न्याय किसानों को मिल सके।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक जो है वह बहुत मानों में महत्वपूर्ण है। जब तक यह नहीं आया था एक प्रकार की बड़ी अव्यवस्था सारे प्रान्त भर में फैली हुई थी क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों को अधिवासी के अधिकार मिल चुके थे और पिछले संशोधन विधेयक में जब वह तय किया गया और सारे अधिवासी सीरदार हो गये तब भिन्न-भिन्न अदालतों के अन्दर भिन्न-भिन्न प्रकार के मत थे। कोई तो यह कहता था कि अधिवासी के मुकदमे सब दीवानी में अब होंगे और कहीं-कहीं यह भी मत था कि उसमें से विशेष तिथि के दिन जो मुकदमे दायर हो गये हैं वह अदालत माल में हुआ करेंगे इस भ्रम को निवारण करने के लिये मैं समझता हूं कि सरकार को आवश्यकता पड़ी कि वह आर्डिनेंस इस बात का निकाले और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी इस बात से सहमत होंगे कि जहां तक कि भूमि के सुधार का सम्बन्ध है वह कोई बहुत कानूनी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन व्यक्तियों में से हूं, जो इस बात से परेशान होते हैं कि भूमि के सुधार के मामलों को भी आज प्रान्त में वकील लोग खींचतान करके कचहरियों में, जो सुधार होते भी हैं, उनको खत्म कर देते हैं। उनको तो उसे कुछ ऐसी जगहों में भेजने की आवश्यकता होनी चाहिये जहां के अधिकारियों को अनुभव हो किसानों की दिक्कतों का, तकलीफों का। जो घूमा करते हों या जो अपने प्रतिदिन के कार्यों के सिलसिले में जानते हों कि किसानों की क्या कठिनाई हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह संशोधन न आता तो मेरा मस्तिष्क कम से कम साफ है अपनी जगह के ऊपर कि जो कुछ भी सुधार हुआ है अधिवासियों को जो कुछ अधिकार सरकार ने दिये हैं, वह सब के सब अदालत दीवानी में तबाह हो जाते। अब भी अपनी जगह पर यह सच है कि कानून की खींचातानी में, जो सुधार हुए हैं, उसमें भी काफी लोगों को लाभ नहीं हो पायगा। लेकिन यह भी अपनी जगह पर सत्य है कि इस संशोधन के हो जाने के बाद चूंकि उन अदालतों में पैसा कम खर्चा होता है और वहां कम पेशी भी होती है और साथ ही साथ और भी बहुत से कारण हैं जिनके द्वारा कि अधिवासियों को अधिक से अधिक संख्या में इस सुधार से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा। तो मैं आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात से प्रसन्नता प्रगट करते हुए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और साथ-साथ यह प्रार्थना करता हूं कि अब ऐसा कोई रास्ता जरूर ही निकालना पड़ेगा और बिना उस रास्ते को निकाले हुए, आपके सुधार जो भूमि के सम्बन्ध में होते हैं, वह पूरी तरह से सफल नहीं होंगे और वह रास्ता यह होना चाहिये कि काश्तकार इन सुधारों से जो फायदा उठा सके वह इन कचहरियों में जाकर समाप्त न हो जाय, इसका रास्ता हमें निकालना ही होगा। वरना आज पैसे वालों की दुनिया है। पैसे वाले बिल्कुल पूरे तौर से आज भूमिधर भी हैं, सीरदार भी हैं, अधिवासी भी हैं। मालूम नहीं कैसे घूमफिर कर के और अन्ततोगत्वा, यहां तक मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, कि दावा दायर हो गया सम्मन निकल गया, अदालत के बाहर भी नहीं आया और वह तामील भी हो गया और तामील हो जाने के बाद फैसला भी एकतर्फा हो गया और उसे मालूम तक नहीं हुआ और मियाद खत्म हो गयी और खेत किसान के हाथ से निकल गया तो श्रीमन्, भूमि का सुधार होना अत्यन्त आवश्यक है और इसके रास्ते में जो भी कठिनाई आयें और खास कर कानूनी कठिनाइयां उनको हमें दूर करना है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कोई रास्ता निकालें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक चीज बाकी रह गई है, जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा कि अधिवासियों के मुकदमे अदालत माल में पहुंच जायंगे। अदालत दीवानी में दायर होंगे लेकिन जहां अधिवासी का इश्यू बना वह फौरन ही अदालत दीवानी में भेज दिया जायगा। अदालत माल में जायगा और अदालत दीवानी में इसके बाद जायगा। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अदालत माल का जो फैसला हो जायगा वही अन्तिम निर्णय हो जायगा, लेकिन अपील जो होगी वह कहां होगी वह वहीं फिर उसी दीवानी की सड़क के ऊपर होगी तो इसलिये कोई रास्ता निकालना चाहिये था। उसकी अपील कमिश्नर या कलेक्टर के यहां होनी चाहिये थी, जिससे अधिवासी भाइयों को यह फायदा मिल जाता कि अधिकारी किसानों की दिक्कतों का अनुभवी हो क्योंकि साल में दो चार मर्तबा तो वह किसानों की झोपड़ियों तक श्री गेंदा सिंह के कहने के अनुसार जाता ही है। यह अदालत माल से दीवानी में आयेगा और फिर उस आदमी के पास आयेगा जो गेहूं की बाल तक नहीं पहचानता है और जहां से हमने उसको उठाया है यानी मुंसिफी से तो वह अधिकारी इतने ऊंचे आसन पर चोगा पहनकर बैठता है कि किसान उससे डर जाता है। इसलिये अपील का प्रबन्ध होना चाहिये था। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। और कम से कम यह जो कठिनाई है, इसको दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि अभी माननीय शुक्ल जी ने कहा कि यह प्रश्न अक्सर कचेहरियों में आया करता है और किसान इससे परेशान होता है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी की बात से सहमत हूं कि ज्युरिस्डिक्शन का प्रश्न लाकर लोगों को परेशानी में डालता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस विधेयक को लाने के लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अधिवासियों का प्रश्न आयेगा उसका फैसला अदालत माल में होगा परन्तु मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि जहां तक असामी का प्रश्न है इसका फैसला अदालत माल में ही होना चाहिये। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी विधेयक बने उसमें अदालत माल को किसानों के मुकदमों के निर्णय का अधिकार दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय गेंदा-सिंह जी ने सही स्प्रिट में इस विधेयक को माना है और उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया है। उन्होंने एक आम बात कही और वह यह कि मुकदमेबाजी ज्यादा न हो, जूरिस्डिक्शन एक जगह हो जाय, तारीखें जल्दी जल्दी बढ़ें और जल्दी फैसला हो जाय। यह ऐसी आम चीज है जिसमें दो रायें कभी भी नहीं हो सकतीं हैं। जहां एक बात उन्होंने कही कि इसमें कुछ कन्फयूजन हैं तो वह यदि इसको पूरा पढ़ लें तो मालूम हो जायगा कि यह तो अधिनियम में मौजूद ही था जो आप पहले पास कर चुके थे, वह मौजूद है। धारा १३२ (ए) आप पास कर चुके हैं। लेकिन अब नया डिक्लेरेशन हो जाने के बाद अधिवासी की हैसियत बदल गई। इसलिये गल्ती से कोई आदमी ला सकता है इसलिये एक शुबह की बात हो सकती है। दोनों को लिया जा सकता है, इसलिये यह कर दिया गया कि अब भी टाइटिल का सवाल, इस डिक्लेरेशन के बाद नहीं आयेगा। तो जो पोजीशन थी वही और क्लियर कर दी गयी और वही सहूलियत अधिवासियों को जो पहले थी अब रहेगी। ज्यादातर ऐसे केसेज डिक्लेरेटरी सूट्स होते हैं। वे आमतौर पर रेवेन्यू कोर्ट्स में होंगे। सिविल कोर्ट में कहीं कोई क्वेश्चन उठ गया हो तो वह टाइटिल का क्वेश्चन नहीं माना जायगा बल्कि वह अधिवासी माना जायगा जो उस वक्त था। वह क्वेश्चन अगर कहीं सिविल कोर्ट में उठा तो वह जैसा कि कायदा है इश्यू बनाकर रेवेन्यू कोर्ट में भेज दिया जायगा। तो जो पोजीशन थी वही साफ करने के लिये यह विधेयक लाया गया है।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

जहां तक उन्होंने और बातें कहीं, जैसा मैंने अभी अर्ज किया, हमें स्पिरिट से कोई एख्तलाफ नहीं है और अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उनके बराबर तो वह मानेंगे ही कि हम लोग भी चाहते हैं कि किसानों को सहूलियत हो। सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का जहां तक मामला है, हम विचार कर रहे हैं कि वह एक ही जगह हो जाय।

जो बातें माननीय मिश्र जी और शुक्ल जी ने कही हैं उनके साथ हम हैं ही। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको विचार करके पारित करें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २–४

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ की धारा ३३२–क का संशोधन।

२--१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३३२–क में शब्द "है या नहीं" के स्थान पर शब्द "है या किसी विशिष्ट दिनांक को था" रख दिये जायं।

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ की धारा ३३२–ख का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा ३३२–ख में शब्द "अधिवासी अथवा असामी है या नहीं" के स्थान पर शब्द "अधिवासी अथवा असामी है या किसी प्रभावी दिनांक (material date) को था" रख दिये जायं।

४--उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ एतद्द्वारा निरस्त (repeal) किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया कोई विधायन (enactment repealed by an U. P. Act) हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में संशोधन करने का

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में संशोधन करने के हेतु राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ ई० प्रचारित किया गया था।

यह आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के अधिनियम की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह २२ जनवरी, १९५५ को और उससे प्रचलित हुआ समझा जायेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ६ बज कर ४५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१५ मार्च, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

प्रथम विवरण पत्रिका

गढ़वाल और कुमायूं सरवे डिवीजन का सन् १९५१–५२ और १९५२–५३ में सिंचाई का ब्यौरा

		लम्बाई			सिंचाई क्षेत्र एकड़ में		
		मी०	फ०	फी०	रबी	खरीफ	जोड़
जिला गढ़वाल—							
१—लैन्सडाउन तहसील							
(१) बडेल	..	१	३	०	९०	९०	१८०
(२) खडरासी माइनर	..	३	२	३७०	९२	९२	१८४
(३) भंडार सेरा माइनर	..	०	३	०	१८.५	१८.५	३७
(४) करटिया माइनर	..	४	५	३३०	२६७	२६७	५३४
जोड़	..	९	६	४०	४६७.५	४६७.५	९३५
२—पौरी तहसी							
(५) धौरालो माइनर	..	२	५	५३	१७७	१७७	३५४
(६) अपअलदा माइनर	..	४	६	२१०	३३७	३३७	६७४
(७) जाखमलाइनर	..	०	४	१००	९६	९६	१९२
जोड़	..	७	७	३६३	६१०	६१०	१२२०
३—चमोली तहसील							
(८) अगस्तमुनी माइनर	..	२	६	५००	१५४	१५४	३०८
(९) सिगली माइनर	..	४	४	०	३५३	३५३	७०६
(१०) भटनागर माइनर	..	१	६	४२०	१०१	१०१	१०२
(११) नगरासु माइनर	..	२	३	३३०	१४०	१४०	२८०
जोड़	..	११		४५९०	७४८	७४८	१४९६
कुल जोड़	..	२९	२	३३३	१८२५.५	१८२५.५	३६५१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३–१९५ पर)

दूसरी विवरण पत्रिका

तहसील चमौली

क्रम-संख्या	योजनाओं की नामावली	अनुमानित लम्बाई मी०	फ०	फी०	रकबा एकड़	परिणाम	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८
१	मिमली गूल	४	४	०	४७०	ये गूलें बन चुकी हैं	
२	भटनागर गूल	२	०	६०	१३५		
३	नगरासू गूल	२	४	३३०	१८७		
४	अगस्त मुनि गूल	२	६	५००	२०६		
५	पनई	१	०	०	१५०	बन रही है	
६	पीपर कोटी गूल	१	४	३००	२१०	बनने वाली हैं	
७	बमोथ गूल	१	७	०	१०५		
८	बयूरी गूल	२	४	०	१००	विभागीय आंकड़ों के मुताबिक बनने योग्य नहीं पाई गई।	
९	कुरूझना गूल	१	२	०	१००		
१०	कंडारा गूल	४	४	०	२५०		
११	व्यूगं गूल	१	६	०	२२०		
१२	घूर गूल	४	०	०	८००		
१३	बाबई गूल	३	४	०	७५०		
१४	गुप्त काशी गूल	१	४	०	५		
१५	मेरी	०	६	०	२८		
१६	मेरी	१०	४	०	१४००		
१७	परकन्डी	१	०	०	७५०		
१८	परकेन्डी	८	०	०	७५०		
१९	बसुकेदार	०	४	०	५०		
२०	पाली	१	०	०	६०		
२१	डामर	७	६	०	९५६		
२२	मक्कू	२	६	०	१५०		
२३	भनज	१	२	०	२१३		
२४	ऊखी मठ	६	०	०	९००		
२५	घसारी गूल	१	१	०	१०		
२६	कमसल	२	०	०	९५		
२७	नोंटी	१	०	०	४००		
२८	मैनोली	२	४	०	१००		
२९	डिमर	०	४	०	८०		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	योजनाओं की नामावली	अनुमानित लम्बाई मी०	फ०	फी०	रकबा एकड़	परिणाम	कैफियत
३०	रतूरा चांदपुर	०	४	०	२००		
३१	रतूरा धनपूर	१	४	०	१५०		
३२	सैंन	३	०	०	५०		
३३	वरमीली	२	४	०	२००		
३४	छोरडा	१	०	०	६०		
३५	कलसारी	०	२	०	३५		
३६	सिमई	१	०	०	१००	विभागीय आंकड़ों के मुताबिक बनने योग्य नहीं है ।	
३७	धनकर	६	०	०	४००		
३८	नीलो	०	०	५००	२०		
३९	मोसो	४	०	०	५०		
४०	मातली	०	४	०	४०		
४१	भगोती	२	४	०	१५०		
४२	जोशी मठ	२	४	०	१००	बनाने योग्य थी किन्तु जनता कहती है स्वयं बनाये ।	
४३	मैंत	०	६	०	७७	बनाने योग्य है किन्तु जनता से कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।	
४४	धराली	१	२	०	६८		
४५	पैनगढ़ (बांयां)	०	५	२००	६०		
४६	पैनगढ़ (दायां)	०	५	३३०	४२	काम शुरू हो गया है	कम्युनिटी प्रोजेक्ट
४७	चपड़ों	०	६	०	३०		
४८	लदियागांव	१	६	०	८०		
४९	चिट्टू टीट	२	६	०	१६०	स्कीमों के इस्टीमेट बन रहे हैं ।	ब्लौक ।
५०	तोलसी	२	४	०	२००		
५१	राजगूल	२	४	०	१६०		

दूसरी विवरण पत्रिका (क्रमशः)

तहसील लैन्सडौन

क्रम-संख्या	योजनाओं की नामावली	अनुमानित लम्बाई मी०	फ०	फी०	रकबा एकड़	परिणाम	कैफियत
१	बड़ैल गूल	०	६	०	८०		
२	कर्तिका गूल	४	७	०	२३०		
३	खटरासी गूल	३	०	०	१२०	बन चुकी हैं	
४	भडारसेरा	०	३	०	२५		
५	जमेखी	१	१	०	१३२		
६	कांडी	०	७	७	१५०	बन रही है	
७	कुलसी	०	३	०	३७५		
८	डुडेक	२	६	०	३२५	इस्टीमेट बन रहा है	
९	चमेठा	१	४	०	२२५	बनने वाली है	
१०	नेल गुजराड़ा	२	४	०	१००		
११	घरासू	१	०	०	२००		
१२	मैलगांव	१	०	०	१००		
१३	स्यूंसी बंगार	११	०	०	४००		
१४	जिवाई बंगारस्यू	०	६	०	८०		
१५	पोखरी	१	०	०	३०		
१६	मितरसैन कोटा	१	४	०	१००		
१७	ढीड़	३	४	०	२००	विभागीय आंकड़ों द्वारा	
१८	हुडेरा	१	४	०	५०	ठीक नहीं पाई गई इस-	
१९	भासू चौधान	१	०	०	१५०	लिए नहीं बन रही है।	
२०	ऐता	०	४	०	३५		
२१	झुडई	२	०	०	२०		
२२	सौमलवीर	१	४	०	३०		
२३	रिखौली	१	४	०	५०		
२४	चमेरा	१	६	०	८०		
२५	गुनियाल	०	६	०	१२०		
२६	बुध गांव	३	४	०	४०		
२७	कुमाल्डी	४	०	०	५००	इस्टीमेट बन रहा है।	

उत्तराखंड सभा

दूसरी विवरण पत्रिका (क्रमशः)

तहसील पौड़ी

संख्या	योजनाओं की नामावली	अनुमानित लम्बाई मी०	फ०	को०	रकबा एकड़	परिणाम	कैफियत
१	घुरोली गूल	२	६	०	२३०		
२	उफल्डा	४	६	०	५००	बना दी गई है	
३	जास	०	४	११०	१२०		
४	स्वीत	१	१	०	१००	बन रही है	
५	देवासल	३	०	०	६०		
६	कलियासौर	३	४	०	८०		
७	कोटेश्वर	०	५	०	—		
८	उनबर	०	१	३३०	५		
९	गढ़	१	०	०	१००		
१०	पुनाड	२	०	०	७५		
११	पिछांडली	०	२	०	२		
१२	गिरगांव	..	..	..	८०		
१३	नरकोट	९	०	०	१५००	विभागीय आंकड़ों द्वारा ठीक नहीं पाई गई	
१४	मक्लोरी	२	४	०	३०		
१५	काडे	०	४	०	१००		
१६	घैर	१	०	०	१५०		
१७	दलमोटा	०	४	०	१५०		
१८	उललेव बीमासू	८	०	०	१२५०		
१९	झटकडी	२	०	०	३००		
२०	जोशियाना	२	०	०	१००		
२१	जशपुर	०	२	०	२		
२२	गिरिलोटी	६	०	०	५००		
२३	गोरली टैंक	..	..	..	२०		
२४	भांसी गूल	१	४	०	५०		
२५	विलेखेत गूल	१	२	०	९०	बन रही है	
२६	वडखोलू	१	४	०	२००	इस्टीमेट बन रहा है	

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८–१९९ पर)

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	योग्यता	पता	न्यायालय स्थान
१	श्री लाल जी सक्सेना, अवैतनिक स्पेशल मजिस्ट्रेट	बी० एस–सी०, एल० एल० बी०	नई बस्ती, सीतापुर	सीतापुर
२	श्री विश्वम्भरनाथ मेहरोत्रा, अवैतनिक स्पेशल मजिस्ट्रेट	एम० ए०, एल-एल० बी०	लोहार बाग, सीतापुर	सीतापुर
३	श्री सन्त बख्श सिंह, अवैतनिक स्पेशल मजिस्ट्रेट	बी० ए०, एल-एल० बी०	ग्राम सोनारी, हरीहरपुर, तहसील व जिला सीतापुर	सीतापुर
४	श्री भोलानाथ मेहरोत्रा, अवैतनिक स्पेशल मजिस्ट्रेट	दसवीं कक्षा तक पढ़े हैं	नगर बिसवां जिला सीतापुर	बिसवां
५	श्री भगवान दास, अवैतनिक बेञ्च मजिस्ट्रेट	एस० एल० सी०	नई बस्ती, सीतापुर	
६	श्री गया प्रसाद गुप्ता, अवैतनिक बेञ्च मजिस्ट्रेट	इन्टरमीडिएट	नई बस्ती, सीतापुर	सीतापुर
७	श्री विश्वनाथ सिंह, अवैतनिक बेञ्च मजिस्ट्रेट	बी० ए०	ग्राम रामकोट, तहसील व जिला सीतापुर	

सैय्यद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०–३३७ एल० ह०–१९५५–७९६।